सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार

(अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2013 की सं. 17

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	Iii
अध्याय I	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व	1
अध्याय II	नियमों एवं विनियमों का अननुपालन	33
अध्याय III	आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता	36
परिशिष्ट I		61
परिशिष्ट II		62
परिशिष्ट III		63
परिशिष्ट IV		70
परिशिष्ट V		81
परिशिष्ट VI		82
शब्दावली		84

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों में, 2011-12 के दौरान की गई नमूना जाँच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित न किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित 239 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 569.55 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मई 2013 तक ₹ 565.72 करोड़ के राजस्व की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 109.30 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैः

अध्याय I: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व

- सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वित्तीय वर्ष 03 में 5.24 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.38 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) वित्तीय वर्ष 03 में 3.25 से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 1.61 हो गया तथा जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 0.16 से बढ़कर 1.09 हो गया।

 (पैराग्राफ 1.6, 1.8 एवं 1.11)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 12 में जारी रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए (1) के अन्तर्गत छूटें ₹ 1,95,590 करोड़ (सामान्य छूटों में ₹ 1,79,453 करोड़, और क्षेत्र आधारित छूटों में ₹ 16,137 करोड़) अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 135 प्रतिशत थी।

 (पैराग्राफ 1.40)

- 31 मार्च 2012 को विभिन्न प्राधिकारियों के पास ₹ 54,172.65 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले अधिनिर्णय/अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित थे; सेवा कर के संबंध में यह आंकड़ा और भी अधिक ₹ 73,274.74 करोड़ था।

 (पैराग्राफ 1.70 एवं 1.72)

- ₹ 1 करोड़ वार्षिक से अधिक के राजस्व का भुगतान करने वाले और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु देय लगभग 50 प्रतिशत सेवा कर निर्धारितियों की 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं हुई थी।

 (पैराग्राफ 1.87)

- विगत 5 वर्षों के दौरान ₹ 1,429.42 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वाले 634 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) सूचित किए गए थे। सरकार ने ₹ 533.08 करोड़ वाले 502 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 185.09 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ 1.96)

- विगत 5 वर्षों के दौरान कुल ₹ 1,519.42 करोड़ सेवा कर वाले 858 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) सूचित किए गए थे। सरकार ने ₹ 1,208.26 करोड़ वाले 793 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 353.85 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ 1.97)

अध्याय II: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेने/उपयोग करने, शुल्क/कर के कम भुगतान और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करने संबंधी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में क्रमशः ₹ 61.44 करोड़ और ₹ 478.04 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले मामले देखे।

(पैराग्राफ 2.1 एवं 2.13)

अध्याय III: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने अन्य बातों के साथ-साथ संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों, अप्रभावी काल बुक समीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी देयों की वसूली न करने के मामले पाए। उनमें सम्मिलित शुल्क/कर ₹ 30.07 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.2 और 3.21)

अध्याय I

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व

संघ सरकार के स्त्रोत

1.1 भारत सरकार के स्त्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्त्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों (वित्तीय वर्ष 12) का सार दर्शाती है जो ₹ 52,83,774 करोड़ थी। संघ सरकार की स्वयं की प्राप्तियां ₹ 12,20,597 करोड़ थीं जो कुल प्राप्तियों का केवल 23.10 प्रतिशत है। शेष 76.90 प्रतिशत में उधार राशियां सम्मिलित हैं। इसकी अपनी प्राप्तियों में से ₹ 8,89,118 करोड़ (72.84 प्रतिशत) सकल कर प्राप्तियां थी।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्त्रोत

	₹ करोड़ में
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	11,65,691
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*4,93,987*
ii. अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*3,92,674*
iii. अन्य कर प्राप्तियां	*2,457*
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	*2,76,573*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18,088
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	36,818
घ. उधार प्राप्तियां	40,63,177
कुल प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	52,83,774

टिप्पणी: क) वि.व. 12 के संघ वित्त लेखों के आंकड़े

ख) कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौपें गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से निवल प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 2,55,414 करोड़ शामिल है।

राजस्व प्राप्तियां : प्रमुख समुच्चयों का संचलन

1.2 राजस्व प्राप्तियां कर और गैर-कर स्त्रोतों दोनों से आती हैं। कर राजस्व में संघ सरकार द्वारा उदग्रहित कर तथा शुल्क की प्राप्तियां अर्थात, आय और व्यय पर कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाओं पर कर आदि शामिल हैं।

1.3 वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नामक दो संविधिक बोर्डों के माध्यम से संघ सरकार के सभी करों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। परिशिष्ट I डीओआर का संगठनात्मक चार्ट दर्शाता है।

1.4 सीबीईसी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित अप्रत्यक्ष कर के उदग्रहण और संग्रहण की देख-रेख करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर विभागे की

समस्त संस्वीकृत कर्मचारी संख्या **73,806** है। परिशिष्ट II सीबीईसी के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाता है।

1.5 रिपोर्ट में 239 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 569.55 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मई 2013 तक ₹ 565.72 करोड़ के राजस्व वाली 235 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और ₹ 109.30 करोड़ की वसूली के बारे में बताया[1]। इस अध्याय में संघ के वित्तीय लेखों, विभागीय लेखों, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों, विभागीय एमआईएस और पिछले दशक में अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों में उपलब्ध डाटा का उपयोग करते हुए अप्रत्यक्ष करों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) की प्रवृति, संघटन और प्रणालीगत मामलों पर चर्चा की गई है।

अप्रत्यक्ष कर राजस्व

1.6 तालिका 1.2 वि.व. 03 से वि.व. 12 की अवधि के लिए जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण दर्शाती है[2]। जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से की प्रतिशतता वि.व. 03 में 5.24 प्रतिशत से घटकर वि.व. 12 में 4.38 प्रतिशत तक रह गई जबकि वि.व. 05 से वि.व. 07 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा भी 61 प्रतिशत (वि.व. 03) से घट कर 44 प्रतिशत (वि.व. 12) रह गया। जीडीपी वि.व. 03 में ₹ 25.31 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 12 में ₹ 89.75 लाख करोड़ हो गया जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 03 में ₹ 1.33 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 12 में ₹ 3.93 लाख करोड़ हो गया।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियां

₹ करोड़ में

वर्ष	सकल कर राजस्व (जीटीआर)	अप्रत्यक्ष कर राजस्व	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में जीटीआर	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व
वि.व. 03	2,16,266	1,32,542	25,30,663	8.55	5.24
वि.व. 04	2,54,348	1,48,534	28,37,900	8.96	5.23
वि.व. 05	3,04,958	1,71,273	32,42,209	9.41	5.28
वि.व. 06	3,66,152	1,99,702	36,93,369	9.91	5.41
वि.व. 07	4,73,512	2,41,906	42,94,706	11.03	5.63
वि.व. 08	5,93,147	2,79,497	49,87,090	11.89	5.60
वि.व. 09	6,05,298	2,69,988	56,30,063	10.75	4.80
वि.व. 10	6,24,527	2,45,373	64,77,827	9.64	3.79
वि.व. 11	7,93,307	3,45,371	77,95,314	10.18	4.43
वि.व. 12	8,89,118	3,92,674	89,74,947	9.91	4.38

टिप्पणीः कर प्राप्तियों कें आंकड़े संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं।

[1] 235 मामलों में ऐसे मामले जहाँ राजस्व वसूली की गई/सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई परन्तु विभागीय चूक स्वीकार नहीं की गई, शामिल है।

[2] जीडीपी आधार वर्ष 2004-05 के साथ वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित है - केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिए गए जनवरी 2013 तक के और 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाए गए आंकड़े इस प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए हैं।

1.7 *मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि कर-जीडीपी अनुपात जैसे विश्लेषणात्मक पैरामीटर प्रायः समग्र अर्थव्यवस्था, जो आन्तरिक और बाहरी घटकों के परिदृश्य में संचालित होती है, को दिए गए नीति हस्तक्षेपों के रूप में निर्देशों के परिणाम हैं। अस्थिर तेल मूल्यों, वैश्विक आर्थिक मंदी और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई शुल्कों और करों की दरों में कमी, प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ छूटों की समाप्ति शामिल हैं, ने भी अप्रत्यक्ष कर नीति और प्रशासन की दिशा को प्रभावित किया।*

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि - प्रवृति और संघटन

1.8 तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहणों में वृद्धि दर्शाती है। वि.व. 12 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहणों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, हमने पाया कि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा 38.06 प्रतिशत (वि.व.03) से घटकर 16.30 प्रतिशत (वि.व.12) हो गया अर्थात हिस्सा एक दशक पूर्व के हिस्से के आधे से भी कम रह गया। निम्न तालिका से यह भी पता चलता है कि जीडीपी के रूप में व्यक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में इसी प्रकार की कमी आई।

तालिका 1.3: पीएलए* के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि

₹ करोड़ में

वर्ष	के.उ.शु. (पीएलए)	पिछले वर्ष से % वृद्धि	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में के.उ.शु.	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में के.उ.शु.
वि.व. 03	82,310	-	25,30,663	3.25	2,16,266	38.06
वि.व. 04	90,774	10.28	28,37,900	3.20	2,54,348	35.69
वि.व. 05	99,125	9.20	32,42,209	3.06	3,04,958	32.50
वि.व. 06	1,11,226	12.21	36,93,369	3.01	3,66,152	30.38
वि.व. 07	1,17,613	5.74	42,94,706	2.74	4,73,512	24.84
वि.व. 08	1,23,611	5.10	49,87,090	2.48	5,93,147	20.84
वि.व. 09	1,08,613	(-)12.13	56,30,063	1.93	6,05,298	17.94
वि.व. 10	1,02,991	(-)5.18	64,77,827	1.59	6,24,527	16.49
वि.व. 11	1,37,701	33.70	77,95,313	1.77	7,93,307	17.36
वि.व. 12	1,44,901	5.23	89,74,947	1.61	8,89,118	16.30

स्त्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे

*पीएलए द्वारा भुगतान का संदर्भ नकद, चैक इत्यादि द्वारा भुगतान से है अर्थात सैनवेट खाते के अलावा

1.9 *मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि जीडीपी और सकल कर राजस्व की तुलना में पीएलए और सेनवेट क्रेडिट के सम्मलित उपयोग में 2009-10 के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से किये गये भुगतान को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।*

1.10 मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है। सेनवेट क्रेडिट प्रणाली के अन्तर्गत, क्रेडिट पिछले चरण में दत्त शुल्क के लिए प्रत्येक स्तर पर दिया जाता है। केन्द्रीय बजट में कर प्राप्तियों के रूप में

केवल पीएलए संग्रहण (नकद संग्रहण) को माना जाता है। 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी जीडीपी के प्रति कर के अनुपात की गणना में केवल पीएलए संग्रहण का प्रयोग किया गया है[3]।

1.11 तालिका 1.4 वि.व. 03 से वि.व. 12 की अवधि के लिए जीडीपी और सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सेवाकर राजस्व को दर्शाती है। हमने देखा कि सकल कर राजस्वों में सेवा कर की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान 1.91 प्रतिशत से बढ़कर 10.97 प्रतिशत हो गई। वि.व. 12 के दौरान सेवा कर संग्रहणों में 37.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का कारण इस अवधि के दौरान कर योग्य सेवाओं की संख्या में क्रमिक वृद्धि और कर दरों में वृद्धि है। वि.व. 03 में कर योग्य सेवाओं की कुल संख्या 52 थी, तथापि, वि.व. 12 में 119 सेवाएं कर योग्य थीं। दण्ड प्रावधानों को युक्तीकृत करने और अनुपालन में सुधार के लिए कई नीति उपायों के अतिरिक्त सेवाकर की दरें भी इस अवधि में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.4: सेवा कर में वृद्धि

₹ करोड़ में

वर्ष	सेवा कर	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का %	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर
वि.व. 03	4,122	-	25,30,663	0.16	2,16,266	1.91
वि.व. 04	7,891	91.44	28,37,900	0.28	2,54,348	3.10
वि.व. 05	14,200	79.95	32,42,209	0.44	3,04,958	4.66
वि.व. 06	23,055	62.36	36,93,369	0.62	3,66,152	6.30
वि.व. 07	37,598	63.08	42,94,706	0.88	4,73,512	7.94
वि.व. 08	51,302	36.45	49,87,090	1.03	5,93,147	8.65
वि.व. 09	60,941	18.79	56,30,063	1.08	6,05,298	10.07
वि.व. 10	58,422	(-)4.13	64,77,827	0.90	6,24,527	9.35
वि.व. 11	71,016	21.56	77,95,313	0.91	7,93,307	8.95
वि.व. 12	97,509	37.31	89,74,947	1.09	8,89,118	10.97

स्त्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे

राजस्व संग्रहणों के आंकड़ों की तुलना

1.12 तालिका 1.5 दर्शाती है कि संघ वित्त लेखों और विभाग की मासिक राजस्व रिपोर्टों (एमआरआर) में सूचित राजस्व आंकड़ों में अन्तर है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.व. 12 में, सेवा कर के संबंध में इन दोनों आंकड़ों में अन्तर ₹ 1300 करोड़ से अधिक था।

[3] आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, अध्याय 3, तालिका 3.4, पृष्ठ 61

तालिका 1.5: आंकड़ों में अन्तर

₹ करोड़ में

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर	
	वित्तीय लेखों के अनुसार आंकड़े	विभागीय एमआरआर के अनुसार आंकड़े	वित्तीय लेखों के अनुसार आंकड़े	विभागीय एमआरआर के अनुसार आंकड़े
वि.व. 08	1,23,611	1,22,938	51,302	50,381
वि.व. 09	1,08,613	1,04,701	60,941	63,565
वि.व. 10	1,02,991	1,02,858	58,422	59,450
वि.व. 11	1,37,701	1,36,463	71,016	71,782
वि.व. 12	1,44,901	1,42,673	97,509	96,124

1.13 *मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र राजस्व के सांख्यिकी आंकड़े उस स्थल के आधार जहां से आंकड़े एकत्र किए गए थे, के अन्तर को दर्शाते हैं। तथापि, प्रधान सीसीए द्वारा लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग के साथ समाधान किए गए तथा वित्त मंत्रालय के प्राप्ति बजट दस्तावेज़ों में वार्षिक आधार पर दर्शाए गए अन्तिम आंकड़ों पर मानक आंकड़ों के रूप में भरोसा किया जा सकता है।*

1.14 प्रधान सीसीए द्वारा दिए गए आंकड़े वास्तविक संग्रहण के हैं और एमएमआर के माध्यम से दिए गए आंकड़े दर्ज की गई विवरणी पर आधारित हैं। इन दोनों के बीच सार्थक अन्तर विचारणीय मुद्दा है क्योंकि दोनों सूचित किए गए एक ही लेन-देन से संबंधित हैं। इसलिए हमारे विचार से एक अच्छे मिलान तंत्र की आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष कर घटक - तुलनात्मक प्रदर्शन

1.15 तालिका 1.6 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के लिए जीडीपी की तुलना में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों की प्रक्षेप वृद्धि पथ दर्शाती है। जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के संबंध में, दशक के दौरान समग्र गिरावट आई थी, यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अधिक स्पष्ट थी।

तालिका 1.6: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

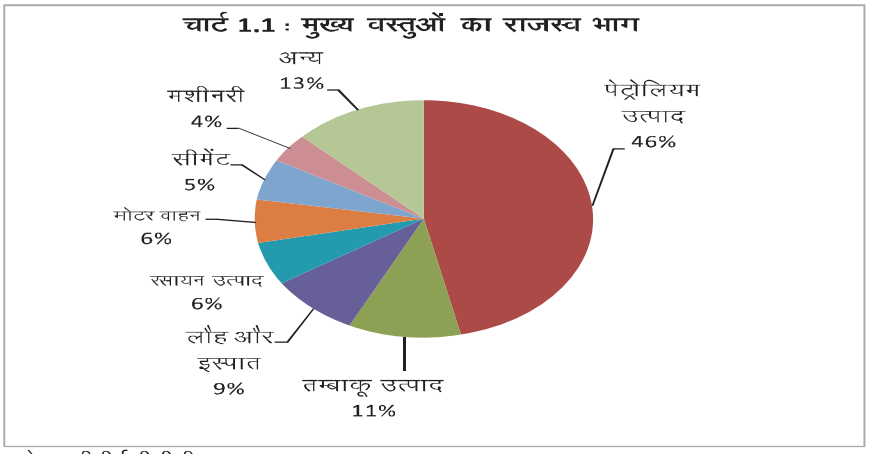
वर्ष	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर
वि.व. 03	1.77	3.25	0.16
वि.व. 04	1.71	3.20	0.28
वि.व. 05	1.78	3.06	0.44
वि.व. 06	1.76	3.01	0.62
वि.व. 07	2.01	2.74	0.88
वि.व. 08	2.09	2.48	1.03
वि.व. 09	1.77	1.93	1.08
वि.व. 10	1.29	1.59	0.90
वि.व. 11	1.74	1.77	0.91
वि.व. 12	1.66	1.61	1.09
कः औसत (वि.व. 03-05)	1.75	3.17	0.29
खः औसत (वि.व.10-12)	1.56	1.66	0.97
गः = ख - क	-0.19	(-)1.51	0.67

स्त्रोतः संबंधित वर्षों के केन्द्रीय वित्त लेखे

शीर्ष राजस्व प्रदान करने वाली वस्तुएं

1.16 चार्ट 1.1 समग्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 12) में वस्तुओं के समूह का अंश दर्शाता है। सात उच्चतम अर्जक पैट्रोलियम (46 प्रतिशत), तम्बाकू (11 प्रतिशत); लौह एवं इस्पात (9 प्रतिशत), मोटर वाहन (6 प्रतिशत), रसायन (6 प्रतिशत), सीमेंट (5 प्रतिशत), मशीनरी (4 प्रतिशत) थे और इन्होंने मिलकर वि.व. 12 में कुल उत्पाद शुल्क राजस्व में 88 प्रतिशत का योगदान दिया।

चार्ट 1.1 : मुख्य वस्तुओं का राजस्व भाग



स्रोतः सीबीईसीडीएम

मुख्य योगदान देने वाले सेवा वर्गों से सेवा कर राजस्व

1.17 तालिका 1.7 मुख्य सेवा वर्गों से संग्रहित सेवा कर को दर्शाती है। शीर्ष राजस्व अर्जनकर्त्ताओं (बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, कारोबार सहायक सेवाएं, सामान्य बीमा प्रीमियम पर कर) के अलावा हाल ही में प्रारंभ हुए सेवा कर वर्गों जैसे अचल सम्पत्ति को किराए पर देने और निर्माण ठेका सेवाएं निष्पादन करने वाले कुछ प्रमुख वर्ग हैं। तालिका में सूचीबद्ध इन वर्गों के अलावा सेवाएं जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सलाहकार इंजीनियर सेवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में सेवाकर संग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तालिका 1.7: मुख्य सेवा वर्गों से सेवा कर

₹ करोड़ में

वर्ष	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं	दूरसंचार	सहायक व्यवसाय सेवाएं	सामान्य जीवन बीमा प्रीमियम पर कर	व्यवसाय समर्थन सेवाएं	अचल सम्पत्ति को किराए पर देना	निर्माण कार्य ठेका	श्रमबल भर्ती	रख-खाव और मरम्मत	सड़क द्वारा माल परिवहन/जी टीओ
वि.व. 08	3,743.74	2,665.51	3,864.06	2,788.70	2,223.16	946.47	230.04	1,582.20	1,812.36	2,941.11
वि.व. 09	3,925.59	3,123.61	4,147.93	3,279.16	1,604.35	2,577.93	1,306.23	2,101.02	2,280.98	3,225.65
वि.व. 10	4,066.05	2,884.94	3,646.54	3,125.54	1,934.92	2,015.24	1,848.87	2,077.41	2,221.14	2,644.01
वि.व. 11	4,345.23	3,902.31	3,916.81	3,876.57	2,688.86	2,829.24	3,092.08	2,869.87	2,522.38	3,040.13
वि.व.12	5,875.91	5,402.45	5,255.64	5,233.57	4,344.88	4,339.77	4,179.00	3,847.14	3,494.98	3,407.24

स्रोत्रः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व

1.18 पेट्रोलियम उत्पाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सबसे बड़ा अंशदाता है। पिछले वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8:पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम उत्पादों से संग्रहण

₹ करोड़ में

वर्ष	पेट्रोलियम से संबंधित राजस्व	अन्य के.उ.शु. राजस्व	के.उ.शु.राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों का अंश(%)	के.उ.शु. राजस्व में गैर पेट्रोलियम उत्पादों का अंश(%)
वि.व. 06	51,753	66,544	44	56
वि.व. 07	57,884	70,233	45	55
वि.व. 08	60,231	78,508	43	57
वि.व. 09	59,383	64,839	48	52
वि.व. 10	64,012	53,489	54	46
वि.व. 11	76,546	74,859	51	49
वि.व. 12	74,829	89,518	46	54

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े

1.19 पैट्रोलियम क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अंशदान लगभग 50 प्रतिशत था। वस्तुओं के एकल वर्ग से उत्पाद शुल्क संग्रहण का प्रमुख अंश, सीमित कर आधार और/या निम्न कर दर ढांचा और उच्च कर व्यय दर्शाता है।

मुख्य गैर-पैट्रोलियम वस्तुओं का योगदान

1.20 पिछले दशक के दौरान हमने अन्य सभी गैर पेट्रोलियम उत्पाद वर्गों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व का अंशदान तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: गैर पेट्रोलियम वस्तुओं से संग्रहण

₹ करोड़ में

वर्ष	सिगरेट	लौह एवं इस्पात	सीमेंट	मोटर कार	मशीनरी	प्लास्टिक	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	कार्बनिक रसायन	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	दवाईयां	अन्य वस्तुएं	कुल
वि.व. 04	5,495	7,330	4,220	2,067	2,960	2,152	1,137	1,722	1,663	1,434	25,416	55,596
वि.व. 05	5,995	7,663	4,523	2,653	3,628	2,531	2,107	2,171	1,921	1,616	26,595	61,402
वि.व. 06	6,989	10,723	4,739	3,472	4,086	2,477	2,089	2,026	1,903	2,265	25,775	66,544
वि.व. 07	7,701	12,685	5,149	2,958	4,810	2,396	2,433	2,044	1,900	2,007	26,149	70,233
वि.व. 08	8,152	15,940	6,991	2,716	5,349	2,537	2,530	1,871	2,173	1,739	28,510	78,509
वि.व. 09	9,310	14,112	6,486	2,420	2,822	2,076	1,753	1,165	1,516	523	22,686	64,869
वि.व. 10	9,556	8,479	5,185	3,958	2,382	1,355	1,307	825	1,077	353	19,023	53,499
वि.व. 11	11,175	12,634	7,458	5,001	3,680	2,368	1,847	1,521	1,456	376	27,435	74,950
वि.व. 12	**12,133**	**11,840**	**8,952**	**4,834**	**4,519**	**2,934**	**2,001**	**1,943**	**1,695**	**693**	**34,529**	**86,074**

स्रोत : सीबीईसीडीएम

1.21 सिगरेट से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि ने लौह और इस्पात उत्पादों, जो गैर पैट्रोलियम वर्ग में राजस्व का मुख्य अंशदाता था को वि.व. 12 में दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। अन्य उत्पाद समूहों ने पिछले चार वर्षों के दौरान अपनी वही स्थिति बनाए रखी।

सेनवेट क्रेडिट

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना में उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

1.22 एक निर्माता उत्पादन सामग्री या पूंजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके निर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और इस प्रकार से लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है। तालिका 1.10 वि.व. 03 से वि.व. 12 के दौरान नगदी (पीएलए)तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण की वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.10: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां : पीएलए और सेनवेट का उपयोग

₹ करोड़ में

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतानों के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व. 03	82,310	-	53,039	-	64.44
वि.व. 04	90,774	10.28	66,576	25.52	73.34
वि.व. 05	99,125	9.20	76,665	15.17	77.34
वि.व. 06	1,11,226	12.21	96,050	25.29	86.36
वि.व. 07	1,17,613	5.74	1,28,698	33.99	109.42
वि.व. 08	1,23,611	5.10	1,52,210	18.27	123.14
वि.व. 09	1,08,613	(-)12.13	1,50,361	(-)1.21	138.44
वि.व. 10	1,02,991	(-)5.18	1,19,982	(-)20.20	116.50
वि.व. 11	1,37,701	33.70	1,70,058	41.74	123.50
वि.व. 12	1,44,901	5.23	2,15,849	26.93	148.96

स्त्रोतः *मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

1.23 वि.व. 06 तक, पीएलए (नकद) के माध्यम से प्रदत्त शुल्क सेनवेट क्रेडिट से किए गए भुगतान से अधिक था। इसके बाद, सेनवेट क्रेडिट से शुल्क भुगतान में वृद्धि हुई और वि.व. 12 में पीएलए के लगभग 149 प्रतिशत पर पहुंच गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि उक्त अवधि के दौरान जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों (नगद में) में 76 प्रतिशत वृद्धि हुई इसी अवधि के दौरान सेनवेट के माध्यम से शुल्क भुगतान में 307 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। सामान्यतया, पीएलए के माध्यम से वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने में तेजी से वृद्धि हुई है। हमने वर्तमान रिपोर्ट में सेनवेट संबंधी मुद्दों जैसे, फील्ड में अनुपालन लेखापरीक्षा का गलत लाभ लेने से संबंधित 48 मामले शामिल किए हैं जिनमें ₹ 31.79 करोड़ सम्मिलित थे ।

1.24 तालिका 1.11 में हाल ही के वर्षों में वस्तु-वार सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना दर्शाया गया है। जबकि सभी वस्तुओं में सेनवेट के प्रयोग में वृद्धि हुई, दो वस्तुओं अर्थात् पेट्रोलियम उत्पाद, तथा

लौह एवं इस्पात में वर्ष के दौरान पीएलए संग्रहणों में गिरावट दर्ज की गई। सेनवेट क्रेडिट उपयोग में वृद्धि का कारण अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात मंजूरियों में वृद्धि तथा निर्माण यूनिटों के विस्तारण पर पूंजीगत माल से संबंधित संचित सेनवेट क्रेडिट की उपलब्धता, सेवा कर संबंधी क्रेडिट का परस्पर उपयोग इत्यादि था।

तालिका 1.11 : सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने वाली मुख्य वस्तुएं

₹ करोड़ में

क्रम सं.	वस्तु समूह	वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व.11 की तुलना में वि.व. 12 में % वृद्धि	
		पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट
1	पेट्रोलियम उत्पाद	76,546.17	7,511.87	74,709.33	9,757.08	(-)2.40	29.89
2	तम्बाकू उत्पाद	15,518.54	486.38	17,414.68	646.72	12.22	32.97
3	लौह एवं इस्पात	14,480.84	34,692.29	13,813.83	45,344.95	(-)4.61	30.71
4	रसायन उत्पादन	7,541.51	27,995.79	9,236.43	33,324.82	22.47	19.04
5	मोटर वाहन	8,667.61	30,359.04	9,331.17	38,173.05	7.66	25.74
6	सीमेंट	7,458.16	4,352.76	8,952.39	5,001.48	20.03	14.90
7	मशीनरी	5,372.05	20,636.50	6,407.16	24,497.50	19.27	18.71

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

1.25 पेट्रौलियम उत्पादों और लौह एवं इस्पात के संबंध में पीएलए के उपयोग में गिरावट का कारण कई कारकों को संयोजन था। पेट्रौलियम में सेनवेट के उपयोग में वृद्धि के कई कारण उदाहरण के लिए प्रमुख इनपुट जैसे कच्चा तेल तथा योजक की लागत में वृद्धि, और स्थिर बिक्री मूल्य मासिक राजस्व निष्पादन रिपोर्ट (मार्च 2012) में चेन्नई ज़ोन द्वारा बताए गए थे जिनके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का संचय हुआ। जोन ने बताया कि जोन से पीएलए भुगतान में कमी इस क्रेडिट के अधिक उपयोग के कारण थी। कुछ अन्य जोनों ने बिना ब्रेंड के आर डी तेल पर ₹ 2.60 प्रति लीटर के मूल शुल्क को समाप्त करने वाली दिनांक 25 जून 2011 की सीई अधिसूचना सं. 33/2011 को उत्तरदायी बताया जिसके परिणामस्वरूप पीएलए संग्रहण में कमी हुई। कोयम्बूटर जोन ने मार्च 2012 से आयातित कोयले पर प्रतिकारी शुल्क लगाने का, जिसके आधार पर निर्धारिती आयातित कोयले पर सीवीडी पर अधिक क्रेडिट प्राप्त कर सकते थे, लौह एवं इस्पात उद्योग में बढ़ी हुई उपयोगिता के लिए हवाला दिया। वडोदरा जोन ने मार्च 2011 के तुलनीय आंकड़ों के प्रति 2012 के आंकड़ों में पीएलए में कमी का कारण मै. एस्सार एसईज़ेड की अधिसूचना रद्द होना तथा मै. एस्सार स्टील लि. की 3 सहयोगी इकाईयों के विलयन के कारण 01.04.2011 को ₹ 319 करोड़ रूपए के सेनवेट क्रेडिट की अतिरिक्त उपलब्धता के कारण सेनवेट में वृद्धि बताया।

सेवा कर प्राप्तियों की तुलना में उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

1.26 सेवा कर के विकास में एक प्रमुख सांविधिक परिवर्तन सेवाओं पर सेनवेट का लाभ और उपयोग को कानून द्वारा दी गई मान्यता (2002) थी। कानून में उत्तरवर्ती परिवर्तनों के परिणामस्वरूप माल और सेवाओं के बीच दुतरफा उपयोग हेतु क्षेत्र का विस्तारण हुआ जो सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों करों के समन्वय के प्रति एक पहल थी।

1.27 एक सेवा प्रदाता उसके सेवा गतिविधियों संबंधित इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवाकर तथा इनपुट तथा/अथवा पूंजीगत वस्तुओं पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और सेवाकर के भुगतान में लिए गए क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यक्तिगत बही खाते (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से प्रदत्त सेवाकर का विवरण दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: सेवा करः पीएलए और सेनवेट का उपयोग

₹ करोड़ में

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त सेवा कर		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त सेवा कर		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सेवाकर
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व. 08	51,302	-	10,712	-	20.88
वि.व. 09	60,941	18.79	18,457	72.30	30.29
वि.व. 10	58,422	(-)4.13	25,880	40.22	44.30
वि.व. 11	71,016	21.56	29,418	13.67	41.42
वि.व. 12	97,509	37.31	13,536	(-)53.99	13.88

स्रोतः *मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

1.28 तालिका 1.12 दर्शाती है कि सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त सेवा कर की पीएलए (नकद) से प्रतिशतता ने वि.व. 11 तक वृद्धि का रूझान दर्शाया। वि.व. 12 में उपयोग 13.88 प्रतिशत तक गिर गया ।

1.29 हमने इस रिपोर्ट में पर्याप्त मामले (सेनवेट संबंधित मामलों जैसे सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ लेने और उपयोग के ₹ 172.23 करोड़ के 24 मामले) देखे जिन्हें हमने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। हमने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2011-12 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 28 और 29) में भी इसी प्रकार के मामलों को इंगित किया था। लगातार कमियां विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्रों जैसे संवीक्षा, लेखापरीक्षा एवं अपवंचन रोधक को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करती है।

1.30 विभाग ने भी 2009-10 के लिए अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (सेवाकर) में भी नोट किया कि विवरणियों की संवीक्षा के दौरान सेनवेट सत्यापन लगभग नगण्य है। महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यह आशा की थी कि 2009 में सेवा कर संवीक्षा नियम

पुस्तिका के प्रकाशन के साथ स्थिति में सुधार होगा[4]। सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग भी विभाग द्वारा पहचानी गई तीन विभिन्न कार्य प्रणालियों में से एक है[5]। डीजीएसटी ने लेखापरीखा और अपवंचन विरोधी स्कंधो को शामिल कर एक कार्यवाही योजना बनाने की आवश्यकता को उजागर किया जोकि सर्वोच्च और कमिश्नरी स्तर पर घनिष्ठ समन्वय से कार्य करें ताकि अपवंचन के मामलों का पता चल सके।

1.31 *मंत्रालय ने माल की प्राप्ति के बिना क्रेडिट की कपटपूर्ण प्राप्ति को सेनवेट क्रेडिट योजना के दुरूपयोग से संबंधित मामलों की बढ़ती प्रवृति के लिए उत्तरदायी माना (मार्च 2013)। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी उपायों पर अधिक विश्वास रखने के बावजूद कर्मचारियों की कमी ने इन प्रयत्नों को निरंतर बाधित किया।* तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आधुनिक कार्य योजना (2013-14) में भी ने लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी विंगों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर कोई जोर नहीं डाला गया जिससे अपवंचन के मामलों का पता लगाने में वृद्धि हो सके।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में बजटीय मुद्दे

1.32 तालिका 1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए बजटीय आकलनों और तद्नुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना दर्शाती हैः

तालिका 1.13: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बजटीय आकलन और वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़ में

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों और बजटीय आकलनों के बीच अन्तर	बजटीय आकलन के प्रतिशत के रूप में अन्तर
वि.व.03	91,433	87,383	82,310	(-)9,123	(-)9.98
वि.व.04	96,791	92,379	90,774	(-)6,017	(-)6.22
वि.व.05	1,09,199	1,00,720	99,125	(-)10,074	(-)9.23
वि.व.06	1,21,533	1,12,000	1,11,226	(-)10,307	(-)8.50
वि.व.07	1,19,000	1,17,266	1,17,613	(-)1,387	(-)1.17
वि.व.08	1,30,220	1,27,947	1,23,611	(-)6,609	(-)5.08
वि.व.09	1,37,874	1,08,359	1,08,613	(-)29,261	(-)21.22
वि.व.10	1,06,477	1,02,000	1,02,991	(-)3,486	(-)3.27
वि.व.11	1,32,000	1,37,778	1,37,701	5,701	4.32
वि.व.12	1,64,116	1,50696	1,44,901	(-)19,215	(-)11.71

स्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे और प्राप्ति बजट दस्तावेज

1.33 वास्तविक प्राप्तियां वि.व. 11 को छोड़कर बजट आकलनों की अपेक्षा कम थीं। वि.व. 09 में वास्तविक संग्रहण और बजट आकलनों के बीच अन्तर महत्वपूर्ण रूप से काफी अधिक 21 प्रतिशत तक था। वि.व. 07 में अन्तर 1.17 प्रतिशत तक कम हो गया था। वि.व. 11 में संग्रहण बजटीय आकलनों से 4.32 प्रतिशत तक अधिक हो गया था।

[4] डीजीएसटी, सीबीईसी का संलग्न कार्यालय, सेवाकर के संग्रहण और निर्धारण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
[5] सभी मुख्य कमिश्नरियों को दिनांक 25 अगस्त 2011 का डीजीएसटी का पत्र

1.34 तालिका 1.14 सेवा कर के संबंध में बजटीय आकलन और तद्नुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना दर्शाती है।

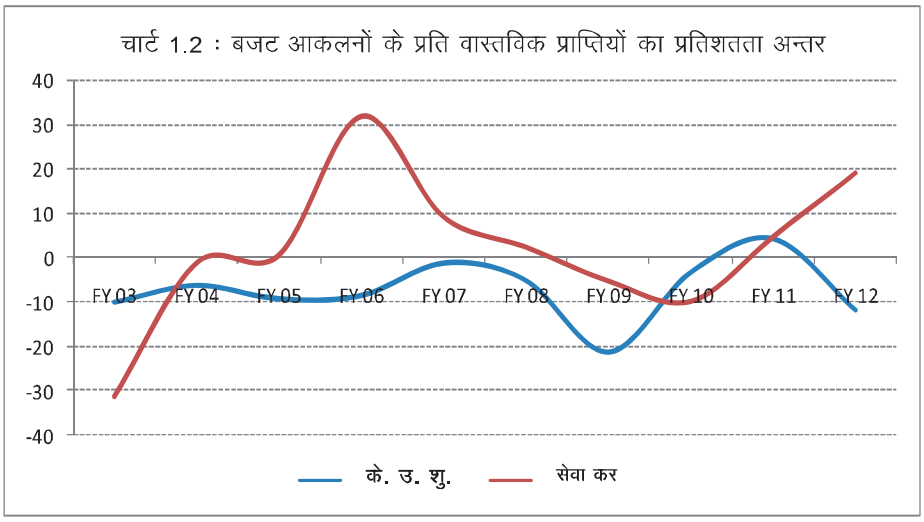
तालिका 1.14: सेवा कर - बजटीय आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों और बजटीय आकलनों के बीच अन्तर	बजटीय आकलन के प्रतिशत के रूप में अन्तर
वि.व.03	6,026	5,000	4,122	(-)1,904	(-)31.60
वि.व.04	8,000	8,300	7,891	(-)109	(-)1.36
वि.व.05	14,150	14,150	14,200	50	0.35
वि.व.06	17,500	23,000	23,055	5,555	31.74
वि.व.07	34,500	38,169	37,598	3,098	8.98
वि.व.08	50,200	50,603	51,302	1,102	2.20
वि.व.09	64,460	65,000	60,941	(-)3,519	(-)5.46
वि.व.10	65,000	58,000	58,422	(-)6,578	(-)10.12
वि.व.11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44
वि.व.12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91

स्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज

1.35 तालिका 1.14 दर्शाती है कि वास्तविक प्राप्तियाँ वि.व. 03 तथा वि.व0 04 के दौरान बजटीय आकलन की अपेक्षा कम थीं। तदनुरूप, संग्रहण वि.व. 09 तथा वि.व. 10 को छोड़कर बजटीय अनुमान से अधिक हुआ । वि.व. 06 की वास्तविक प्राप्तियां बजटीय अनुमान से 31.74 प्रतिशत तक अधिक थी। यह 9 नई सेवाओं के आरंभ (16.5.2005 से) तथा 12 मौजूदा सेवाओं के दायरे में विस्तार के कारण था। इसके प्रति, वि.व. 10 से संबंधित संग्रहण ने भारी गिरावट दर्शाई जो बजटीय आकलन से 10.12 प्रतिशत तक कम हुआ। सेवा कर की दर में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कमी तथा समग्र आर्थिक मन्दी ने वि.व. 9 में संग्रहित राजस्व की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत तक की नकारात्मक वृद्धि में योगदान किया। पिछले दो वर्षो के दौरान (वि.व. 11 और वि.व. 12) संग्रहणों ने फिर से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है। वि.व. 12 में संग्रहण बजटीय आकलनों से लगभग 19 प्रतिशत तक अधिक हुआ। हमने हाल के वर्षों के आकड़ों के आधार पर बजटीय आकलनों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर को बजटीय आकलन की प्रतिशतता के रूप में चार्ट 1.2 में दर्शाया है।



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रशासन में प्रणालीगत मुद्दे

कर व्यय मुद्दे

1.36 कराधान, किसी सरकार के अपने व्यय की निधि हेतु राजस्व सृजन का मुख्य स्रोत है। सामूहिक कर आधार तथा कर की प्रभावी दर मुख्यतः प्राप्त राजस्व राशि का निर्धारण करती है। विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रियायत, आस्थगित अदायगी तथा क्रेडिट कुछ कारक हैं जो सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर की दर को निर्धारित करते हैं और उन्हें "कर प्राथमिकता" कहा जाता है। कर प्राथमिकता को अधिमान्य कर दाताओं को सहायता भुगतान के रूप में देखा जा सकता है।"कर व्यय के" रूप में संदर्भित ऐसे अन्तर्निहित भुगतान कर संबंधी कानून में लागू व्यय कार्यक्रम हैं।

1.37 हाल के वर्षों में सरकार संसद के समक्ष, कर व्यय या परित्यक्त राजस्व विवरण प्रस्तुत कर रही है जो कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करने का प्रयास है । इसमें दर्शाए गए कर व्यय के आकलन निम्नलिखित प्रत्याशाओं के आधार पर बनाए गए हैं।

(क) अनुमान तथा प्रक्षेपण उस संभावित राजस्व लाभ को दर्शाने हेतु अभिप्रेत हैं जो छूट, कटौती, भारित कटौती तथा इसी तरह के उपायों को हटा कर प्राप्त हुए होते। ये अनुमान एक अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। इनका विकास इस प्रत्याशा पर किया गया है कि इस तरह के उपायों की समाप्ति से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक कार्यकलाप तथा अन्य सरकारी नीतियाँ वरीयता प्राप्त विशेष करों के उन्मूलन के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व निहितार्थ उस सीमा तक भिन्न हो सकता है।

(ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत को यह मानते हुए अलग से निर्धारित किया गया है कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। तथापि, कई कर रियायतें एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहन का परस्पर प्रभाव, प्रत्येक प्रावधान हेतु आकलन तथा प्रक्षेपण को जोड़ कर संगणित किए गए छोड़े गए राजस्व से भिन्न हो सकता है।।

1.38 उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों के अनुसार लगाया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत केन्द्र सरकार सार्वजनिक हित में छूट अधिसूचना जारी कर सकती है जिससे कि अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दर से कम शुल्क दरों जिन्हें **"प्रभावी दरें"** कहा जाता है, के रूप में निर्धारण किया जा सकता है। शुल्क, जिसका भुगतान छूट अधिसूचना के बिना करना पड़ता और सुसंगत अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के मध्य का अन्तर बजट दस्तावेजों में "परित्यक्त राजस्व" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.39 उपरोक्त धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचनाएँ जारी करने के अधिकार के अलावा केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(2) के अनुसार अपवादात्मक प्रवत्ति की परिस्थितियों के तहत अलग-अलग मामलों के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। परित्यक्त राजस्व विवरण में परित्यक्त शुल्क आंकड़ों में विशेष छूट आदेशों के जारी होने के कारण संग्रहीत न किए गए शुल्क के संबंध में परित्यक्त राजस्व के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है। परित्यक्त राजस्व आंकड़े, सेवा कर छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व के आकलनों के समाविष्ट न करने के कारण को नहीं दर्शाते।

1.40 तालिका 1.15 संघ सरकार के बजट दस्तावेजों में यथा सूचित हाल के वर्षों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी कर व्यय के आँकड़े दर्शाती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व. 12 के लिए कर व्यय (संशोधित आंकड़े) ₹ 1,95,590 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,79,453 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 16,137 करोड़) था जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का लगभग 135 प्रतिशत है।

तालिका 1.15: कर व्यय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

₹ करोड़ में

वर्ष	*कुल कर व्यय (टीई)	जीडीपी के % के रूप में कर व्यय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के % के रूप में कर व्यय	सकल कर प्राप्तियों के % के रूप में कर व्यय
वि.व. 05	30,449	0.94	30.72	9.98
वि.व. 06	66,760	1.81	60.02	18.23
वि.व. 07	75,475	1.76	64.17	15.94
वि.व. 08	87,468	1.75	70.76	14.75
वि.व. 09	1,35,496	2.41	124.75	22.38
वि.व. 10	1,69,121	2.61	164.21	27.08
वि.व. 11	1,92,227	2.47	139.60	24.23
वि.व. 12	1,95,590	2.18	134.98	21.99

*स्रोतः बजटीय दस्तावेज

1.41 *मंत्रालय ने बताया(मार्च 2013) कि छूटें, लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास, मूल्य सवंर्धन के प्रोत्साहन, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के विनियमन, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करारों को लागू करने तथा निर्यातों को बढ़ाने, आदि जैसे विभिन्न नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक हित में जारी की जाती हैं।*

कर व्यय का प्रशासन

1.42 हमने अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर व्यय के मुद्दों का लगातार उल्लेख किया है जिसमें हमने अयोग्य निर्धारितिया द्वारा छूट लेने, गलत छूट के परिणामस्वरूप कम उद्ग्रहण तथा राजस्व की हानि होने आदि को इंगित किया था। हमने लघु उद्योगों तथा क्षेत्र आधारित छूट जैसी विशेष योजनाओं की भी समीक्षा की है।

1.43 हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल की क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं के संबंध में हमने छूट का लाभ उठाने वाले निर्धारितियों जो छूट के हकदार नहीं थे के दृष्टान्तों को इंगित किया[6]। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने 2008 में योजना को संशोधित किया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट के लाभ को पर्याप्त विनिर्माण कार्यकलाप के लिए सीमित किया और परिधीय गतिविधियों जैसे पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबलिंग, पुनः लेबलिंग, छंटाई आदि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट के लाभों से बाहर किया।

कर व्यय की प्रभावकारिता

1.44 पीएसी ने "लघु उद्योगों के लिए बनी रियायत का बड़े पैमाने के विनिर्माताओं द्वारा लाभ उठाए जाने" पर अपनी रिपोर्ट में पाया कि किसी प्रोत्साहन या रियायत को जारी रखने का विस्तृत मूल्यांकन द्वारा अनुपालन होना चाहिए जिससे विभाग लक्षित क्षेत्र की वृद्धि के संदर्भ में प्रभावकारिता का आकलन कर सके। यह भी कहा गया कि राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की नीति अपने उद्देश्य पूरा करती है, लाभ, नुकसान, कमियों तथा लघु उद्योग छूट योजना के क्रियान्वयन में देखे गए दुरूपयोग के मामलों को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन/समीक्षा करनी चाहिए[7]। आर्थिक सर्वेक्षण वि.व. 13 में भी टिप्पणी की गई है कि "हर अलग मामले के आधार पर छूटों अथवा उनके क्रम के लाभ को सीमित करना ही श्रेयकर है ताकि एक विस्तृत कर आधार के माध्यम से पूर्ण सम्भावित कर की उगाही की जा सके[8] ।"

1.45 मंत्रालय ने परित्यक्त राजस्व को "लक्षित सहायता" के रूप में सूचित करते समय कर व्यय के वांछित परिणामों पर मूल्यांकन रिपोर्ट यदि कोई है के निष्कर्षों को प्रकट नहीं किया। हम महसूस करते हैं कि सरकार को यथोचित समयावधि के अन्दर किसी विशेष कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली कटौती तथा विशेष छूटों सहित नीति स्तरीय सामान्य छूटों के परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा विश्लेषण बजट दस्तावेजों के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए अथवा विशेष रिपोर्टों के रूप में, जो कि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होना चाहिए।

1.46 *मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि सभी छूटों की समय-समय पर विशेषतः वार्षिक बजटीय क्रिया के दौरान समीक्षा की जाती है तथा ऐसी छूटों को जो लम्बे समय से नियत उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही, को एक उचित मूल्यांकन के बाद हटा/रद्द कर दिया जाता है। मंत्रालय ने आगे बताया*

[6] 2006 की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.7

[7] पीएसी (2007-2008) (14वी लोकसभा) की 68वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 3 पर पैरा 7

[8] आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 पृष्ठ 68

कि उतरांचल, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर पूर्व के संबंध में छूटें निरंतर नहीं है और इन्हें विशेष अवधि के लिए दिया गया है।

1.47 लेखापरीक्षा दोहराती है कि कर व्यय के महत्व को मानते हुए सरकार, सभी कर छूटों की समय -समय पर समीक्षा, ऐसी समीक्षाओं के परिणामों के दस्तावेजीकरण और परिणामों की रिपोर्टिंग अधिमान्य रूप से बजट दस्तावेजों के रूप में करने पर विचार कर सकती है। ऐसी प्रणाली पारदर्शिता लायेगी तथा नियमित/तदर्थ कर रियायतों को जारी रखने की आवश्यकता पर सार्वजनिक वाद विवाद को सक्षम बनाएगी। लेखापरीक्षा, मैसर्स माइन्डट्री लिमिटेड बनाम संघ सरकार में दिनांक 12 जून 2013 के निर्णय में कर्नाटक उच्च न्यायलय के अवलोकन, कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि प्रत्येक कर छूट और प्रोत्साहन में साविधिक समाप्ति धारा होनी चाहिए, को भी इंगित करती है [9]।

निर्धारिती आधार

1.48 "निर्धारिती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित शुल्क के भुगतान का दायी है अथवा उत्पादक है या उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्माता है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहित किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.16 पिछले दस वर्षो के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती हैः

तालिका 1.16: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निर्धारितियों की संख्या

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
वि.व.03	1,26,618	-
वि.व.04	1,86,001	46.90
वि.व.05	2,10,141	12.98
वि.व.06	2,31,830	10.32
वि.व.07	2,55,605	10.26
वि.व.08	2,77,480	8.56
वि.व.09	2,98,425	7.55
वि.व.10	3,05,622	2.41
वि.व.11	2,99,357	(-)2.05
वि.व.12	3,17,005	5.90

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

1.49 100 शीर्षस्थ निर्धारितियों (राजस्व योगदान के अनुसार) जिनमें तेल क्षेत्र की कम्पनियाँ, तम्बाकू उत्पाद, ऑटोमोबाइल, सीमेन्ट, स्टील तथा टायर निर्माता शामिल हैं, ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में 70 प्रतिशत का योगदान दिया।

[9] बैंगलौर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी सं. 16896/2012

1.50 तालिका 1.17 पिछले दस सालों के दौरान सेवा कर निर्धारितियो की संख्या में वृद्धि बताती है:

तालिका संख्या 1.17 सेवा कर में कर आधार

वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
वि.व.03	52	2,32,048	-
वि.व.04	62	4,03,856	74.04
वि.व.05	75	7,74,988	91.90
वि.व.06	84	8,46,155	9.18
वि.व.07	99	9,40,641	11.17
वि.व.08	100	10,73,075	14.08
वि.व.09	106	12,04,570	12.25
वि.व.10	109	13,07,286	8.53
वि.व.11	117	13,72,274	4.97
वि.व.12	119*	15,35,570	11.90

स्रोतः वि.व. 03 से वि.व. 10 के लिए –डीजीएसटी, वि.व.11 एवं वि.व. 12 के लिए–मंत्रालय

* 01.07.2012 से प्रभावी, कुछ अपवर्जन/अपवादों को छोड़कर अधिकतर गतिविधियां एसटी के प्रति दायी है।

बकाया कर

1.51 उद्भूत किए गए लेकिन वसूल न किए गए राजस्व की वसूली की विभिन्न पद्धतियों के लिए कानून में प्रावधान है। इसमें राशियों के प्रति समायोजन, यदि कुछ भी उस व्यक्ति को देय है जिससे राजस्व वसूली योग्य है, कुर्की द्वारा वसूली और उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री एवं जिला राजस्व प्राधिकार के माध्यम से वसूली शामिल है। सेवा कर के संबंध में कर बकाया की प्रतिशतता के रूप में, बकाया की वसूली विभाग के निष्पादन को उजागर करते हुए, घटती प्रवृत्ति (तालिका 1.18) दर्शाता है।

तालिका 1.18: राजस्व वसूली-सेवा कर

₹ करोड़ में

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष की शुरूआत में बकाया की % के रूप में संग्रहण
वि.व.08	1,547.96	583.11	37.67
वि.व.09	2,503.09	1,198.68	47.89
वि.व.10	4,441.61	864.30	19.46
वि.व.11	8,874.93	1,642.01	18.50
वि.व.12	14,107.19	1,591.40	11.28

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

1.52 *मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि कर बकाया वसूली के क्षेत्र को संवर्ग पुनर्निर्धारण के दौरान उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है।*

1.53 लेखापरीक्षा कर वसूली तंत्र को सुदृढ करने के लिए और संवर्ग पुनर्निर्धारण प्रस्तावों की प्रतिक्षित मंजूरी के बावजूद उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए आवश्यकता को दोहराता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर प्रशासन

1.54 सीबीईएस ने 1996 और 2001 में क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण की शुरूआत के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा सहित एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों का मूल कार्य है जिन्हें शुल्क भुगतान की यर्थाथता सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तिकाओं के अनुसार, रेंज अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई और संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट डिवीज़न के क्षेत्राधिकारी सहायक आयुक्त/उपायुक्त को प्रस्तुत की जानी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् प्राथमिक संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा की जाती है तथा विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा चिह्नित या उसके अलावा विवरणियों की परम्परागत रूप में की जाती है।

विवरणियों की संवीक्षा

1.55 पिछले पाँच वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग का निष्पादन तालिका 1.19 और 1.20 में दिखाया गया है।

तालिका 1.19: केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

वर्ष	मामलों की संख्या				अवधि-वार ब्यौरा				
	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	निपटान	अंत शेष	< 3 माह	3-6 माह	6-12 माह	1-3 वर्ष	3 र्ष और उससे अधिक
वि.व. 08	86,943	78,383	80,386	84,940	75,255	6,990	2,268	354	73
वि.व. 09	94,499	80,820	81,489	93,830	82,871	9,080	1,559	245	75
वि.व. 10	1,01,911	83,413	85,811	99,513	88,219	9,422	1,348	432	92
वि.व. 11	1,53,833	74,719	69,422	1,59,130	1,18,514	28,272	11,296	960	88
वि.व. 12	3,08,734	89,713	1,03,898	2,94,549	1,71,259	68,765	38,082	16,388	55

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें।

तालिका 1.20: सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान निपटान	कमी/आधिक्य	कमी/आधिक्य %
वि.व.10	7,83,706	7,38,309	(-)45,397	(-)5.79
वि.व.11	8,08,760	8,34,532	25,772	3.19
वि.व.12	9,55,996	7,21,123	(-)2,34,873	(-)24.57

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें।

1.56 *मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि अक्तूबर 2011 से निर्धारिती आधार में वृद्धि और अनिवार्य इलैक्ट्रनिक फाईलिंग के फलस्वरूप संवीक्षा के लिए विवरणियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की कमी के कारण विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा को पूरा करना सम्भव नहीं है।*

1.57 स्व निर्धारण के आरम्भ होने के बाद भुगतान योग्य शुल्क की यर्थाथता को सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की संवीक्षा (और निर्धारिती की) और आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभाग में उपलब्ध मुख्य तंत्र है। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका में सेवा कर विवरणियों के केवल 2 प्रतिशत की विस्तृत संवीक्षा निर्धारित है (पैरा 4.2 ए)। इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों के संबंध में प्रतिमान केवल 5 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य है कि निर्धारणों के बहुत कम भाग की विस्तृत संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अतः मंत्रालय की प्रतिक्रिया कि विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा को कर्मचारियों की कमी के कारण पूरा करना संभव नहीं है स्वीकार्य नहीं है। निर्धारणों की विस्तृत संवीक्षा की अनदेखी राजस्व संग्रहण के लिए गम्भीर आशंका उत्पन्न कर सकती है।

प्रतिदाय

1.58 तालिका 1.21 पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व से प्रतिदायों के रूप में संस्वीकृत धनराशियों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 1.21: पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विषय में प्रतिदाय

₹ करोड़ में

वर्ष	के.उ.शु. प्राप्तियाँ	*प्रतिदाय	के.उ.शु. राजस्वों के % के रूप में प्रतिदाय
वि.व 03	82,310	5,182	6.30
वि.व 04	90,774	5,216	5.75
वि.व 05	99,125	5,902	5.95
वि.व 06	1,11,226	6,930	6.23
वि.व 07	1,17,613	6,183	5.26
वि.व 08	1,23,611	12,736	10.30
वि.व 09	1,08,613	16,881	15.54
वि.व 10	1,02,991	14,988	14.55
वि.व 11	1,37,701	12,102	8.79
वि.व 12	1,44,901	16,748	11.56

*स्रोतः प्र. सीसीए

1.59 यदि प्रतिदाय की मंजूरी/वितरण में विलम्ब होता है, तो निर्धारित दर पर ब्याज देय होता है। भारत की समेकित निधि पर भारित होने के नाते ऐसी ब्याज की अदायगी उचित बजटीय तन्त्र के माध्यम से ही की जानी चाहिए।

1.60 हमने देखा कि विलम्बित प्रतिदायों पर अदा किए गए ब्याज का लेखाओं में व्यवहार राजस्व में कटौती के रूप में था[10]। इस व्यय के लिए संसद से पहले से मंजूरी नहीं थी। अतीत में भी संघ लेखाओं के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर प्रशासन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस विषय पर टिप्पणियाँ की गई हैं। लोक लेखा समिति ने मामले की जांच करने के पश्चात् संसद को बताया कि महान्यायवादी सीएजी के विचारों से सहमत थे और समिति को सूचित किया कि कर संग्रहण को प्राप्ति के रूप में तथा करों के प्रतिदाय पर देय ब्याज के अनुमानों को व्यय के रूप में स्पष्टतः दर्शाना उचित तरीका होगा[11]। पीएसी ने निष्कर्ष निकाला कि संसद को ब्याज देयता की रिपोर्टिंग देश के वित्तीय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता ला सकेगी, संविधान को परिपुष्ट करेगी, ब्याज भार को कम करेगी तथा कर प्रशासन में कुशलता लाएगी।

1.61 *मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि प्रतिदाय पर भुगतान योग्य ब्याज का मामला व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और पारदर्शिता लाने के लिए संसद को सूचित किया जाना चाहिए। मामला सीबीडीटी के साथ चर्चा के अन्तर्गत हैं और दोनों बोर्डों द्वारा समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।*

1.62 तालिका 1.22 पिछले चार वर्षों के दौरान प्रतिदायों पर ब्याज का भुगतान दर्शाती है। तथापि, मंत्रालय तथा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिदाय आंकड़ों में भिन्नता मिलान करने की आवश्यकता दर्शाती है।

तालिका 1.22: प्रतिदाय तथा अदा किया गया ब्याज - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़ में

वर्ष	**प्रतिदाय**	**ब्याज**	**प्रतिदाय का (% के रूप में) ब्याज**
वि.व.09	2,284.30	15.94	0.70
वि.व.10	2,107.58	1.56	0.07
वि.व.11	1,064.00	8.46	0.80
वि.व.12	1,263.43	6.91	0.55

स्रोतः मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े

सेवा कर का प्रतिदाय

1.63 निर्यातित सेवाओं पर अदा किए गए करों और निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये करों का प्रतिदाय वि.व. 05 में लागू प्रावधानों द्वारा संभव हो पाया। बाद में, संशोधन के परिणामस्वरूप सामान के निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये करों की प्रतिपूर्ति (वि.व. 06) तथा निर्यातित माल में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये करों के प्रतिदाय को कवर करने के दायरे का विस्तार हुआ है। कुछ कर योग्य सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा अदा किये गये सेवा कर के प्रतिदाय हेतु सितम्बर 2007 की अधिसूचना के अनुसार प्रावधान किया गया, जोकि

[10] मंजूर किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रतिदाय वित्त लेखाओं में शुल्क उप-मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत संबंधित लघुशीर्षों के अन्तर्गत एक उप-शीर्ष के रूप में अलग से "कटौती प्रतिदाय" के रूप में दर्शाया गया है।

[11] पीएसी 2012-13, छियासठवीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा)

यद्यपि "इनपुट सेवाओं" की प्रकृति में न हो पर निर्यात सामान से जोड़ा जा सके। इसमें निर्यात हेतु उपलब्ध कराई गई पत्तन सेवाएं/अन्य पत्तन सेवाएं और आईसीडी से निर्यात पत्तन तक सड़क/रेल द्वारा सामान के परिवहन की माल ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा शामिल हैं।

1.64 हमनें तालिका 1.23 में पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग द्वारा संस्वीकृत प्रतिदायों को सारणीबद्ध किया है[12]।

तालिका 1.23: सेवा कर में प्राप्तियाँ एवं प्रतिदाय

₹ करोड़ में

वर्ष	**सेवा कर प्राप्तियाँ**	***प्रतिदाय**	**निवल सेवा कर राजस्व के % के रूप में प्रतिदाय**
वि.व.08	51,301	17.64	0.03
वि.व.09	60,941	169.04	0.28
वि.व.10	58,422	606.56	1.04
वि.व.11	71,016	520.12	0.73
वि.व.12	97,356	1,326.87	1.36

*स्रोतः प्र. सीसीए का कार्यालय

1.65 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान (वि.व.08 से वि.व.12) प्रत्येक वर्ष प्रतिदायों के रूप में कुल संस्वीकृत राशि सेवा कर प्राप्तियों की 2 प्रतिशत के अंदर थी।

1.66 तथापि, वि.व. 08 और वि.व. 12 के बीच सेवा कर प्रतिदायों में ₹ 18 करोड़ से ₹ 1,327 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, जबकि कर संग्रहण 100 प्रतिशत से कम बढ़ा, इन्हीं पांच वर्षों में प्रतिदायों में तेजी से वृद्धि हुई। इसलिए, विभाग द्वारा प्रतिदायों की निगरानी ध्यान से किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणतः, कथित सामान के निर्यात हेतु प्रयुक्त विशिष्ट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के किसी प्रतिदाय को किसी निर्यातक को अदा किया गया परन्तु उस सामान के संबंध में बिक्री प्राप्तियों की उगाही विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुमत अवधि में नहीं की गई थी, ऐसा सेवा कर प्रतिदाय कानून के अंतर्गत वसूली योग्य होगा।

1.67 लेखापरीक्षा ने पाया कि आयुक्तालयों ने प्रतिदाय की पश्च्-लेखापरीक्षा की। पश्च-लेखापरीक्षा आदेशों के लागू करने में चूकें हो सकती है। लेखापरीक्षा ने कोलकाता से एक रोचक मामला पाया जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.94 में की गई है।

अधिनिर्णय

1.68 अधिनिर्णय वर्गीकरण, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, देय कर/शुल्क आदि से संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए सशक्त विभागीय प्राधिकरणों के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय करने की प्रक्रिया है। जब भी अनियमितताएँ देखी जाती हैं तो विभाग निर्धारितियों से 'कारण बताओ नोटिसों' (एससीएन) के रूप में माँग करता है।

[12] संस्वीकृत प्रतिदाय वित्तीय लेखों में प्रत्येक सेवा वर्ग के लिए 0044 के तहत खोले गए लघुशीर्ष के अन्तर्गत उपशीर्ष (सी) - कटौती प्रतिदायों के अंतर्गत दर्शाये गये हैं।

अधिनिर्णय/वसूली हेतु लंबित बकाया मामले - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1.69 हमनें तालिका 1.24 में पिछले दस वर्षों के दौरान अधिनिर्णय/वसूली के लिए बकाया उत्पाद शुल्क हेतु माँग में शामिल राशियों को दर्शाया है।

तालिका 1.24: विभिन्न प्राधिकारणों पर लंबित माँगें - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़ में

वर्ष	अधिनिर्णयकर्ता अधिकारी	आयुक्त (अपील)	सीबीईसी एवं सरकार	न्यायपालिका के पास	बलपूर्वक वसूली उपायों हेतु लंबित	कुल
वि.व 03	15,031.68	3,378.92	15.03	10,945.41	1,272.59	30,643.63
वि.व 04	11,529.87	1,914.36	11.80	8,821.93	1,433.12	23,711.07
वि.व 05	11,043.23	1,403.97	64.26	11,815.39	2,734.34	27,061.19
वि.व 06	2615.10	400.04	5.49	4,657.21	1,443.86	9,121.70
वि.व 07	5,634.77	1,152.17	114.54	20,011.35	4,868.07	31,780.90
वि.व 08	11,377.69	932.19	53.50	12,169.01	5,890.44	30,422.83
वि.व 09	11,844.59	1,988.17	171.68	23,702.94	13,183.73	50,891.11
वि.व 10	12,654.51	3,434.61	62.88	1,18,612.50	5,361.06	14,0125.56
वि.व 11	12,409.33	1,878.53	41.85	33,521.91	4,609.29	52,460.91
वि.व 12	15,663.69	2,493.48	28.54	28,677.73	7,309.21	54,172.65

स्रोतः मंत्रालय द्वारा दिए गए आँकड़े

1.70 तालिका 1.24 दर्शाती है कि ₹ 54,172.65 करोड़ के शुल्क संबंधित मामले 31 मार्च 2012 को विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित थे जिसमें से ₹ 15663.69 करोड़ (29 प्रतिशत) के राजस्व वाले मामले विभाग के अधिनिर्णयकर्ता अधिकारियों के पास थे। ₹ 28677.73 करोड़ (53 प्रतिशत) के राजस्व वाले मामले न्यायपालिका के पास लंबित थे।

अधिनिर्णय/वसूली हेतु लंबित बकाया मामले - सेवा कर

1.71 पिछले दस वर्षों के दौरान अधिनिर्णय/वसूली हेतु बकाया सेवा कर की माँगों में शामिल राशियों को तालिका 1.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: विभिन्न प्राधिकरणों पर लंबित माँगे - सेवा कर

₹ करोड़ में

वर्ष	अधिनिर्णय करने वाले अधिकारी	अपील आयुक्तालय	सीबीईसी और सरकार	न्यायपालिका के पास	बलपूर्वक वसूली उपाय हेतु लंबित	कुल
वि.व 03	351.34	48.53	0.72	97.12	4.25	501.96
वि.व 04	702.56	85.48	0.12	112.48	38.55	939.19
वि.व 05	1,238.34	759.72	2.19	438.77	64.65	2,503.67
वि.व 06	358.46	82.46	1.05	80.31	53.40	575.68
वि.व 07	1,946.76	173.04	2.58	978.87	299.75	3,401.00
वि.व 08	4,093.22	302.99	0.75	1,499.23	467.83	6,364.02
वि.व 09	11,622.6	1,160.49	10.12	2,793.64	6,846.06	22,432.91
वि.व 10	16,219.12	491.14	5.44	36,389.39	1,443.34	54,548.43
वि.व 11	30,266.05	4,794.43	10.13	11,883.84	1,304.23	48,258.68
वि.व 12	49,091.42	1,365.68	0.00	20,593.47	2,224.18	73,274.74

स्रोतः मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े

1.72 तालिका 1.25 दर्शाती है कि विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर लंबित मांगों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। कुल बकाया राजस्व ₹ 70,000 करोड़ पार कर गया। ₹ 73,274 करोड़ के कर निहितार्थ वाले मामले विभिन्न प्राधिकारियों के पास वि.व. 12 के अंत तक लंबित थे, जिनमें से विभाग के अधिनिर्णय करने वाले अधिकारियों के पास ₹ 49091 करोड़ (67 प्रतिशत) वाले मामले लंबित थे।

1.73 अधिनिर्णयन चरण पर बढ़े हुए लंबित मामलों का एक कारण सेवा कर से संबंधित अधिनिर्णयन के निपटान हेतु कोई निर्धारित समय-सीमा न होना है। लेखापरीक्षा द्वारा यह मुद्दा एक पूर्व लेखापरीक्षा रिपोट में उठाए जाने पर मंत्रालय ने संवर्ग पुनर्गठन के समय सेवा कर में ऐसी संभावनाओं को बताया था[13]।

1.74 जून 2010 में शुरू की गई राष्ट्रीय अभियोग नीति इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियाँ देश के न्यायालयों और अधिकारणों में प्रमुख वादी हैं। इसका उद्देश्य सरकार को एक सक्षम और जिम्मेदार वादी बनाना है। वित्तीय वर्ष 12 के बजट भाषण में बताया गया कि अभियोगों को घटाने और उच्च राजस्व मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय वर्ष 11 में कदम उठाये गए थे। कर प्रभाव की सीमा जिसके नीचे के कर विवादों को अपील हेतु उच्चत्तर न्यायालयों में सरकार द्वारा नहीं उठाया जाएगा को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये गए है। इन उपायों से राजस्व बढ़ाने में लगे संसाधनों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

1.75 सीसीई बनाम टेक्नो इकोनमिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बॉम्बे उच्च-न्यायलय ने दिनांक 21.06.2010 के अपने आदेश में यह इच्छा जाहिर की थी कि सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप सीबीईसी एक परिपत्र जारी करे ताकि अप्रत्यक्ष कर अभियोगा के कारण उठे

[13] सीएजी की 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25

विवादों को कम किया जा सके[14]। तद्नुरूप, सीबीईसी ने कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए[15]। सीबीईसी ने विधिक मामलों के निदेशालय को मासिक विवरणियाँ (एमटीआर परिशिष्ट) प्रस्तुत करने की भी शुरूआत की (मई 2011)।

1.76 *अपीलों के लम्बन पर चिन्ता करते हुए मंत्रालय ने बताया (मार्च 2013) कि पिछले वर्ष मामलों के शीघ्र निपटान के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गयेः-*

(i) *सीईएसटीएटी की अतिरिक्त बेंच बनाने के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में विचाराधीन है।*

(ii) *सीईएसटीएटी में सदस्यों/अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरा गया है।*

(iii) *₹ 10 लाख की मौजूदा सीमा की जगह ₹ 50 लाख तक के मामलों की सुनवाई/निपटान के लिए एकल सदस्यीय बेंच की शक्तियों को बढ़ाने के लिए वैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह एकल सदस्य बेंच और डिवीजन बेंच के मध्य लम्बित मामलों के उचित वितरण द्वारा शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशित है।*

(iv) *निपटान आयोग द्वारा मामलों के निपटान की सुविधा का विस्तार सेवा कर मामलों के लिये भी है।*

(v) *वित्त विधेयक 2013 में मौजूदा आयातक/निर्यातक, उत्पादक और विनिर्माताओं को कवर करने हेतु अग्रिम निर्णय के लिये प्राधिकरण के क्षेत्र को बढ़ाने और उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में उपयोग किये गये इनपुट सेवा शुल्क पर भुगतान या अदा की गई सेवाओं पर क्रेडिट की स्वीकार्यता के अग्रिम निर्णय प्रावधानों को भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अतिरिक्त 'रेजीडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी' सीमा शुल्क के समान प्रावधानों के अनुसार सेवा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में अग्रिम निर्णय की मांग के लिए अब पात्र हो गई है।*

(vi) *लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान करने के लिए आयुक्त (अपील) का कार्यभार पुनः वितरित कर दिया है।*

(vii) *विभाग की तरफ से मुकद्दमेबाजी को कम करने, फालतू अपील को कम करने के लिये लगातार प्रयास हो रहा है जैसाकि नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट हैः*

तालिका 1.26 : सर्वोच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर अपीलों की संख्या

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	दायर अपीलों की संख्या*
वि.व.11	800	418
वि.व.12	612	365
वि.व.13 (15.03.2013)	233	102

स्रोतः मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.03.2013 के उत्तर में दिये गये आँकड़े

*इसमें एसएलपीज एवं सिविल अपीलें दोनों शामिल हैं।

[14] 2010 (255) ईएलटी 526 (बॉम्बे)

[15] सीबीईसी का दि. 20 अक्टूबर 2010 का अनुदेश

कॉल बुक

1.77 मौजूदा परिपत्र में विषय पर यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागिय अपील, न्यायालय से आदेश, सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियों के वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 03.01.2005 के अपने डी.ओ. एफ सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक में मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में माहवार समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया और बताया कि कॉल बुक मामलों की समीक्षा से कॉल बुक मे अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। हमने आयुक्तालयों, डिवीज़नों ओर रेंज की कार्यप्रणाली पर हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समान लाइनों पर कतिपय मामले बताए थे[16]।

1.78 हाल के कुछ वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा-कर में कॉल बुक निपटान के संबंध में हमने विभाग के निष्पादन को सारणीबद्ध किया (तालिका 1.27 एवं 1.28) और देखा कि कॉल बुक मामलों का लंबन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मदों की समीक्षा की प्रक्रिया की गहन निगरानी करने की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय से लंबित कॉल बुक मामलों की संख्या अकेले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 20000 पार कर गयी। अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई आपत्तियों के माध्यम से मानिटरिंग और समीक्षा को सुदृढ करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है (इस रिपोर्ट का पैरा सं. 3.19 का संदर्भ लें)।

तालिका 1.27: लंबित कॉल बुक मामले - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़ में

वर्ष	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अंत में अंत शेष	शामिल राजस्व	लम्बन का अवधिवार ब्यौरा			
				3 महीने से कम	3-6 महीने	6-12 महीने	1 वर्ष से अधिक
वि.व.08	7,963	24,354	23,101	3,173	2,072	2,372	16,737
वि.व.09	8,110	23,072	24,101	2,980	1,497	2,245	16,350
वि.व.10	5,942	24,451	32,020	3,499	1,795	2,764	16,393
वि.व.11	4,479	27,337	41,253	3,093	2,198	2,880	19,166
वि.व.12	4,867	30,542	46,586	3,264	2,438	2,874	21,966

स्त्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

तालिका 1.28: लंबित कॉल बुक मामले-सेवाकर

₹ करोड़ में

वर्ष	लंबित मामले		लम्बन का अवधिवार ब्यौरा					
			1 वर्ष तक पुराने		1से2 वर्ष तक पुराने		2 वर्ष से अधिक पुराने	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि.व. 12	9,587	16,605.14	2,488	5,033.53	3,322	7,119.00	3,780	4,456.81

स्त्रोतः मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडे

[16] सीएजी की 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 25, पैरा 6.3

विभाग द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा

1.79 भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार विशिष्ट विशेषताएँ हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात् वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर देना, विधिक रिकार्डों के प्रति कारोबार रिकार्डों की जाँच करना तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी करना।

1.80 लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रांरभिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना का एकत्रीकरण और प्रलेखन, संयंत्र का दौरा, आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन, राजस्व और प्रवृत्तियों के लिए जोखिमों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा योजना का विकास, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार करना, निर्धारिति/रैंज अधिकारी/मंडलीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा और फिर रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा उपकरणों का रचनात्मक उपयोग- विशेष रूप से बड़ी निर्धारित यूनिटों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

1.81 लेखापरीक्षा रूपरेखा में तीन भाग हैं। महानिदेशक लेखापरीक्षा और आयुक्तालय लेखापरीक्षा के प्रशासन की जवाबदेही के भागी होते हैं। जबकि निदेशालय लेखापरीक्षा निष्कर्षो के एकत्रीकरण, संकलन और विश्लेषण और उपभोक्ता संतुष्टि के मानदंड के स्तर और कर के अनुपालन में सुधार के लिए सीबीईसी हेतु उसकी फीडबैक के लिए जिम्मेदार है। आयुक्तालय ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकाल के निबंधनों में वास्तविक लेखापरीक्षा का आयोजन करते हैं। तकनीकी रूपरेखा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून से संबंधित कानून की मूल पुस्तकें, मैनुअल, परिपत्र, पत्रिकायें आदि शामिल हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा मैनुअलों, जोखिम प्रबंधन मैनुअलों और लेखापरीक्षकों को ईए 2000 और सीएएटीएस में प्रशिक्षित करने के लिए, जो लेखापरीक्षा करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाऐं निर्धारित करता है, मैनुअलों को विकसित करने में एशियन डिवलपमेंट बैंक की सहायता ली। आधारभूत ढांचे में, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में गुणवत्ता लाने के लिये समर्थक और प्रेरक शामिल होते हैं।

विभाग द्वारा निर्धारितियों की लेखापरीक्षा-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.82 हमने पहले भी ये सिफारिश की थी कि कर्मचारियों की कमी के कारण लेखापरीक्षा कवरेज में कमी को अनिवार्य और गैर-अनिवार्य यूनिटों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकता है[17]। बोर्ड ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि डीजी (लेखापरीक्षा) ने अनिवार्य और गैर-अनिवार्य यूनिटों की लेखापरीक्षा के साथ साथ लेखापरीक्षा की आपत्तियों और वर्ष 2010-11 हेतु आयुक्तालयों के विभाग की गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा में उसी प्रकार के निष्कर्षों के लिए निर्धारित मानदंडो के प्रति मुख्य आयुक्तों को दिनांक 22 नवंबर 2011 के पत्र द्वारा संबोधित किया था। मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की यूनिटों की लेखापरीक्षा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है

[17]" आयुक्तालयों, डिवीजनों और रेंजों की कार्य प्रणाली", पर सीएजी की 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 25, सिफारिश सं.-12

1.83 लेखापरीक्षित यूनिटों की तुलना में आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु (वित्त वर्ष 12 के दौरान) अपेक्षित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण हमने तालिकाबद्ध (तालिका 1.29) किया है।

तालिका 1.29: 2011-12 के दौरान निर्धारितियों की की गई लेखापरीक्षा-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए +सेनवेट)	अपेक्षित लेखापरीक्षा की संख्या	नियोजित ईकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (% में)
₹ 3 करोड़ से अधिक वार्षिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाईयाँ (श्रेणी क)	8,559	8,512	7,586	11
₹ 1 करोड़ से ₹ 3 करोड़ के बीच वार्षिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाइयाँ (श्रेणी ख)	5,137	5,504	4,880	5
₹ 50 लाख से ₹ 1 करोड़ के बीच वार्षिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाइयाँ (श्रेणी ग)	2,094	2,727	2,205	(-)5
₹ 50 लाख से कम वार्षिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाईयाँ (श्रेणी घ)	7,250	7,672	6,111	16

स्रोतः मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

1.84 उपरोक्त तालिका संकेत करती है कि "श्रेणी क" ईकाइयों (अनिवार्य ईकाइयाँ) एवं "श्रेणी ख" (उच्च राजस्व-गैर अनिवार्य) ईकाइयों की कवरेज में कमी हुई थी। दूसरी तरफ, विभाग ने मानको की अधिकता में श्रेणी "ग" इकाइयों के लिए योजना बनाई तथा उन्हें कवर किया। श्रेणी "घ" के संबंध में, विभाग ने निर्धारित मानकों की अधिकता में निर्धारितियों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई।

1.85 *गैर-अनिवार्य इकाईयों की अधिक कवरेज को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि श्रेणी ग के अन्तर्गत आने वाली ईकाइयों की लेखापरीक्षा मानदण्डों से ज्यादा होने की इस प्रवृति को कम करने में काफी सुधार हुआ है एवं इसके सुधार प्रयासों के एक वर्ष के अन्दर ऐसे कवरेज में 150 प्रतिशत से 110 प्रतिशत की कमी हुई है।*

विभाग द्वारा निर्धारितियों की लेखापरीक्षा-सेवा कर

1.86 लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु (वित्त वर्ष 12 के दौरान) अपेक्षित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण हमने तालिकाबद्ध (तालिका 1.30) में किया है।

तालिका 1.30: 2011-12 के दौरान निर्धारितियों की की गई लेखापरीक्षा-सेवा कर

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए +सेनवेट)	अपेक्षित इकाईयों की संख्या	नियोजित ईकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (% में)
₹ 3 करोड़ से अधिक सेवा कर का भुगतान करने वाली इकाइयाँ (श्रेणी क)	2,727	2,615	1,368	50
₹ 1 करोड़ से ₹ 3 करोड़ तक के बीच सेवा कर का भुगतान करने वाली ईकाइयाँ (श्रेणी ख)	2,414	2,332	1,237	49
₹ 25 लाख से ₹ 1 करोड़ तक के बीच सेवा कर का भुगतान करने वाली ईकाइयाँ (श्रेणी ग)	5,355	6,728	1,799	66
₹ 25 लाख से कम सेवा कर का भुगतान करने वाली ईकाइयाँ (श्रेणी घ)	16,228	74,005	6,581	59

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

1.87 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सभी श्रेणियों की ईकाइयों की लेखापरीक्षा मे कमी हुई थी। वित्त वर्ष 12 में श्रेणी क ईकाइयों (अनिवार्य ईकाइयाँ) एवं श्रेणी ख ईकाइयों (उच्च राजस्व गैर-अनिवार्य ईकाइयाँ) में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई थी। विभाग ने 6581 श्रेणी घ ईकाइयों की लेखापरीक्षा की थी जबकि श्रेणी क एवं ख ईकाइयाँ की क्रमशः 1359 एवं 1177 ईकाइयाँ बिना लेखापरीक्षा के छोड़ दी थीं। हमने पाया कि मुम्बई एसटी-1 आयुक्तालय, जो देश में अधिकतम राजस्व देता है, में लेखापरीक्षा में कमी अत्यधिक गंभीर थी। मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, मुम्बई जोन-1 द्वारा महानिदेशक लेखापरीक्षा (सीबीईसी) को प्रस्तुत त्रैमासिक प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि वित्त वर्ष 12 के दौरान, आयुक्तालय ने वर्ष के दौरान 33385 ईकाइयों में से 2213 ईकाइयों (700 अनिवार्य ईकाइयों सहित) को "लेखापरीक्षा की जानी है" के रूप में दर्शाया। यद्यपि पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्ध लेखापरीक्षा समूह के साथ केवल 312 ईकाइयों एवं 407 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी थी। हालांकि आयुक्तालय ने बताया कि मानवशक्ति का इष्टतम उपयोग किया जा रहा था, तथ्य यही है कि संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा स्व-आकलन के वर्तमान परिदृश्य में विभाग के दो मुख्य अनुपालन जाँच तंत्र हैं। सेवा कर विवरणियों की सवीक्षा हेतु मैनुअल में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सेवा कर रिटर्नों के केवल 2 प्रतिशत की विस्तृत संवीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। मंत्रालय ने भी यह संकेत दिया कि कर्मचारी संसाधनों के सीमित होने के कारण संपूर्ण विस्तृत संवीक्षा करना संभव नहीं हैं। अनिवार्य इकाइयों की लेखापरीक्षा को पूरा करने में लगातार कमी के साथ-साथ निम्न मानक निर्धारित होते हुए भी विस्तृत संवीक्षा को पूरा न कर पाने को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा मानता है कि सरकार को देय राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी अभीष्ट भूमिका को निभाने में इन दो अनुपालन सत्यापन तंत्रों की पर्याप्तता की समीक्षा की आवश्यकता है।

1.88 यदि यह माना जाए कि प्रत्येक 12 महीनों में 9,00,000 एसटी-3 रिटर्ने भरी जाती हैं (तालिका 1.20) तो इसका अर्थ है कि रिटर्नों के केवल 18,000 निर्धारणों की विस्तार से संवीक्षा की जानी है। हालाँकि हमने देखा कि कुछ रेंजों में कोई विस्तृत संवीक्षा आयोजित नहीं की गई थी (इस रिपोर्ट का अध्याय III)। ऐसे परिदृश्य में, सेवा कर प्रणाली में अनुपालन जाँच प्रणाली की अपर्याप्तता चिंता का विषय है।.

1.89 *मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि विभाग के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप् कर दाताओं की कुल संख्या 2010-11 में 6,02,094 से बढ़कर 2011-12 में 8,45,727 हो गई थी परन्तु करदाताओं की लेखापरीक्षा करने के लिए विभाग में अपेक्षित कर्मचारियों की कमी थी।*

1.90 कर आधार में वृद्धि से जरूरी नहीं कि कर प्रशासन संबंधी स्टाफ में वृद्धि की आवश्यकता हो। जबकि मंत्रालय ने स्टाफ की कमी को चिंता का विषय बताया, हम महसूस करते हैं कि विवरणीयों के भरे जाने को स्वचालित करने एवं कर के ई-भुगतान के प्रस्ताव के बाद, विभाग बेहतर जोखिम निर्धारण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा की सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों के साथ स्थिति में अभी भी बदलाव कर सकता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता

1.91 हमने पहले भी डैस्क समीक्षा, सत्यापनों और अनिवार्य इकाईयों की कवरेज के संबंध में निर्धारित मानकों का अन-अनुपालन देखा[18]। हाल की ही अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने यह पाया कि निर्धारिती परिसर में जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, वहाँ चूकें थी (देय सेवा कर के कम भुगतान और गैर-वापसी के मामले का पता न लगाना) जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.86 में दर्शाई गई हैं।

1.92 *मंत्रालय ने कहा (मार्च 2013) कि प्रत्येक वर्ष आयुक्तालयों की गुणवत्ता सुनिश्चितता समीक्षा (क्यूएआर) के दौरान लेखापरीक्षा प्रक्रिया के पालन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए है एवं लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करने एवं उन्हें कारगर बनाने तथा आयुक्तालयों को अधिक जवाबदेह बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।*

संग्रह की लागत

1.93 कुल संग्रह के सम्बन्धित आँकड़ों के साथ पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर संग्रह पर किये गए व्यय को तालिका 1.31 में दर्शाया गया हैः-

[18]"आयुक्तालयों, डिवीजन और रेंजों की कार्य प्रणाली", पर सीएजी की 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 25

तालिका 1.31: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियाँ और संग्रहण की लागत

₹ करोड़ में

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियाँ	सेवा कर से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	संग्रह की लागत	प्राप्तियों के % के रूप में संग्रह की लागत
वि.व. 03	82,310	4,122	86,432	703	0.81
वि.व. 04	90,774	7,891	98,664	751	0.76
वि.व. 05	99,125	14,200	1,13,324	826	0.73
वि.व. 06	1,11,226	23,055	1,34,281	895	0.67
वि.व. 07	1,17,613	37,598	1,55,211	975	0.63
वि.व .08	1,23,611	51,302	1,74,912	1,107	0.63
वि.व. 09	1,08,613	60,941	1,69,554	1,650	0.97
वि.व. 10	1,02,991	58,422	1,61,413	2,127	1.32
वि.व. 11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व. 12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,262	0.94

स्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

1.94 आईसीटी के व्यापक उपयोग और स्वचालन के होते हुए भी, संग्रहण की लागत में लगातार बढ़ोतरी होती रही। प्राप्तियों की प्रतिशतता के संदर्भ में दर्शाये गये संग्रहण के मूल्य का रेंज लगभग 1 प्रतिशत था (वि.व. 11 तथा वि. वर्ष 12)। प्रत्यक्ष करों के लिए संग्रहण के मूल्य से तुलना करने पर यह उच्चतर पक्ष की ओर प्रतीत होता है जो लगातार 0.75 प्रतिशत से नीचे बना रहा[19]।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों का प्रभाव

पिछले दस वर्षों के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ

1.95 पिछले दस वर्षो के दौरान हमने कई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ की जैसा कि तालिका 1.32 तथा 1.33 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.32: सीएजी की लेखापरीक्षा में दर्शाई गई मुख्य अनियमिततताएं - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़ में

वर्ष	न लगाया गया उपकर	न की गई मांग	शुल्क का कम/गैर उदग्रहण	ब्याज एवं शास्ति का अनुदग्रहण	छूट	उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन	सेनवेट क्रेडिट	उत्पाद शुल्क योग्य माल का वर्गीकरण	विशेष महत्व के विषय	विविध	कुल
वि.व.03	2.32	14.26	23.09	2.37	47.01	39.01	310.67	3.87	945.87	41.36	1,429.83
वि.व.04	15.26	164.34	81.24	485.84	34.18	67.68	307.53	–	707.80	19.83	1,883.70
वि.व.05	3.52	6.09	12.15	7.58	177.17	315.22	355.90	5.69	6,795.61	7.05	7,685.98
वि.व.06	3.63	–	15.40	17.73	37.18	51.37	55.17	1,199.56	–	8.24	1,388.28
वि.व.07	4.06	–	16.93	4.24	98.23	19.12	109.24	936.11	–	–	1,187.93
वि.व.08	4.25	49.18	292.32	1.47	135.94	39.28	180.62	–	–	–	703.06
वि.व.09	1.84	–	12.95	12.64	80.26	12.12	–	–	–	22.58	142.39
वि.व.10	–	–	13.55	6.74	4.12	114.56	120.75	–	–	50.23	309.95
वि.व.11	–	–	–	8.48	–	22.06	92.39	–	–	5.26	128.19
कुल	**34.88**	**233.87**	**467.63**	**547.09**	**614.09**	**680.42**	**1,532.27**	**2,145.23**	**8,449.28**	**154.55**	**14,859.31**

[19] सीएजी की 2011-12 की रिपोर्ट सं. 27, पैरा 1.5.4, पृष्ठ 15

तालिका 1.33: सीएजी की लेखापरीक्षा में दर्शाई गई मुख्य अनियमितताएं-सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेनवेट	छूट	सेवा कर का गलत निर्धारण	ब्याज	एसटी का कम/ गैर अनुदग्रहण	मूल्यांकन	विविध	कुल
वि.व.03	-	-	-	-	41.72	-	-	41.72
वि.व.04	-	-	-	-	17.94	-	-	17.94
वि.व.05	-	-	-	-	86.30	-	-	86.30
वि.व.06	233.54	-	-	-	23.94	-	13.02	270.50
वि.व.07	28.68	-	48.63	-	-	-	-	77.31
वि.व.08	177.56	-	-	-	79.29	-	17.90	274.75
वि.व.09	-	24.93	-	1.86	328.16	8.12	9.73	372.80
वि.व.10	18.63	8.77	-	1.59	128.09	0.16	4.92	162.16
वि.व.11	33.15	9.81	-	0.50	140.02	13.08	8.18	204.74
जोड़	**491.56**	**43.51**	**48.63**	**3.95**	**845.46**	**21.36**	**53.75**	**1,508.22**

इस प्रतिवेदन में जिन आपत्तियां पर चर्चा की गई है वे भी राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण क्षेत्र में विभाग के निष्पादन में अतिरिक्त सुधार की संभावना की ओर संकेत करती हैं।

राजस्व प्रभाव-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.96 पिछले पांच वर्षों (वर्तमान प्रतिवेदन सहित) के दौरान, हमने कुल ₹ 1429.42 करोड़ तक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्कवाले 634 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की सूचना दी। इनमें से सरकार ने ₹ 533.08 करोड़ के 502 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा ₹ 185.09 करोड़ की वसूली की थी। विवरण तालिका 1.34 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.34: पिछले पांच वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल आपतियाँ-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़ में

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफ		पैराग्राफ स्वीकार किए गए तथा/ अथवा उपचारी कार्यवाही की गई						की गई वसूलियाँ					
			प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल		प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.08	163	717.49	104	156.27	21	37.02	125	193.29	41	43.13	8	4.24	49	47.37
वि.व.09	75	156.84	41	48.30	6	2.15	47	50.45	24	27.59	3	2.00	27	29.59
वि.व.10	150	327.77	91	62.07	6	7.80	97	69.87	55	29.12	6	7.50	61	36.62
वि.व.11	159	158.00	133	117.64	15	34.76	148	152.40	67	46.60	3	0.19	70	46.79
वि.व.12	87	69.32	85*	67.07	-	-	85	67.07	48	24.72	-	-	48	24.72
कुल	**634**	**1,429.42**	**454**	**451.35**	**48**	**81.73**	**502**	**533.08**	**235**	**171.16**	**20**	**13.93**	**255**	**185.09**

* इनमें वे मामले शामिल हैं जहाँ राजस्व वसूली की गई/सुधारात्मक कार्यवाही प्रांरभ की गई परन्तु विभागीय चूक स्वीकार नहीं की गई।

राजस्व प्रभाव-सेवा कर

1.97 पिछले पांच वर्षों (इस प्रतिवेदन सहित) के दौरान, हमने कुल ₹ 1519.42 करोड़ के सेवा कर वाले 858 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की सूचना दी। इनमें से सरकार ने ₹ 1208.26 करोड़ राजस्व

के 793 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा ₹ 353.85 करोड़ की वसूली की सूचना दी। विवरण तालिका 1.35 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.35: पिछले पांच वर्षों में अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियाँ-सेवा कर

₹ करोड़ में

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफ		पैराग्राफ स्वीकार किए गए तथा/ अथवा उपचारी कार्यवाही की गई						की गई वसूलियाँ					
			प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल		प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.08	158	276.72	112	47.43	14	24.74	126	72.17	57	23.22	11	1.67	68	24.89
वि.व.09	155	375.55	130	305.13	8	4.92	138	310.05	90	127.49	1	0.24	91	127.73
वि.व.10	194	162.18	175	121.31	9	2.60	184	123.91	112	33.05	9	2.60	121	35.65
वि.व.11	199	204.74	184	185.69	11	17.79	195	203.48	122	78.76	9	2.24	131	81.00
वि.व.12	152	500.23	150*	498.65	–	–	150	498.65	88	84.58	–	–	88	84.58
कुल	**858**	**1,519.42**	**751**	**1,158.21**	**42**	**50.05**	**793**	**1,208.26**	**469**	**347.10**	**30**	**6.75**	**499**	**353.85**

* इनमें वे मामले शामिल हैं जहाँ राजस्व वसूली की गई/सुधारात्मक कार्यवाही प्रांरभ की गई परन्तु विभागीय चूक स्वीकार नहीं की गई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.98 लोक लेखा समिति ने अपनी नौवी रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोकसभा) में इच्छा प्रकट की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर हमारे द्वारा विधिवत पुनरीक्षित, की गई उपचारी/ सुधारात्मक कार्यवाही टिप्पण (एटीएन) संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि के चार माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाने चाहियें।

1.99 अप्रत्यक्ष करों पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर संबंधी पैराग्राफों पर अप्राप्त की गई कार्यवाही के टिप्पणों की समीक्षा से संकेत मिला कि वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संबंध में की गई उपचारी कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) प्रस्तुत करने में विलंब लगभग शून्य था। हमने अप्राप्त की जाने वाली कार्यवाही की स्थिति तालिका 1.36 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.36: लम्बित एटीएन की स्थिति

लम्बित एटीएन सं.	सम्बन्धित लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफ तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	मंत्रालय का नाम
1	सीएजी की 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 28 का पैराग्राफ 4.3 (डीएपी.1 सी)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अध्याय II

नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा बनाए गए अभिलेखों की जाँच की एवं शुल्क भुगतान एवं सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने की उपयुक्तता की जाँच की। हमने ₹ 61.44 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट के गलत अनुदान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/अल्प भुगतान एवं ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखे। हमने 78 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को ये आपत्तियाँ सूचित की। मंत्रालय/आयुक्तालय ने (मई 2013) 76 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ₹ 60.74 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की। इन पैराग्राफों के विवरण परिशिष्ट III में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया परन्तु सुधारात्मक कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी है। मंत्रालय ने एक ऑडिट पैराग्राफ का अभी उत्तर नहीं दिया है (मई 2013)।

विनिर्माण में प्रयुक्त न की गई विद्युत के उत्पादन में प्रयोग इनपुट सेवा एवं इनपुटों के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का प्रतिलोम न करना

2.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6 (1) अनुबन्ध करता है कि इनपुट अथवा इनपुट सेवा, जो ऐसे अन्तिम उत्पाद जो छूट प्राप्त हैं अथवा शुल्क की "शून्य" की दर के लिए प्रभार्य हैं, के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं, उस पर विनिर्दिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट संस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

2.3 इसके अतिरिक्त, नियम 6(3) प्रावधान करता है कि यदि सेनवेट क्रेडिट सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं जो छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्कयोग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त होती हैं एवं उनके प्रयोग के अलग लेखे नहीं बनाए गये हैं, पर प्राप्त किया गया है, तो विनिर्माता वहाँ विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन या तो छूट प्राप्त माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर एक राशि का भुगतान करेगा, अथवा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में प्रयोग किये गए इनपुट सेवाओं को दिए जाने योग्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

2.4 भुवनेश्वर I आयुक्तालय में, पिग आयरन के विनिर्माण में लगे, मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लि. ने इनपुटों जैसे पावर ऑयल, ट्रासफार्मर ऑयल, ऑयल एवं लुब्रीकेन्टस, बोरिक पाउडर, एलपीजी गैस इत्यादि एवं सामान्य इनपुट सेवाओं जैसे जीटीए, कोरियर सेवाओं इत्यादि पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। निर्धारिती ने विद्युत उत्पादन किया था जिसका ₹ 17.89 करोड़ मूल्य का हिस्सा वित्तीय वर्ष 08 के दौरान मैसर्स ग्रिडको को बेचा गया था। चूँकि निर्धारिती द्वारा इनपुट/इनपुट सेवाओं के अलग लेखे नहीं बनाए गए थे, वह या तो बेची गई बिजली के मूल्य के दस प्रतिशत के रूप में ₹ 1.79 करोड़ की राशि अथवा मैसर्स ग्रिडको को बेची गई बिजली के उत्पादन में लगे सेनवेट क्रेडिट के बराबर एक राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

2.5 *जब हमने यह बताया (अगस्त 2008), मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विद्युत एक उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद नहीं है, अतः, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के प्रावधान मामले पर लागू नहीं होंगे। यद्यपि, 2009 (240) ईएलटी 641 (एससी) में वर्णित मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारिती मैसर्ज ग्रिडको को बेची गई विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुटों एवं इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2013)।*

तेल कम्पनियों को बेचे गए पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क का कम भुगतान

2.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार "संव्यवहार मूल्य" का अर्थ माल, जब बेचा जाए के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य मूल्य है, जिसमें मूल्य के रूप में प्रभावित राशि के अतिरिक्त कोई राशि जो क्रेता विज्ञापन अथवा प्रचार, विपणन एवं विक्रय संगठन व्यय, भण्डारण, बाहरी सम्भलाई, सर्विस वारन्टी, कमीशन अथवा कोई अन्य मामला, परन्तु जिसमें उत्पाद शुल्क, ब्रिकी कर एवं अन्य कर, यदि कोई हैं, ऐसे माल में वास्तविक रूप से भुगतान किये गए अथवा भुगतान योग्य सम्मिलित नहीं हैं, के लिए अथवा प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि, सम्मिलित है परन्तु इस तक सीमित नहीं हैं, के विक्रय संबंधित होने के कारण निर्धारिती अथवा उसकी तरफ से किसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.7 कोचिन आयुक्तालय में पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में लगे मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), कोच्ची रिफाईनरी ने तेल कम्पनियो को 15^0 सैंटीग्रेड पर संगणित मात्रा पर आधारित, पाक्षिक रूप से निर्धारित, रिफाइनरी गेट प्राइस (आरजीपी) पर पाईपलाइन हस्तांतरण द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी की थी। प्रत्येक प्रेषित माल के लिए संव्यवहारों के लिए उत्पाद शुल्क बीजक तैयार किये गए थे एवं उत्पाद शुल्क बीजक में दर्शाये गए मूल्य पर शुल्क का भुगतान किया गया था। तेल कम्पनियों से भुगतान वाणिज्यिक बीजकों के आधार पर थे जो एक दस्तावेज अर्थात पंद्रह दिन के दौरान रिफाइनरी से निकसित मात्रा, जैसा कि प्राप्तकर्ता तेल कम्पनियों द्वारा पुष्टि की गई थी, को दर्शाते हुए संयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर पाक्षिक रूप से बनाए जाते थे। निर्धारिती ने वाणिज्यिक बीजक एवं उत्पाद शुल्क बीजक के बीच के कुल अन्तर के कारण, जिसके लिए शुल्क की छूट नहीं थी, वित्तीय वर्ष 10 के दौरान पारगमन लाभ के रूप में ₹ 6.28 करोड़ प्राप्त किए।

2.8 जब हमने यह बताया (नवम्बर 2010), आयुक्तालय ने कहा (अप्रैल 2012) कि निकासी शुल्क के भुगतान के लिए महत्त्वपूर्ण अवस्था है एवं निकासी के समय माल की स्थिति प्रासंगिक है एवं कानून में प्राप्ति मात्रा के संदर्भ में वास्तविक शुल्क देयता को निर्धारित करने के लिए क्रेताओं के परिसरों की खोजबीन के लिए प्रावधान नहीं है। आयुक्तालय ने आगे कहा कि पारगमन लाभ के मामले में वहाँ कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं हो रही थी एवं पारगमन लाभ में सम्मिलित विशिष्ट मूल्य पर शुल्क लगाना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के विरूद्ध है। यद्यपि, ₹ 17.04 करोड़ का सुरक्षात्मक एससीएन जारी किया गया था।

2.9 आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 4(1) की व्याख्या एवं संव्यवहार मूल्य की परिभाषा जैसा धारा 4(3)(डी) में परिभाषित है स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विक्रय के संबंध में, चाहे विक्रय के समय भुगतान योग्य हो या न हो, कोई राशि जिसके लिए क्रेता निर्धारिती को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, संव्यवहार मूल्य की संगणना में समझी जाएगी।

2.10 वाणिज्यिक और उत्पाद शुल्क बीजकों में दर्ज किये गए आंकड़ों में अन्तर निकासी के समय निकाले गए एवं विर्निमित माल के लिए देने योग्य था और अतः प्राप्त कोई भी अतिरिक्त प्रतिफल संव्यवहार मूल्य का हिस्सा होगा।

2.11 इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 804/2005 दिनांक 4 जनवरी 2005 के पैरा 2(i) में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि शुल्क अन्तिम उपयोगकर्त्ता द्वारा निकासी मात्रा एवं वास्तव में प्राप्त मात्रा के बीच किसी विशिष्ट मात्रा पर दिया जाएगा।

2.12 मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2013)।

सेवा कर

2.13 हमने सेवा कर के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा बनाये गए अभिलेखों की जाँच की और सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने तथा सेवा कर के भुगतान की सटीकता की जाँच की। हमने ₹ 478.04 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट की गलत मंजूरी, सेवा कर के गैर/अल्प भुगतान तथा ब्याज के गैर भुगतान के मामले देखे। हमने 124 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अवलोकनों को मंत्रालय के समक्ष रखा। मंत्रालय/आयुक्तालय ने 123 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली तथा ₹ 476.62 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कदम उठाये/सुधार किये। इन पैराग्राफों का विवरण परिशिष्ट IV में उपलब्ध है। एक ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में जबकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली, अभी भी सुधारात्मक कार्रवाई पूरी होने की सूचना दी जानी है।

श्रमबल की भर्ती तथा आपूर्ति एजेंसी सेवायें

2.14 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(68) के अनुसार, "श्रमबल की भर्ती अथवा आपूर्ति एजेंसी" का तात्पर्य है कि किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी अथवा अन्य तरीके से श्रमबल की आपूति या भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से कोई भी सेवा देने से जुड़ा कोई भी व्यक्ति।

2.15 राँची आयुक्तालय में मै. सेल रिफैक्टरीज़ इफको इकाई, रामगढ़ ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान छः श्रमबल भर्ती एजेंसियों को ₹ 6.28 करोड़ का भुगतान किया जिस पर एजेंसियों द्वारा उगाहीयोग्य ₹ 78.67 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 78.67 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हुई।

2.16 *जब हमने इसे उठाया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा का तर्क मान लिया (जनवरी 2013) और एक सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करना सुनिश्चित किया। अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने हैं।*

अध्याय III

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3.1 आन्तरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबन्धन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा हैः

क) व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;

ख) जवाबदेही का कर्तव्य निभाना;

ग) लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;

घ) हानि, दुरूपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

3.2 हमने पाया कि विभागीय अधिकारियों ने ₹ 7.88 करोड़ के राजस्व की अन्तर्ग्रस्तता वाले कुछ मामले में देय प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया। हमने ये आपत्तियां नौ ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को बताई। मंत्रालय/आयुक्तालय ने पांच ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी और ₹ 41.79 लाख के राजस्व सहित इन सभी मामलों में उपचारी कार्यवाही प्रारम्भ की/पूरी की। इन पैराग्राफों के ब्यौरे परिशिष्ट V में उपलब्ध है। तीन ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों में मंत्रालय ने शामिल राजस्व की सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। एक ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2013)।

विवरणियों की संवीक्षा

3.3 सीबीईसी ने 1996 में भुगतानयोग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का और 2001 मे सेवा कर के लिए स्वनिर्धारण शुरू किया। स्वनिर्धारण शुरू करके विभाग ने विवरणियों/निर्धारणों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा और विरोधी-अपवंचन के माध्यम से एक मजबूत अनुपालन सत्यापन्न तंत्र भी उपलब्ध कराया। अप्रत्यक्ष कर के टास्क फोर्स 2002 के प्रतिवेदन में दर्शाते हुए निर्धारणों की संवीक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका में जैसा बताया गया है "यह मत है कि निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों का मुख्य कार्य होना चाहिए। करदाता द्वारा स्वनिर्धारण केवल एक सुविधा है और शुल्क भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के सांविधिक उत्तरदायित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए/समझा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेखापरीक्षा और विरोधी-अपवंचन की अपनी-अपनी भूमिका है परन्तु निर्धारण या निर्धारण की पुष्टि केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी बनी रहेगी।"

प्रारम्भिक/ब्यौरेवार संवीक्षा के निष्पादन न करने से शुल्क तथा ब्याज की वसूली न होना

3.4 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के सीबीईसी परिपत्र एफ.एन.224/37/2005-सीएक्स.6 (क्रम सं. 2.4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तिका, 2008 के पैरा 2.1ए(8) के अनुसार रेंजो को रेंज आफिस में निर्धारण की संवीक्षा हेतु एक संवीक्षा रजिस्टर का

रख-रखाव करना होता है (नियमपुस्तिका का अनुबंध 2.3)। इसके अतिरिक्त इस नियम-पुस्तिका के पैरा 2.1ए(9) के अनुसार प्रत्येक रेंज अधीक्षक को प्राप्त की गई और जांची गई विवरणियों की संख्या से सम्बन्धित रिपोर्ट डिवीजन के क्षेत्राधिकारिक सहायक/उपायुक्त को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबन्ध 2.4) में अगले माह की 15 तक प्रस्तुत करनी होती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम-पुस्तिका के पैरा 1.1.2बी और 2.1ए(6) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम-पुस्तिका के पैरा 4.2ए के अनुसार एक तिमाही/मास के दौरान फाइल किये गये कुल विवरणियों के जो पांच प्रतिशत से अधिक न हो के एक लघु अनुपात और सेवाकर विवरणियों के मामलें में कुल फाइल किये गए विवरणियों का लघु अनुपात, जो दो प्रतिशत से अधिक न हो की ब्यौरेवार संवीक्षा (नियम-पुस्तिका के अनुबन्ध 4.1 में उपलब्ध कराई गई जाँच सूची के अनुसार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रेंजों/सेवा कर समूहों द्वारा करनी अपेक्षित है। विवरणियों का चयन सभी विवरणियों पर लागू उद्देश्य जोखिम मापदण्ड़ों (सम्बन्धित नियम-पुस्तिकाओं में उपलब्ध जांच सूची के आधार पर हस्तगत रूप में) के आधार पर करना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा ने औरंगाबाद आयुक्तालय की 8 रेंजों में वि.व. 08 तथा वि.व. 11 की अवधि के बीच संवीक्षा रजिस्टर का आंशिक रख-रखाव/गैर रख-रखाव पाया। हमने मण्डलीय अधिकारी को निर्धारित फार्मेट आदि में विवरणियों की संवीक्षा की स्थिति पर (दोनों चरणों) में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के उदाहरणों की जाँच की। आयुक्तालय ने संवीक्षा रजिस्टर का उचित रख-रखाव और निर्धारित रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया। विवरणियों को निर्धारित जोखिम निर्धारण के अधीन नहीं लाया गया। परिणामतः प्राधिकारियों ने ब्यौरेवार संवीक्षा के लिए कोई विवरणियाँ नहीं चुनी यद्यपि नियम पुस्तिका में परिकल्पित थी।

3.6 औरंगाबाद आयुक्तालय मे कुछ वित्तीय दस्तावेजों के साथ विवरणियों की यादृच्छिक संवीक्षा के द्वारा नमूना जांच से कुछ विसंगतियों का पता चला जिसने यह दर्शाया कि ब्यौरेवार संवीक्षा एक उपेक्षित कार्य था। उचित संवीक्षा के अभाव में अनियमितताओं के पता न लगाने के निम्नलिखित उदहारण है और दर्शातें है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य को सही ध्यान न देने में कितना जोखिम शामिल है।

क) औरंगाबाद आयुक्तालय में मैं. नेचुरल शुगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लि. ने 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की अवीध के दौरान क्रमशः ₹ 90.47 लाख, ₹ 10.08 लाख और ₹ 0.22 लाख की रद्दी माल बेची, परन्तु ऐसी निकासियों पर फाइल किये गये ईआर 1 पर भुगतान योग्य शुल्क दर्ज नहीं किया गया।

ख) मै. लोबार्डिनी इण्डिया प्रा. लि. ने बही खाता मे बट्टे खाते में डाले गए 2007-08, 2009-10 और 2010-11 के दौरान ₹ 6.46 करोड़ की राशि वाली अप्रयुक्त वस्तुसूची के संदर्भ में सेनवेट क्रेडिट वापिस नहीं किया।

3.7 *जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2011 और जनवरी 2012) तब मंत्रालय ने देयताओं की वसूली न होना और क्रेडिट का उलटाव न होने की सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2013)। पहले मामले में, मंत्रालय ने सेनवेट लेखे के माध्यम से ₹ 15.30 लाख के शुल्क*

और उस पर ₹ 6.22 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की। बाद के मामलें में, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती ने बट्टे खाते में डाली गई पुरानी वस्तु -सूची पर ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि इन विसंगतियों के विषय में निर्धारिती के वित्तीय और अन्य अभिलेखों तक पहुँच के बिना पता नहीं लगाया जा सकता था, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा पर नियम-पुस्तिका 2008 के पैरा 4.4 (vi) के अनुसार यह कार्य संवीक्षा विवरणियों के नहीं अपितु आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत है।

3.8 हमने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई एसटी-3 और ईआर-1 विवरणियों के साथ वित्तीय अभिलेखों के सामान्य प्रति-सत्यापन्न द्वारा ये निष्कर्ष निकाले थे। एसटी-3 विवरणियों की ब्यौरेवार संवीक्षा के लिए निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों को मंगाने से संबंधित प्रावधान सेवाकर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका, 2009 में उपलब्ध है, तथापि ऐसे प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तिका 2008 में उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार मंत्रालय को राजस्व के हित में उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली में तारतम्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें उपयुक्तता की समीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा से संबंधित वर्तमान नियम-पुस्तिका प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता है तथा प्रचलित व्यवस्था हेतु अनुपालन की निगरानी में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि विभाग का प्राथमिक कार्य मूल्यांकन है तथा यह देय भुगतान की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी का सांविधिक उत्तरदायित्व है।

मासिक आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सुविधा जब्त करने में विफलता

3.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका के पैरा 2.1.1ए (19) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा करने वाले विभागीय अधिकारी को, ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारिती ने देय तिथि से तीस दिनों के बाद शुल्क का भुगतान न किया हो, कार्रवाई करनी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 का नियम 8(3ए) अनुबंधित करता है कि यदि कोई निर्धारिती देय तिथि के तीस दिनों के बाद शुल्क के भुगतान में चूक करता है तो उसे प्रत्येक प्रेषित माल उठाते हुए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना उसको ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान के समय तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि ऐसे माल को शुल्क भुगतान के बिना मंजूरी दी गई और इन नियमों में प्रदान किए गए परिणामों और शास्तियों का पालन किया जाएगा।

3.10 पटना आयुक्तालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज फुलवारीशरीफ में लेखापरीक्षा के दौरान हमने एक निर्धारिती मै. गंगोत्री इलैक्ट्रोकास्टिंग्स लि., फुलवारीशरीफ, के ईआर-1 में पाया कि निर्धारिती ने जून 2008 के लिए अपनी शुल्क देयता का निर्धारण ₹ 77.10 लाख किया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करते हुए ₹ 32.70 लाख का भुगतान न करके, केवल ₹ 44.40 लाख का भुगतान किया था। 06 अगस्त 2008 को भुगतान की देय तिथि (05 जुलाई 2008) के 32 दिनों के बाद, निर्धारिती ने जीएआर 7 चालानों के माध्यम से ₹ 27.21 लाख का भुगतान किया और ₹ 5.49 लाख अभी तक अप्रदत्त थे। निर्धारिती ने ब्याज

सहित बकाया राशि के शुल्क का भुगतान 05 दिसम्बर 2008 अर्थात भुगतान के लिए देय तिथि के 162 दिनों के बाद किया।

3.11 इस प्रकार, निर्धारिती ने 05 अगस्त से 04 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8(3ए) का उल्लंघन किया। निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना प्रेषण माल के आधार पर शुल्क का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान ₹ 154.33 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जोकि अनियमित था और उसे 04 अगस्त 2008 के बाद संस्वीकृत माल शुल्क के भुगतान के बिना मंजूर हुआ समझा गया है और उपयोग किए गए सेनवेट, ब्याज और शास्ति के साथ, वसूली योग्य था।

3.12 2008-09 से 2009-10 की अवधि के लिए निर्धारिती की विवरणियों की संवीक्षा पर अधीक्षक ने, एक प्रति डिवीजनल अधिकारी को भेजते हुए, निर्धारिती का ध्यान नियम 8(3ए) के प्रावधान की ओर आकर्षित कराते हुए जून 2008 की बकाया राशि के बारे में लिखा। तथापि, उसने मासिक आधार पर शुल्क भुगतान की सुविधा को जब्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया था।

3.13 हमने इसे मई 2012 में इंगित किया। हमें आयुक्तालय और मंत्रालय से जवाब प्रतीक्षित है (मई 2013)।

सरकारी देय की वसूली के लिए नीलामीकर्ता की नियुक्ति न करना

3.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 अनुबंधित करती है कि शुल्क और अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत् बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को भुगतान योग्य राशि के संबंध में ऐसे शुल्क की उगाही संलग्न वस्तु द्वारा करने हेतु तथा ऐसे व्यक्तियों के उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री के लिए अधिकारी को सशक्त किया गया।

3.15 आयुक्त को अपेक्षित नियमों के पालन तथा पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा शुल्क/कर के भुगतान के अपवंचन को रोकने हेतु शुल्क/कर के प्रभावी प्रशासन के लिए नियंत्रण और निगरानी करनी होती है।

3.16 अहमदाबाद-II आयुक्तालय में अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि मै. मिनी टैक्सटाईल्स, नरोड़ा, अहमदाबाद की विभाग ने 23 जुलाई 1999 के मूल आदेश द्वारा परिसम्पतियों जैसाकि भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी को ₹ 3.58 करोड़ की वसूली के लिए जब्त कर लिया गया था। इकाई 2000 मे बन्द हो गई। दिनांक 21 दिसम्बर 2000 और 04 जून 2001 के आदेशों के अनुसार निर्धारिती की परिसम्पतियां, अहमदाबाद के सहकारी बैंक की ओर से गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विशेष वसूली अधिकारी द्वारा ले ली गई। कानूनी राय प्राप्त करने के बाद विभाग ने दीवानी कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी कोर्ट ने मुकदमें को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के प्रावधान के अन्तर्गत अपने देय की वसूली करने की शक्तियां है। उसके बाद, अक्टूबर 2008 से निर्धारिती की परिसम्पतियों के निपटान के लिए आयुक्त, अहमदाबाद-I की सहभागित द्वारा नीलामीकर्ता की नियुक्ति हेतु किए गए कई पत्राचारों, का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके

परिणामस्परूप चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 3.58 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

3.17 *जब हमने इसे इंगित किया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों मे निर्दिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और नीलामीकर्ता की नियुक्ति के लिए आयुक्तालय द्वारा किए गए उपायों की सूचना दी। मंत्रालय के जवाब ने पुष्टि की कि चार वर्षों के बाद भी नीलामीकर्ता नियुक्त नही किया गया था।*

कॉल बुक की अप्रभावी समीक्षा

3.18 सीबीईसी के परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स, दिनांक 14 दिसम्बर 1995 के अनुसार वे मामलें जो ऐसे स्तर पर पहुंच गए है जहां कम से कम 6 महीने के लिए उनके निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है या किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कॉल बुक मे स्थानांतरित किया जा सकता है। मामलें जिनमें विभाग ने अपील की है, मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय आदि द्वारा आदेश जारी किया गया है, मामलें जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया है और मामले जहां बोर्ड ने इसे लम्बित रखने के लिए विशिष्टतया आदेश दिया है, को कॉल बुक मे दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कॉल बुक में लम्बित मामलों की मासिक समीक्षा के लिए आयुक्तों को निर्देश जारी किए जाते हैं।

3.19 मैंगलोर आयुक्तालय में कॉल बुक मे लम्बित मामलों की समीक्षा से पता चला कि तो कॉल बुक में कुछ लंबित मामले या तो गलत तरीके से हस्तांतरण के थे या कॉल बुक से हटाने के लिए अतिदेय के थे।

क) पैट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य परिशोधन के आधार पर स्वैच्छा से दिए गए ₹ 1,169.00 लाख के विशिष्ट शुल्क पर ₹ 35.68 लाख के ब्याज की मांग करते हुए मैंगलोर आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी ने मै. मैंगलोर रिफाईनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि. (एमआरपीएल) को एससीएन सं. IV/9/27/104/2006 दिनांक 20 सितम्बर 2006 जारी किया। आयुक्तालय ने मामला इस आधार पर काल-बुक में स्थांनातरित किया था कि मै. कृष्णा पाइप इण्डस्ट्रीज के मामले में जब शुल्क का भुगतान एससीएन जारी होने से पहले किया गया, ब्याज और शास्ति के देयता से संबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े थे। तथापि हमने पाया कि जुलाई 2009 में आयुक्त बनाम एसकेएफ इण्डिया लि. के मामलें में (2009-टीआईओएल-82 एससी-सीएक्स) धारा 11 एबी के अन्तर्गत ब्याज भुगतान के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तर शुल्क निश्चित किया गया था। इसी प्रकार, जब शुल्क एससीएन जारी होने से पहले दिया गया था तब न्यायालय ने उद्ग्रहण की जाने वाली शास्ति की राशि के प्रश्न को अगस्त 2008 में भारत संघ बनाम धर्मेन्द्र टैक्सटाईल प्रोसेसर्स अन्य आदेशित मामले 2008 (231) ई.एल.टी 3(एस.सी.) के मामलें में निर्धारित किया था। कॉल बुक में दिनांक 20 सितम्बर 2006 की एससीएन की अवरोधन से कॉल बुक मदों की समीक्षा हेतु तंत्र की अपर्याप्तता का संकेत मिलता है।

ख) जनवरी 2007 से अक्टूबर 2008 की अवधि के दौरान आयुक्तालय ने मै. एमआरपीएल, मैंगलोर को आठ आवधिक एससीएन जारी किए। इसमें सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की उलटाव न करने पर कुल ₹ 73.22 लाख शामिल थे जोकि दिसम्बर 2005 से मार्च 2008 की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 (3) के अन्तर्गत दोनो शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद के लिए उपयोग किए गए थे। संबंधित अधिकारी ने मामले को कॉल-बुक में इस आधार पर स्थानांतरित किया कि उसी निर्धारिती के संबंध में एलएसएचएस पर शुल्क देयता के संबंध मे विभाग की अपील कर्नाटक के उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित थी। तथापि, इन मामलों मे शामिल मुद्दे, एक समान नही थे। ये मामलें जनवरी 2012 में सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा के समय तक कॉल बुक में रहें।

3.20 *जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2012), आयुक्तालय ने कहा (जुलाई 2012) कि मामलें न्यायनिर्णयन के लिए अब कॉल बुक से निकाल लिए गए थे। तथापि मत्रांयल का जवाब, आयुक्तालय के जवाब से भिन्न था। मंत्रालय अपने जवाब में (मई 2013) दिनांक 20 सितम्बर 2006 की एससीएन मद संख्या IV/9/27/104/2006 के संदर्भ में गलत प्रविष्टियों के तथ्य को स्वीकार करता है परन्तु यह कहा कि 1 नवम्बर 2011 को आयुक्तों के साथ सीसी-मैसूर ज़ोन की बैठक में कॉल बुक की समीक्षा के पश्चात् दिनांक 3 फरवरी 2012 के आयुक्त के आदेश के अनुसार मामला कॉल बुक से हटाया गया।* तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि (क) कॉल बुक में स्थानांतरण गलत था, (ख) यदि दिनांक 03.01.2005 की उसकी डी.ओ.एफ संख्या 101/2/2003 सीएक्स-3 के अनुसार सदस्यों (सीएक्स) से निर्देशों के उल्लेख के रूप में कॉल बुक मदों की मासिक समीक्षा की व्यवस्था हो, के रूप में कॉल बुक मामलों के संदर्भ में मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के पत्र में महानिदेशक, निरीक्षण (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अनुपालन के साथ, मदों को कॉल बुक से कम से कम दो वर्ष पहले हटा दिया गया होता। *अंतिम विद्युत उत्पाद से संबंधित 4 एससीएनज़ के संबंध में मंत्रालय के जवाब (मई 2013) का तर्क था कि कॉल बुक में रखना उच्चतम न्यायालय में लंबित मध्यवर्ती उत्पाद एलएसएचएस की उत्पादशुल्क योग्यता के संदर्भ में प्रेषण के कारण था। इसने बताया कि मामला शुल्क योग्य विनिर्माण तथा अंतिम उत्पादों की छूट हेतु सामान्य इनपुट को शामिल करते हुए सभी मामलों में अनुपातिक सेनवेट क्रेडिट के उत्क्रमण की अनुमति सेनवेट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के पूर्वव्यापी संशोधन के विचार में अप्रासंगिक हो गई।* लेखापरीक्षा ने पाया कि नियमों में यह परिवर्तन 1 मार्च 2011 से प्रभावी हुआ। तथापि, जोन ने मामले को केवल नवम्बर 2011 मे प्रबंधित तथा विचार-विनिमयित किया, इसके बावजूद भी ये मदें सीईआरए लेखापरीक्षा तथा दिनांक 1 फरवरी 2012 की लेखापरीक्षा जांच के मामलें के समय पर कॉल बुक में रही।

सेवा कर

3.21 हमने देखा कि ₹ 22.19 करोड़ के राजस्व वाले कुछ मामलों मे विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया। हमने इन आपत्तियों को 28 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को प्रेषित किया। मंत्रालय/आयुक्तालय ने 12 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और ₹ 2.66 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ/पूर्ण की। इन पैराग्राफों का ब्यौरा परिशिष्ट VI में उपलब्ध है। 14 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों मे मंत्रालय ने शामिल राजस्व राशि तक लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। हम शेष दो ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के संदर्भ में मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा में है (मई 2013)।

कर आधार का विस्तार

3.22 राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कर आधार का विस्तार आवश्यक है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास के साथ उन व्यक्तियों को, जिन पर कर भुगतान की देयता है लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया था, उन्हें चिन्हित करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी एकत्र करने हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है ताकि इससे कर आधार का विस्तार करके उन्हें कर के दायरे में लाया जा सके।

3.23 महानिदेशक, सेवा कर ने 26 मई 2003 को एक कार्ययोजना तैयार की और इसे मुख्य आयुक्तों में प्रचारित किया। योजना के अनुसार क्षेत्रीय इकाई को सूचना प्राप्त करने के लिए

(क) यैलो पेजों, सेवा प्रदाता संगठनों, समाचार पत्र विज्ञापनों, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकारों और इण्डिया मार्ट. कॉम. जैसी वैबसाईटों के अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं पर।

(ख) सम्पति के बारे मे बैंकों से जो - वास्तु कला संबंधी/परामर्शदात्री इंजीनियर सेवाओ को शामिल कर सकती है।

(ग) नगर निगम और प्रमुख निर्धारितियों, जिनमें पीएसयूज़ और निजी क्षेत्र संगठन शामिल है, द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं की सूचना लेना तथा उन्हें प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के पते सहित ब्यौरा प्राप्त करना।

(घ) मुख्य होटलों, सभागर, बैंक्वेट हॉल, सम्मेलन हॉल से औपचारिक सेवाओं और कार्यक्रम प्रबन्धन सेवा प्रदाताओ के बारे में।

(ड.) समझदारी से बाजार निरीक्षण करके ।

(च) जानकारी एकत्रित करके और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों द्वारा।

3.24 सीबीईसी ने अपने दिनांक 23 नवम्बर 2011 के पत्र द्वारा संभावित निर्धारितियों की पहचान के लिए प्रत्येक आयुक्तालय में विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए थे।

3.25 हमने स्थानीय निकायों और राज्य की कम्पनियों/बोर्ड द्वारा पंजीकरण न करवाना और ₹ 12.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न होना पाया जिसका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है। हमने मंत्रालय को इन आपत्तियों के बारे में तीन ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से सूचित किया था।

पंजीकरण न होना और परिणामस्वरूप सेवाकर की अदायगी न होना

3.26 वित्त अधिनियम 2010 (1 जून 2007 से पूर्व प्रभावी) के अन्तर्गत अचल सम्पति को किराए पर देना करयोग्य हो गया।

3.27 कालीकट आयुक्तालय की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि निश्चित स्थानीय स्वशासित सरकारी संस्थान (एलएसजीआईज़) जैसे नगर निगम और ग्राम पंचायत (जीपी) ने व्यवसायिक परिसरों और अन्य अचल सम्पतियों को पट्टे पर दिया था। तथापि, उन्होंने सेवाकर प्राधिकारियों से पंजीकरण नहीं लिया था और अपनी सेवा कर देयता पूरी नहीं किया था।

3.28 वित्तीय वर्ष 09-11 के वर्षों के लिए कालीकट आयुक्तालय की कन्नूर और कोज्हीकोडे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीज़नों के अन्तर्गत आने वाले एलएसजीआईज़ के वित्तीय लेखों की संवीक्षा से पता चला कि 25 यूनिटों ने सेवा कर विभाग के साथ पंजीकरण नहीं किया था। आयुक्तालय की निवारक यूनिट ने चार एलएसजीआईज़ के संबंध में मामले दर्ज किए थे। चेरूवथूर जीपी ने वि.व. 11 के दौरान पंजीकरण करवा लिया था और केवल ₹ 0.16 लाख के एसटी का भुगतान किया। इस प्रकार, यह सेवा देने के लिए एलएसजीआईज़ की बाकी 23 यूनिटें वि.व. 09-11 की अवधि के लिए ₹ 94.64 लाख के सेवा के भुगतान के लिए उत्तरदायी थीं।

3.29 *जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2011), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि पांच मामलों में निर्धारिती की आय छूट सीमा से कम थी तथा पाँच मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने से पहले ही आयुक्तालय द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी; नौ मामलों में निर्धारिती पंजीकरण करवा चुके थे। सात मामलों में ₹ 56.70 लाख की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाकी के मामलो में, निर्धारिती को सेवा कर नेट के अन्तर्गत लाने के लिए आयुक्तालय कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाँच में से चार मामलो में, जहाँ निर्धारिती की आय छूट सीमा के अन्तर्गत थी, निर्धारितियों को विभाग में स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ता है और छः मामलो में हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर निर्धारितियों ने ₹ 25.78 लाख की राशि का भुगतान किया था।*

अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना

3.30 वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवाएं/आवासीय परिसर की निर्माण सेवा/निर्माण कार्य ठेका सेवाएं क्रमशः धारा 65(105) (जेडजेडक्यू), धारा 65(105) (जेडजेडजेडएच) और धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडए), वित्त अधिनियम 1994, के अन्तर्गत कर योग्य हैं।

3.31 हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन (एचटीसी) और आवासीय बोर्ड हरियाणा (एचबीएच) ने वि.व. 09-11 के दौरान पंचकुला आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन्नीस निर्माताओं को वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा, आवासीय परिसर की निर्माण सेवाएं और निर्माण कार्य ठेका सेवाएं के अन्तर्गत कर योग्य सेवा देने के लिए ₹ 2505.91 लाख का भुगतान किया। इस सूचना/भुगतान के विस्तृत विवरण का सेवा कर रेंज के सेवा कर रिकार्ड के साथ दोतरफा सम्बधता/संवीक्षा से यह भी पता चला कि ये सेवा प्रदाता उक्त सेवा के अन्तर्गत आयुक्तालय के साथ पंजीकृत नही थे और इन्होंने सेवा कर का दायित्व पूरा नही किया। इसके परिणामस्वरूप इन अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा (उपकर सहित) ₹ 91.68 लाख के सेवाकर का भुगतान नही हुआ जोकि वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73,75 और 76 के अन्तर्गत शास्ति और ब्याज सहित वसूली योग्य है।

3.32 *जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और बताया कि 14 मामलों में सेवा कर देय है। एक निर्धारिती ने सेवा कर और शास्ति के लिए ₹ 3.47 लाख जमा करवा दिए थे। 10 मामलों में ₹ 11.70 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे।* हम आगे की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पंजीकरण के सत्यापन के बिना सेवा कर का अनुचित भुगतान

3.33 औरंगाबाद आयुक्तालय में आकस्मिक बिलों की नमूना संवीक्षा से पता चला कि आयुक्तालय ने पिछले श्रमिक और गृह व्यवस्था ठेके का उन्ही शर्तों पर मासिक बिल की राशि पर आयुक्तालय द्वारा सेवा कर के भुगतान सहित 1 दिसम्बर 2008 से एक और वर्ष के लिए विस्तार किया। प्रारंभिक बिल, टेंडर फार्म समझौते और बाद में जारी बिल में सेवा कर की पंजीकरण संख्या का उल्लेख नही था। मैसर्स सिद्धार्थ सर्विसेज ने दी गई सेवाओं के लिए आयुक्तालय से ₹ 1.67 लाख (अप्रैल 2009 के लिए प्रदत्त ₹ 13958 प्रति माह की दर से की गई गणना) का सेवा कर प्रभारित और संग्रहित किया। दिसम्बर 2008 से नवम्बर 2009 की अवधि के दौरान ₹ 16.26 लाख की सेवा (अप्रैल 2009 के लिए प्रदत्त ₹ 1.35 लाख प्रति माह की दर से की गई गणना) काम में लायी गया जोकि पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था।

3.34 यद्यपि, ठेकेदार ने बीजक में पृथक राशि वसूली थी, तथापि आयुक्तालय ने श्रमशक्ति आपूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकर पंजीकरण के तथ्य को सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, इसने सरकार के लेखे में सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया।

3.35 *जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2011), मंत्रालय ने (फरवरी 2013) बताया कि सेवा प्रदाता विभाग में पंजीकृत था किन्तु उसने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान एसटी-3 विवरणी नही भरी थी अतः यह सूचना छिपाने का मामला है। निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।*

3.36 मंत्रालय का उत्तर सरकार को देय राजस्व की पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने में व्यवस्था की अपर्याप्तता को दर्शाता है। वैधानिक उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शुल्क/कर का सही तरीके से भुगतान किया जाए। ठेके को बढ़ाते समय आयुक्तालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारिती ने आयुक्तालय द्वारा पहले दी गई राशि सरकारी लेखा में पहले प्रेषित की थी।

विवरणियों की संवीक्षा

3.37 सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 2001 में सेवा कर के सम्बन्ध में स्व-निर्धारण प्रारंभ किया। स्व-निर्धारण के प्रारंभ होने के साथ ही विभाग ने तीन महत्वपूर्ण भागों - प्रतिदायों की संवीक्षा/निर्धारण लेखापरीक्षा और अपवंचन विरोधी के साथ सत्यापन तंत्र का एक ठोस अनुपालन का प्रावधान भी किया। अप्रत्यक्ष कर, 2002 पर टास्क फोर्स के प्रतिवेदन से निर्धारणों की संवीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई।

3.38 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12(3) और सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 5ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विवरणी संवीक्षा नियमपुस्तिकाओं में दिए गए विवरणियों की संवीक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाए हैं। विवरणियों की संवीक्षा दो स्तरों में होनी है। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य शुल्क गणना की गणितीय सटीकता, पूर्णता (स्थायी खाता संख्या, मद का विवरण, यूनिट का पंजीकरण विवरण इत्यादि), सामयिकता (प्रतिदाय की समय पर प्रस्तुति और शुल्क का समय पर भुगतान) और स्टोप फाइलरों और नॉन फाइलरों की पहचान करना है। जोखिम मापदण्डों के आधार पर निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा निर्धारण का सही होना (वर्गीकरण, मूल्यांकन, और सेनवेट क्रेडिट का सही होना) सुनिश्चित करते है।

प्रारंभिक संवीक्षा

नियमापुस्तिका के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

3.39 सेवा कर विवरणी 2009 की संवीक्षा की नियमपुस्तिका के पैरा 1.2.1.1 के अनुसार, प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य समय से विवरणी की प्रस्तुति के साथ-साथ देयों का समय पर भुगतान और संगणित की गई राशि की गणितीय शुद्धता सुनिश्चित करना है। सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 1.2बी के अनुसार प्रारंभिक संवीक्षा सभी विवरणियों के संबंध में की जानी चाहिए। बोर्ड के दिनांक 15.07.2005 के परिपत्र संख्या 818/15/2005-सीएक्स अनुबंध करता है कि प्रारंभिक संवीक्षा विवरणी की प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के अन्दर पूरी कर ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अनुसार धोखाधड़ी, विवाद, जानबूझकर गलत विवरण देना, तथ्यों को छुपाना आदि से संबंधित मामलों के अलावा एससीएन जारी करने के लिए निर्धारित समय संगत तिथि से एक वर्ष तक का है।

3.40 सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को कर योग्य सेवा उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक व्यक्ति

विशिष्ट दर पर और निर्धारित अवधि के भीतर सेवा कर का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 में सेवा कर के किसी विलम्बित भुगतान के लिए निर्धारिती को ब्याज का भुगतान अपेक्षित है।

3.41 कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय के अन्तर्गत डिवीजन II की रेंज XVII के अन्तर्गत एसटी-3 विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स आर.एस. इस्पात लि. ने दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए ₹ 11.40 लाख (उपकर सहित) की राशि के सेवा कर का कम भुगतान किया था। चूंकि रेंज ने विवरणियों की संवीक्षा अधिनियम में निर्धारित तरीके से नही की थी, उस चूक का पता नही लगा। जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (फरवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और निर्धारिती को ₹ 14.78 लाख के लिए एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

विस्तृत संवीक्षा

3.42 रेजों को निर्धारिणों के सही होने (वर्गीकरण, मूल्यांकन और सेनवेट क्रेडिट लेने के सही होने) को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मानदण्डों पर आधारित चयनित विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है। दिनांक 11 मई 2009 के बोर्ड के परिपत्र में अभिकल्पित है कि एसीईएस सेटअप के अन्तर्गत सिस्टम स्वतः ही चयन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए जोखिम के अवरोही क्रम में विवरणियों को सूचीबद्ध कर देगा। सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 4.3.3ए और केन्द्रीय उत्पादशुल्क संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 4.1बी के अनुसार रेंज अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किए जाने वाले विवरणियों की सूची को अन्तिम रूप देने का उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकारी संयुक्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त का है। तथापि, एसीईएस के लागू होने तक रेंज की हस्तगत विस्तृत संवीक्षा करने के लिए विवरणियों का चयन हाथ से करना होगा (सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका का पैरा 2.3ए और अनुबंध 2.2 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तिका का पैरा 2.1 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संवीक्षा नियमपुस्तिका का अनुबंध 2.2)।

3.43 हमने देखा कि कुछ आयुक्तालयों में सहायक कार्यालयों ने विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी जैसा कि संवीक्षा नियमावली में उल्लिखित है। तथापि, हमने विस्तृत संवीक्षा करने की कोशिश की और इन आयुक्तालयों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई।

छूट की गलत प्राप्ति

3.44 दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 01/2006/एसटी कुछ शर्तों के साथ विभिन्न सेवाओं पर लगने योग्य सेवा कर की कुछ प्रतिशतता की छूट निर्धारित करती है। यह अधिसूचना तब लागू नहीं होती जब इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का शुल्क या पूंजीगत माल या ऐसी कर योग्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग की गई इनपुट सेवाओं पर सेवा कर का लाभ सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत लिया गया है।

3.45 हमने पाया कि मण्डप कीपर, सम्मेलन सेवाओं, केबल आपरेटर की सेवाओं और इवेंट मैनेजमैन्ट की सेवाओं आदि के लिए पंजीकृत सेवा कर रेंज, उदयपुर के एक निर्धारिती मै. श्री

निवास पैलेस, सिटी पैलेस, उदयपुर दिनांक 01.03.2006 की अधिसूचना 1/2006-एसटी का लाभ उठा रहा था और कम दर पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था। यद्यपि निर्धारिती इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग भी कर रहा था, इसलिए यह सेवा कर की कमी के लिए पात्र नहीं था। वि.व. 08-10 की अवधि के दौरान ₹ 26.10 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

3.46 *जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि निर्धारिती को ₹ 35.10 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था तथा निर्धारिती ने ₹ 24.77 लाख राशि की पूरी सेनवेट क्रेडिट लौटा दी थी। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारिती द्वारा एसीईएस पर सेवा-कर रिटर्न की ई-फाईलिंग अनिवार्य कर दी गई थी। निर्धारिती एसीईएस के माध्यम से रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करते हैं और विभागीय अधिकारी केवल ऑनलाइन संवीक्षा करते हैं। इस प्रकार, जोखिम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए एक रिटर्न का इसी के पिछले रिटर्न के आँकड़ो से मिलान करना अव्यवहारिक हो जाता है।* मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विचाराधीन रिटर्न एसीईएस से पूर्व अवधि से संबंधित है।

3.47 इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने निम्नवत देखा,

3.48 यद्यपि एसीईएस के माध्यम से रिटर्न्स दाखिल करना अक्तूबर 2011 से अनिवार्य हो गया है, एसीईएस वर्तमान में आयुक्तालयों को बिस्तृत संवीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए रिटर्न्स के चुनाव के लिए रिटर्न्स को जोखिम के घटते क्रम में स्वचालित रूप से सूचीबद्ध नहीं करता है, जैसा कि नियमावली में परिकल्पना की गई थी। हालांकि नियमावली में विभाग का अनुदेश विद्यमान है कि जब तक एसीईएस लागू नहीं किया जाता है, रिटर्न्स का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे कि रिटर्न में पिछले वर्ष के आंकडों के साथ मिलान करना (संवीक्षा नियमावली का पैरा 2.3 तथा अनुबंध 2.2) के आधार पर परम्परागत तरीके से किया जाना है ।

3.49 एसीईएस में ऐसी सुविधा के समावेश को लम्बित रहने से एवं चूंकि मंत्रालय ने स्वयं यह महसूस किया कि निकटवर्ती वर्षों में दाखिल रिटर्न्स के बीच मिलान अव्यवहारिक है, विभाग सभी शाखा कार्यालयों को अंतरिम अवधि में विस्तृत संवीक्षा के लिए रिटर्न्स के चयन हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मापदण्डों को स्पष्ट करे। यह आवश्यक है ताकि संवीक्षा एवं आकलन के मुख्य कार्य के माध्यम से पूरा किये जाने वाला वांछित उद्देश्य कम न हो जाए।

सेवाकर का भुगतान न होना/कम होना

3.50 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडजे) ऐसी मशीनरी, उपकरणों और सामानों के प्रभावी नियंत्रण एवं स्वामित्व के अधिकार को हस्तांतरित किये बिना उपयोग हेतु मशीनरी, उपकरणों तथा सामानों सहित ठोस वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को "ठोस वस्तु सेवा की आपूर्ति" के रूप में परिभाषित करती है।

3.51 वड़ोदरा-I आयुक्तालय के सेवाकर प्रभाग (प्रभाग- III) के तहत रेंज-VIII में मै. आईओटी अन्वेषा इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने वि.व. 11 में उपकरणों के किराया प्रभार स ₹ 3.25 करोड़ की आय दर्शाई। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षित होने वाले लेखाओं के अनुसूची 19 पर टिप्पणियों के क्रमांक 10(बी) से देखा गया कि अधिकार और नियंत्रण के स्वामित्व के स्थानान्तरण के बिना निर्धारिती ने होल्डिंग कम्पनी मै. आईओटी इंफ्रास्ट्रक्यर एण्ड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को उपकरण उधार दिया। निर्धारिती इस प्रकार "ठोस वस्तुओं की आपूर्ति " सेवा के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी था और ₹ 33.49 लाख के सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी था।

3.52 *जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारिती ने कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ₹ 33.49 लाख के सेवाकर तथा ₹ 5.74 लाख ब्याज का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कमिश्नरी बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एसटी-3 रिटर्न्स की विस्तृत संवीक्षा तथा चुनिंदा आधार पर स्थानीय लेखापरीक्षा करता है।* मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेंज ने रिटर्न एवं दस्तावेजीकरण के चुनाव के द्वारा विस्तृत संवीक्षा, जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, नहीं की थी।

3.53 जहाँ एक व्यक्ति जिस पर सेवा कर देय हो, कर अथवा उसका कोई भी हिस्सा निर्धारित समय-सीमा में अदा करने में विफल हो जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 75 के तहत चूक की अवधि के लिए निर्धारित प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कम भुगतान की गई राशि का भुगतान करना पड़ता है।

3.54 वड़ोदरा- I आयुक्तालय के सेवाकर प्रभाग (प्रभाग-III) के तहत रेंज VIII में मै. एरिओ इन्फ्रास्टरक्क्चर प्रा. लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 11 में लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 27.50 करोड़ तक की सकल कारोबार आय (बिक्री आय) दर्शायी थी। वास्तविक बिक्री आय फुटकर देनदारों तथा करों का सकल ₹ 21.05 करोड़ बनी। हालांकि वित्तीय वर्ष 11 से संबंधित एसटी -3 रिटर्न में आय केवल ₹18.18 करोड़ ही दर्शायी गई थी। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 2.87 करोड़ की कम आय दर्शायी थी जिस पर ₹ 11.83 लाख का सेवाकर देय था जो ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

3.55 इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने 26 नवम्बर 2009 को कार्य ठेके के प्रति ₹ 3.07 करोड़ तथा 31 मार्च 2009 को ₹ 2.64 करोड़ स्थापना अग्रिम में प्राप्ति की थी। निर्धारिती ने सेवाकर का भुगतान आर.ए.बिल की तैयारी के समय किया था न कि अग्रिम की प्राप्ति के समय। इस प्रकार निर्धारिती ₹ 2.33 लाख के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

3.56 *जब हमने यह बताया (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2012) तथा बताया कि कारण बताओ ज्ञापन जारी करने से पहले ही निर्धारिती ने ₹ 11.83 लाख का सेवा कर तथा ₹ 4.02 लाख के ब्याज का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयुक्तालय बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एसटी-3 रिटर्न्स की विस्तृत संवीक्षा तथा चुनिंदा आधार पर स्थानीय लेखापरीक्षा करता है।* मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेंज ने रिटर्न एवं दस्तावेजीकरण के चुनाव के द्वारा जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, विस्तृत संवीक्षा नहीं की।

सेवाओं के आयात के संबंध में सेवा कर का भुगतान ना करना

3.57 सेवाकर नियमावली,1994 का नियम 2(1)(डी) (iv) निर्धारित कराता है कि एक व्यक्ति द्वारा जो कि गैर प्रवासी या भारत से बाहर का है और भारत में उसका कार्यालय नहीं हैं, उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवा के संबंध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

3.58 मंगलौर आयुक्तालय के उडुपी रेन्ज में मै. एमसीटी कार्डस एण्ड टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड, मनिपाल के एसटी-3 रिटर्न्स तथा ईआर-1 की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 09 में तकनीकी सेवा तथा स्थापन प्रभार के प्रति मै. राबर्ट बर्कलेगम्भ जर्मनी को ₹ 61.71 लाख का भुगतान किया था। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 7.63 लाख के अपेक्षित सेवाकर तथा उस पर उपकर का भुगतान नहीं किया।

3.59 *जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अंशतः स्वीकार किया(दिसम्बर 2012) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 7.63 लाख के सेवाकर तथा उपकर का ₹ 2.93 लाख के ब्याज सहित भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि दिनांक 23 अप्रैल 2009 के बोर्ड के परिपत्र सं. 113/07/2009-एसटी के अनुसार मै. एमसीटी कार्ड टेक्नॉलाजीज़ लिमिटेड, मनिपाल एसटी-3 रिटर्न्स की विस्तृत संवीक्षा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि संबंधित अवधि के लिए उसका कुल सेवा कर राजस्व निर्धारित सीमा से कम है।* यद्यपि, क्योंकि रेंज ने कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

3.60 हमने देखा कि औरंगाबाद आयुक्तालय में, 2008 से 2011 के बीच की अवधि के लिए अधीनस्थ रेंज ने रिटर्न्स का चयन और विस्तृत संवीक्षा नहीं की, जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है। हमने सेवाकर प्रभाग और जालना रेंज (नांदेड़ प्रभाग) में वित्तीय दस्तावेजों के सहित रिटर्न्स की नमूना जाँच की और तमाम ऐसी कमियां देखी जिसके यह संकेत मिला कि विस्तृत संवीक्षा एक उपेक्षित क्षेत्र था। अवलोकनों में ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की प्राथमिकता और ध्यान न देने से होने वाली जोखिम का पता चला। हमने सात निर्धारितियों से सबंधित गैर-अनुपालन के 12 उदाहरण देखे जो यदि विस्तृत संवीक्षा की गई होती तो पता चल जाते। निम्नलिखित दो विस्तृत उदाहरणों में ₹ 13.90 लाख की वसूली शामिल थी।

क) एसटी प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मै. लोम्बार्डिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आई पीआर सेवाओं के तहत मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान के प्रति 31 मार्च 2010 तथा 31 दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 1.17 करोड़ तथा ₹ 3.64 करोड़ का प्रावधान किया था। पहले मामले के संदर्भ में निर्धारिती ने कोई सेवा कर नहीं अदा किया। दूसरे उदाहरण में सेवाकर के भुगतान में देरी हुई (मार्च 2011) । वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के साथ

पठित दिनांक 10 मई 2008 की अधिसूचना सं. 19/2008 एसटी के प्रावधान को देखते हुए सेवाकर के विलम्बित भुगतान पर सेवाकर /ब्याज की गैर -उगाही वसूली योग्य थी।

ख) जालना रेंज के तहत मै. स्टोरवेल कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स ने वित्तीय वर्ष 09-11 में परिवहन सेवाएं ली और दिनांक 3 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना 35/2004 जो बताती है कि माल प्रेषक/प्रेषिती द्वारा भाड़े के प्रति किए जाने वाले भुगतान कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था, के आदेशानुसार जीटीए सेवाओं पर सेवाकर का भुगतान करना था। हालांकि निर्धारिती ने स्वयं को न तो पंजीकृत करवाया जैसा कि नियमों द्वारा अपेक्षित था एवं ना ही सेवा कर की देय राशि का भुगतान किया था।

3.61 *जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2011 से जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2012) तथा पहले मामले में ₹ 12.07 लाख का सेवा कर तथा ब्याज के प्रति ₹ 7.56 लाख की वसूली की सूचना दी। विभाग ने दूसरे सेवा प्रदाता के संबंध में ₹ 4.38 लाख तथा ₹ 1.68 लाख के ब्याज की वसूली की। इसने सेवाकर तथा ब्याज की शेष राशि के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। विस्तृत संवीक्षा का आयोजन न करने के मुद्दे पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि दोनों मामले तथ्य छुपाने के हैं; एसटी-3 रिटर्न्स में धनराशि दर्शायी नहीं गई थी। विस्तृत संवीक्षा एसटी-3/ईआर-1 रिटर्न्स में घोषित तथ्यों पर की जाती है। चूंकि निर्धारिती ने इन तथ्यों को छिपा लिया था, विस्तृत संवीक्षा में ऐसी अभियुक्तियों का पता नहीं चलता। इसके बावजूद भी विभाग/आयुक्तालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित रूप से निदेश दिया था तथा साथ-साथ इस संबंध में अनुदेश जारी किए।* मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसटी-3 रिटर्न्स के क्रम संख्या बी2 की विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए जाँचसूची के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि विपरीत प्रभार पद्धति के अंतर्गत वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए के संदर्भ में शुल्क देयता भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सेवाओं के संबंध में पूरी कर दी गई है।

सेनवेट क्रेडिट का समयपूर्व लाभ उठाना तथा उपयोग करना

3.62 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4) के परन्तुक के अनुसार , सेनवेट क्रेडिट किन्हीं दी गई आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है। हालांकि, ऐसे उपयोग महीने या तिमाही के आखिरी दिन जैसा भी मामला हो, पर क्रेडिट की उपलब्धता पर ही अनुमत है।

3.63 जयपुर-II आयुक्तालय के तहत सेवाकर रेंज, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि मै. यूएन ऑटोमोबाइल्स प्रा. लिमिटेड उदयपुर ने सितम्बर 2006, मार्च 2007, सितम्बर 2007, तथा मार्च 2008 को समाप्त छमाही के लिए विलम्ब से अपना सेवाकर रिटर्न्स दाखिल किया। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जबकि निर्धारिती के पास महीने के अंत (वि.व.07 तथा वि.व. 08 के दौरान) में सेनवेट क्रेडिट लेखा में पर्याप्त शेष नहीं था, निर्धारिती ने सेवाकर देयता को पूरा करने के लिए अनुवर्ती संग्रहीत सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। निर्धारिती ने गलत

तरीके से ₹ 14.80 लाख (उपकर सहित) के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जाने की आवश्यकता है।

3.64 *जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने ₹ 8.68 लाख के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणी को इस आधार पर अंशतः स्वीकार किया (फरवरी 2013) कि ₹ 6.13 लाख की सेनवेट क्रेडिट निर्धारिती द्वारा नवम्बर 2006 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान अर्जित किया गया था, इसलिए निर्धारिती इस क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार था। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.54 लाख की राशि का सेवाकर भी जमा कर दिया था।* नवम्बर 2006 से मार्च 2008 की अवधि से संबंधित सेनवेट क्रेडिट के संबंध में मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपत्ति उपयोग हेतु सेनवेट क्रेडिट की हकदारी से संबंधित नहीं बल्कि सेवाकर के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का उपयोग तथा समयपूर्व लाभ लेने से सेवाकर के कम भुगतान से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, सेवाकर नियतावली 1994 के नियम 7बी में मूल रिटर्न दाखिल करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर गलती या चूक सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है लेकिन निर्धारिती ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया। निर्धारित द्वारा समयसीमा के भीतर संशोधित रिटर्न जमा किए बिना स्वप्रेरणा के आधार पर सेनवेट क्रेडिट समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार ₹ 14.80 लाख राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित उपयोग हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 14.80 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

शुल्कयोग्य तथा छूटप्राप्त उत्पादों के लिए अलग-अलग खाता न बनाना

3.65 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि अलग-अलग खाता न बनाने पर एक निर्माता निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करेगा, (i) सामग्री निर्माता छूटप्राप्त सामान के मूल्य दस प्रतिशत/पाँच प्रतिशत (7 जुलाई 2009 से प्रभावी) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा (ii) माल का निर्माता उपनियम (3ए) में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अध्यधीन छूट प्राप्त माल के निर्माण अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अथवा उपयोग में लाई गई इनपुट सेवाओं और इनपुट के लिए आरोपित सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

3.66 रायपुर आयुक्तालय में दुर्ग रेंज प्रभाग II, भिलाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अध्याय 27 के तहत बिजली तथा अध्याय 72 के तहत स्पंज आयरन के निर्माण/उत्पादन में संलग्न मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दुर्ग के ईआर-1 रिटर्न्स की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने अंतिम उत्पाद के निर्माण हेतु आंशिक रूप से (अर्थात 24 प्रतिशत) बिजली का उपयोग किया। निर्धारिती ने 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः ₹ 8.24 करोड़ तथा ₹ 1.24 करोड़ के लिए शुल्क की शून्य दर पर छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) को शेष (अर्थात 76 प्रतिशत) बेच दिया। निर्धारिती ने प्राप्त इनपुट व इनपुट सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा सेवाकर दोनों क्रेडिट का लाभ लिया। सेनवेट खाता रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने प्राप्त इनपुट पर लाभ लिए गए शुल्क इनपुट के क्रेडिट को समानुपातिक रूप से वापिस दिया किन्तु प्राप्त इनपुट सेवाओं

पर लिए गए सेवा कर के क्रेडिट को समानुपातिक रूप से नहीं वापिस किया। उपरोक्त अवधि के दौरान, निर्धारिती ने बिजली डिवीजन द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं (अर्थात मरम्मत तथा अनुरक्षण, सफाई सेवाएं, हाउसकीपिंग तथा कार्गो हैंडलिंग) पर क्रमशः ₹ 4.72 लाख तथा ₹ 5.88 लाख तक के सेवाकर क्रेडिट का लाभ लिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि शुल्क की शून्य दर पर सीएसईबी को बिजली की बिक्री के प्रति सेवाकर क्रेडिट की वापिसी नहीं हुई। यह ₹ 8.05 लाख (उपरोक्त अवधि के दौरान बिजली डिवीजन में प्राप्त और प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर प्राप्त कुल क्रेडिट के 76 प्रतिशत के बराबर) तक का था जो ₹1.02 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

3.67 *जब हमने इसे बताया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि निर्धारिती को ब्याज और शास्ति के साथ-साथ ₹ 1.48 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया था। रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा न किये जाने के संबंध में, मंत्रालय ने सभी कार्यालयों को चूकों से बचने के लिए विस्तृत संवीक्षा पर निदेशों को निष्ठापूर्वक अपनाने के आदेश जारी किये जाने की पुष्टि की।*

3.68 इन आयुक्तालयों में विस्तृत संवीक्षा न होने के परिणामस्वरूप अनुपालन सत्यापन प्रणाली का यह महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर हो गया। निर्धारितियों को स्वयं निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हुए बोर्ड ने जो परिकल्पित किया था, यह उसके अनुरूप नहीं था।

3.69 लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यदि आयुक्तालय में निम्नवत की निगरानी/सुनिश्चितता के लिए कोई तंत्र होता

क) संवीक्षा नियमावली की परिकल्पना के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा रिटर्नों का चयन और

ख) रेंजों द्वारा निर्धारण की संवीक्षा के वास्तविक आयोजन का दस्तावेजीकरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया गया (संवीक्षा नियमावली के **अनुबंध 4.3** में शामिल पैरा सं. 4.3.2), सरकारी राजस्व को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कमियों से बचा जा सकता था।

3.70 यह भी देखा गया था कि रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा हेतु एसीईएस द्वारा रिटर्नों का स्वतः चयन अब तक भी प्रभावी नही हुआ था, महानिदेशक, सिस्टम नई दिल्ली का सभी आयुक्तालयों को दिया गया स्पष्टीकरण (मार्च 2011) आज तक भी लागू है कि जब तक स्वतः चयन परिचालनात्मक नहीं हो जाता, छोटे जोखिम मापदंडों का आकलन जैसा अभी हो रहा है हाथों से होगा।

3.71 प्रारंभिक/विस्तृत संवीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तताओं को देखते हुए विभाग आयुक्तों/डिवीजन द्वारा अनुपालन की निगरानी हेतु प्रतिशतता समीक्षा के तंत्र को आरंभ करने के बारे में विचार करे ।

3.72 उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सीबीईसी संवीक्षा नियमावली में प्रावधानों को लाने पर विचार करे जिससे यह अनिवार्य किया जाए कि विस्तृत संवीक्षा

के दौरान, रेंज कुछ पहलुओं जैसे निर्धारिती को अन्य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं को भी देखें (परिशिष्ट VI, क्रम सं. 7 एवं 10)।

आंतरिक लेखापरीक्षा

3.73 विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारित नियम और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु जोखिम मापदडों और निर्धारिती के दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर निर्धारिती ईकाईयों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा करती है, आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नियमों के अंतर्गत निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे रिकॉर्ड तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त है। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बैंगलुरू, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात इकाईयों सहित लेखापरीक्षा आयुक्तालयों (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, निरीक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी आयुक्तालयों में एक लेखापरीक्षा सैल होता है जो सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होता है और अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं तथा यह सैल लेखापरीक्षा योजना को तैयार करता है, समन्वय स्थापित करता है और उस पर निगरानी रखता है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल है, द्वारा यह लेखापरीक्षा की जाती है।

3.74 हमने विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा सैल द्वारा निर्धारितियों की चयन प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा वास्तव में की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को जांचने के प्रयास हेतु, आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पहले से ही लेखापरीक्षित कुछ निर्धारितियों या लेखापरीक्षा हेतु देय परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित ना किए गए कुछ निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की। हमने ₹ 3.24 करोड़ के सेवा कर वाले कुछ मामले पाए जिनका विवरण निम्नवत पैराग्राफों में दिया गया है। हमने ये निष्कर्ष तीन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को भेज दिए।

छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित सेनवेट क्रेडिट की वापसी न करना

3.75 डैस्क समीक्षा और लेखापरीक्षा की योजना की तैयारी से संबंधित केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा को माल के अल्प मूल्यांकन को बताना होता है और परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादशुल्क की कम उगाही को बताना होता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली के अनुबंध सी के साथ पठित पैरा 10.4.13 अभिकल्पित करता है कि यह निर्धारित करने के लिए कि आंतरिक लेखापरीक्षक लाभ और हानि लेखे में दर्शाये गई विक्रय की संवीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करेगा कि क्या माल के व्यापार पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए कि लाभ और हानि लेखे के आंकड़ों के साथ ईआर -4 रिटर्नों के तुलनात्मक विश्लेषण हेतु अनुबंध एम में

अनुबंध के अनुसार विस्तृत सत्यापन करना सुनिश्चित करने के लिए की जानी है कि क्या ईआर-4 रिटर्न में दी गई सूचना का वित्तीय अभिलेखों से मिलान हुआ है।

3.76 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004, के नियम-6 में वर्णन है कि सेनवेट क्रेडिट इनपुट की ऐसी मात्रा या इनपुट सेवा पर प्राप्त नहीं होता जिसे छूट प्राप्त माल के निर्माण में या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान हेतु उपयोग किया गया है। नियम 2(ई) के अनुसार, "छूट प्राप्त सेवाओं " का अर्थ है करयोग्य सेवाएं जो उगाही योग्य सेवा कर से पूर्णरूपेण छूट प्राप्त है और वे सेवाएं शामिल हैं जिन पर वित्त अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कोई सेवा कर उगाही योग्य नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल 2011 की अधिसूचना सं. 3/2011 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) यह भी स्पष्ट करती है कि "छूट प्राप्त सेवाओं में व्यापार शामिल है। दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र सं. 943/04/2011-सीएक्स के अनुसार, बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार प्रक्रिया एक छूट प्राप्त सेवा है और इसलिए, व्यापार प्रक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त किसी इनपुट या ली गई सेवा का क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2008 से पहले समान इनपुट्स का क्रेडिट और इनपुट सेवायें प्राप्त की जा सकती थी जो विद्यमान नियमों में उपलब्ध कराई गई कुल देयता के 20 प्रतिशत तक क्रेडिट उपयोग की सीमा के अध्यधीन था।

3.77 औरंगाबाद आयुक्तालय में, सीईटीए के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले कर योग्य माल के निर्माण में लगे मै. स्कोडा आटो इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वि.व. 11 में ₹ 3 करोड़ से अधिक का उत्पाद शुल्क अदा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2011 में लेखा परीक्षा की। तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा पाई कि निर्धारिती विभिन्न सामान्य इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने के योग्य नहीं था क्योंकि यह व्यापारिक प्रक्रियाओं में शामिल था। निर्धारिती ने वि.व 09-11 के व्यापारिक टर्न ओवर के अनुपात पर आधारित व्यापारिक गतिविधियों के कारण प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के बराबर संगणित ₹ 2.47 करोड़ की राशि की वापसी नहीं की थी। इसलिए वह ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

3.78 *जब हमने इसे बताया (अगस्त 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और सूचित किया कि मै. स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड को ₹ 2.47 करोड़ की राशि का एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा पता न लगाने के संबंध में, इन्होंने आगे कहा कि यह तथ्यों के छिपाने का मामला है। यद्यपि, सीबीईसी द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र सं. 743/04/2011 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था, हालांकि लेखापरीक्षाएं अप्रैल 2011 से पहले ही की जा चुकी थीं। इसलिए, यह स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा दलों के संज्ञान में नहीं था। चूंकि मामला व्याख्यात्मक प्रकृति का था, आंतरिक लेखापरीखा दल की गलती नहीं थी।* उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नियम सेनवेट क्रेडिट के उपयोग को केवल उन इनपुट सेवा को परिकल्पित करते हैं जो करयोग्य आऊटपुट सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग की गई हो या कर योग्य माल जहां माल का व्यापार कभी कर योग्य सेवा नहीं थी। चूंकि छूट प्राप्त सेवाओं में वे सेवाएं शामिल है जिन पर वित्त अधिनियम, की धारा 66 के अन्तर्गत कोई सेवा कर उद्ग्राह्य

नहीं है, " ट्रेडिंग " सेनवेट क्रेडिट नियमावली के अन्तर्गत छूट प्राप्त सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। नियम स्थिति में दर्शाए गए परिपत्र के जारी होने से कोई परिवर्तन नहीं आया था।

छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित सेनवेट क्रेडिट की वापसी न होना

3.79 सेवा कर लेखा परीक्षा नियमपुस्तिका, 2003 के पैरा 7.2.4.3 (बी) के अनुसार, डैस्क समीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा करदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जांच अन्य दस्तावेजों जैसे ट्रायल बैलेन्स, वार्षिक लेखे, लैजर आदि के साथ सामंजस्य हेतु करनी चाहिए और उस राशि जो सेवा कर से छूट गई हो, की पहचान के उद्देश्य से प्रारंभिक सामंजस्य बैठाना चाहिए। पैराग्राफ 7.2.3.2 के अनुसार, करदाता द्वारा क्रेडिट उपयोग का सत्यापन करते समय आंतरिक लेखापरीक्षक मुख्य इनपुट सेवाओं की पावतियों/अधिप्राप्तियों के संबंध में दस्तावेजों की जांच कर सकता है। छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में इनपुट सेवाओं के उपयोग की जांच अध्याय 7 के अनुबंध डी में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध मदों में से एक है। सेवाकर लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु जांचसूची (अनुबंध ई) यह दर्शाती है कि इस बात पर प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए कि क्या इनपुट क्रेडिट केवल सेवाओं और उस माल के संबंध में है जो वास्तव में करयोग्य आउट्पुट सेवा के संबंध में प्रयुक्त हुआ है या उनके लिए भी जो पूर्णतः छूट प्राप्त हैं या कर रहित हैं। नियमावली में यह प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार प्रभावी है कि सेनवेट क्रेडिट इनपुट या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं है जो छूट प्राप्त माल के निर्माण में या नियम 2(ई) में परिभाषित छूट प्राप्त सेवा के प्रावधान हेतु उपयोग की गई है।

3.80 सेवाकर I आयुक्तालय मुम्बई में हमने अनिवार्य लेखापरीक्षा योग्य 7 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जो वि.व 11 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों में शामिल थी। मै. बी.जे सर्विसेज़ कम्पनी मिडल ईस्ट, जिसने खनिज, तेल अथवा गैस के खनन की छूट प्राप्त सेवाओं के साथ-साथ देय शुल्क उपलब्ध कराया, वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित एक अनिवार्य इकाई है क्योंकि यह प्रति वर्ष ₹ 50 लाख से अधिक सेवा कर अदा कर रही थी। निर्धारिती ने निर्दिष्ट क्षेत्र अर्थात कांटीनैंटल शैल्फ और दिनांक 01/03/02 की अधिसूचना सं. 1/2002 एसटी में संदर्भित भारत के एकमात्र आर्थिक जोन से अलग क्षेत्र में खनन सेवाएं प्रदान की। निर्धारिती ने निर्दिष्ट क्षेत्र में मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर सेवा कर अदा नहीं किया, जबकि सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के प्रावधानों के प्रति छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में प्राप्त और प्रयुक्त सेवाओं पर जून 2008 से अप्रैल 2010 की समयावधि हेतु ₹ 18.24 लाख की इनपुट सेवा पर क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4) और दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना 3/2011 में उद्धत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारिती ने वि.व. 10-11 की समयावधि की व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में ₹ 4.83 लाख का माल परिवहन एजेंसी की इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त/प्रयुक्त किया।

3.81 हमने पाया कि हालांकि इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा वि.व.11 में आयोजित की गई (31 मार्च 2009 तक) इस तथ्य के बावजूद कि यह पहलू निर्धारित मानक प्रतिबंधों का भाग था इसके द्वारा डैस्क समीक्षा या वास्तविक लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे मामलों की जाँच नहीं की गई थी।

3.82 *जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और सूचित किया कि निर्धारिती ने छूट प्राप्त मंजूरी तथा भुगतान किए गए ₹ 4.53 लाख ब्याज पर आरोप्य होने वाली वास्तविक धनराशि के ₹ 14.72 लाख वापस कर दिए थे। उसने व्यापारिक गतिविधियों पर आरोप्य ₹ 0.93 लाख की अदा की गई ब्याज तथा ₹ 4.83 लाख की सेनवेट क्रेडिट की राशि वापस कर दी थी।* मंत्रालय ने बताया कि तथाकथित मुद्दा वित्तीय वर्ष 10-11 अवधि से संबंधित है। आंतरिक लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा में इस अवधि को शामिल नहीं किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि यह मुद्दा 2008-2009 से शुरू होने वाली अवधि से संबंधित है।

सेवा कर के गैर-भुगतान का पता लगाने में विफलता

3.83 केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमावली, 2008 के पैरा 10.4.1 से पैरा 10.4.5 तक के अनुसार डेस्क समीक्षा, कार्यालय में होने वाली लेखापरीक्षा कार्यक्रम का पहला चरण है। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन एक अच्छी लेखापरीक्षा योजना बनाने के लिए एक अच्छी डेस्क समीक्षा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त डेस्क समीक्षा में संवीक्षा किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत सूची अनुबंध सी में दी गई है जिसमें वार्षिक रिपोर्टों, लाभ तथा हानि लेखा, तुलन-पत्र लेखा पर टिप्पणियों, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि की समीक्षा आवश्यक है। अनुबंध ई, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से सत्यापन हेतु विभिन्न बिन्दुओं की व्याख्या करता है। रायल्टी तथा तकनीकी प्रयोगविधि प्रभारों के संबंध में लेखापरीक्षक रायल्टी तथा तकनीकी प्रयोगविधि पर सेवाकर के कर अनुपालन पहलुओं के आंकलन के लिए भुगतान के संदर्भ तथा कार्यक्षेत्र के बारे में उत्पादवार स्रोत दस्तावेजों की जाँच कर सकते हैं।

3.84 सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) की व्याख्या में वांछित है कि एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज के संबंध में, सेवाकर उन पर देय होगा जिस पर सेवाकर बनता हो चाहे राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि यह सेवाप्रदाता के खाता बही में निकाली गई हो या जमा हुई हो। करयोग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति प्राप्त किसी भी भुगतान में किसी भी खाते को किया गया अथवा लिया गया भुगतान शामिल होगा चाहे वह सेवाप्रदाता के खाता बही में बट्टेखाता या अन्य किसी नाम से दर्ज हो। वित्त अधिनियम की धारा 66ए में उल्लेख है कि भारत के बाहर से करयोग्य सेवा प्राप्तकर्ता सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(iv) के तहत सेवाकर का भुगतान करने हेतु दायी है।

3.85 औरंगाबाद आयुक्तालय में हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2011 में मै. स्कोडा आटो इंडिया प्रा.लि. की लेखापरीक्षा की। इस तथ्य के बावजूद कि इस पहलू की जांच, नियमावली के उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित मानक जाँच का एक भाग थी, फिर भी यह न तो डेस्क समीक्षा के दौरान और ना ही वास्तविक लेखापरीक्षा के समय रायल्टी भुगतान पर सेवाकर के कम/गैर भुगतान का पता लगा पाया।

3.86 औरंगाबाद आयुक्तालय में मै. स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा.लि. ने अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मै. स्कोडा चेक गणराज्य को निर्माण हेतु तकनीकी स्थानान्तरण एवं ट्रेडमार्क लाइसेंस करार करके यात्री कारों और उनके सामान/पुर्जों के वितरण तथा बिक्री के संबंध में रायल्टी का भुगतान किया। अभिलेखों ने दर्शाया कि निर्धारिती ने संबंधित क्रमागत वर्षों में वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 10 के लिए अधिशुल्क पर सेवा कर का भुगतान किया। हमने देखा कि निर्धारिती ने सेवा कर के गणना में टीडीएस शामिल नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों के संबंध में ₹ 17.77 लाख और ₹ 5.79 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। वित्तीय वर्ष 10 में सेवा कर के भुगतान में विलंब हुआ जिस पर वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ₹ 2.30 लाख का ब्याज वसूली योग्य था। वर्ष 2008-09 के लिए, निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक रायल्टी पर ₹ 25.87 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। लागू होने वाली मानक लेखापरीक्षा जाँच में गैर-अनुपालन को दर्शाते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा ने इन कमियों का पता नहीं लगाया।

3.87 जब हमने यह बताया (अगस्त 2011), मंडलीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 09 के लिए सेवा कर के गैर-भुगतान के संबंध में आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2011) और कहा कि अधिकृत व्यक्ति के विवरण के अभिलेखन और संबद्ध अभिलेखों की उचित संवीक्षा के बाद एससीएन बनाया जायेगा। वित्तीय वर्ष 10 के लिए लंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में, उसने कहा (जून 2012) कि मैसर्स स्कोडा ऑटो ए.एस. (अर्थात सेवा प्रदाता) ने 16 दिसंबर 2010 को बीजक जारी किया था और निर्धारिती ने 03 जनवरी 2011 को अपने खाते में राशि डेबिट की थी। इसलिए, सेवा कर के भुगतान के लिए देय तिथि 06 फरवरी 2011 थी। निर्धारिती ने 31 दिसंबर, 2010 को अग्रिम रूप से सेवा कर का भुगतान किया और ब्याज वसूली योग्य नहीं था। इसने बाद में लंबित भुगतान पर ₹ 2.30 लाख के ब्याज की एससीएन की मांग जारी करने के सूचना दी।

3.88 वित्तीय वर्ष 10 के लिए सेवा कर के लंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न प्रावधान अपेक्षा करते हैं कि "सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" के खाते में जैसे और जब राशि बुक की जाती है सेवा कर के भुगतान के लिए देयता हो जाती है। मैसर्स साइप्ल ने 31 मार्च 2010 को तुलन-पत्र में जो 14 सितंबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था उतनी ही राशि का रायल्टी (उस पर देय टीडीएस की राशि और आर एंड डी उपकर के साथ) दर्शाया। क्योंकि निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए उसके खाते की किताब में उपरोक्त राशि पहले की क्रेडिट/डेबिट कर ली थी, उसे वित्तीय अधिनियम की धारा 75 के अनुसार मार्च 2010 तक सेवा कर का भुगतान कर देना चाहिए। इसलिए, ब्याज के भुगतान का उत्तरदायित्व भी विद्यमान है।

3.89 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त अनियमितता का पता न लगाना भी आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के काम की गुणवत्ता आंकने के लिए बनी प्रणाली (केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल के पैरा 6.4.2 के अंतर्गत मद 3 और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल के पैरा 10.4.2 (सी)) को मजबूत करने की आवश्यकता दर्शाता है।

3.90 मंत्रालय को अभी अपना उत्तर देना है (मई 2013)।

अभिरूचि के विविध विषय

3.91 पूर्ववर्ती भागों में प्रतिवेदित मामलों के अलावा, हमने लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान कुछ अन्य दिलचस्प मामले देखे, जिनमें ₹ 48 लाख का सेवा कर सम्मिलित था। हमने दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन निष्कर्ष को संप्रेषित किया।

पश्चः लेखापरीक्षा के आदेशों का निष्पादन सुनिश्चित करने वाली प्रणाली के न होने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि

3.92 वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 73(1) अपेक्षा करती है कि जहाँ कहीं भी सेवाकर गलती से वापस कर दिया गया हो, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी संबद्ध तिथि से एक वर्ष के अंदर (अठ्ठारह महीने 28 मई 2012 से लागू) व्यक्ति जिसको यह कर की वापसी गलती से कर दी गई है को नोटिस दे सकता है, कि उससे कारण बताने की अपेक्षा करके कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना है। केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी, सेवा कर के आदेय व्यक्ति पर अनुवर्ती अवधि के लिए किसी नोटिस के अनुवर्ती विवरण, जिसमें गलती से वापस किये गये सेवा कर की जानकारी शामिल हो भी दे सकता है; तब, इस प्रकार के विवरण देना, ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना समझा जायेगा, इस शर्त के अधीन कि अनुवर्ती अवधि के लिए विश्वसनीय आधार जैसे पूर्व नोटिसों में वर्णित है, वैसे हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उस व्यक्ति और जिसको उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया हो, के निवेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति को गलती से वापस की गई सेवा कर की राशि निर्धारित करनी चाहिए।

3.93 दिनांक 7 जुलाई 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-एसटी निर्यातक द्वारा कथित माल के निर्यात के लिए उपयोग किए गए विनिर्दिष्ट सेवा कर की वापसी के रूप में प्रदान की जाने वाली छूट के दावें पर विचार करती है। इसके अलावा, विभाग को दावे की राशि पर ध्यान दिये बिना लेखापरीक्षा पूर्व दावों पर विचार नहीं करना चाहिए।

3.94 कोलकाता सेवाकर आयुक्तालय के मंडल-I में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी ने अप्रैल 2010 में मैसर्स प्रेसिडेंसी एक्सपोटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ₹ 42.11 लाख की वापसी की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा के बाद, उप-आयुक्त, सेवा कर (लेखापरीक्षा) कोलकाता ने सभी वापसी के दावों को अमान्य बताया क्योंकि "कार्गो हैंडलिंग सर्विस " उक्त अधिसूचना के अंतर्गत शामिल विनिर्दिष्ट सेवा नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप मंडल को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू करनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि मंडल ने स्वीकृति अमान्य वापसी की वसूली प्रभावित करने के लिए कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया न ही सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.12 लाख के बराबर के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

3.95 जब हमने यह बताया (जनवरी 2012), मंडल ने कहा (28 मार्च 2012) कि यद्यपि उप-आयुक्त (लेखापरीक्षा) सेवा कर, कोलकाता ने लेखापरीक्षा के बाद यह वर्णन करते हुए आदेश पारित किये कि सभी वापसी के दावे पूर्णतः या अंशतः अमान्य थे, मूल रूप से उन आदेशों के प्रति अपील

दाखिल करने के लिए समीक्षा के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। इस स्थिति में, मंडलीय कार्यालय, अपने आप ही वसूली की कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं था।

3.96 लेखापरीक्षा को मंडल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वापसी अनुचित थी। स्पष्ट रूप से, मंडल को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। चूक दर्शाती है कि आयुक्तालय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा के बाद के सभी आदेशों के समय पर निष्पादन के माध्यम से राजस्व की सुरक्षा की जा रही थी, निगरानी तंत्र का अभाव है।

3.97 मंत्रालय को अभी उत्तर देना है (मई 2013)। लेखापरीक्षा का विचार है कि बोर्ड पश्चः लेखापरीक्षा आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित वसूली कार्रवाई को शुरू करने पर निर्देश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

सेनवेट क्रेडिट के अनुचित उपयोग का पता न लगाना

3.98 वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 84(1) के अनुसार, आयुक्त, किसी भी कार्यवाही के अभिलेखों जिसमें उसके अधीनस्थ न्यायाकर्ता प्राधिकारी ने किसी भी आदेश की वैद्यता या स्वामित्व के रूप में उसको संतुष्ट करने के उद्देश्य के लिए कोई आदेश पारित किये हैं की जांच कर सकता है। वह निर्णय या आदेश से उत्पन्न इस प्रकार के तथ्य जैसे उसके आदेश में विनिर्दिष्ट हो उल्लिखित करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क (अपील) को ऐसे प्राधिकारी या अपने अधीनस्थ किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी को आवेदन करने के लिए निर्देश दे सकता है। उसे ऐसे आदेश न्यायकर्ता प्राधिकारी के आदेश के संप्रेषण की तिथि से तीन महीने के अंदर जारी करने चाहिए।

3.99 सेवा (भारत के बाहर से प्रदान की गई और भारत में प्राप्त) कराधान नियमावली, 2006 के नियम 5 के साथ पढ़ी जाने वाली सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(4) अभिकल्पित करता है कि सेवा के आयात पर सेवा कर के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 75, सेवा कर लंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली का प्रावधान करती है।

3.100 औरंगाबाद आयुक्तालय में निर्धारिती मैसर्स क्रोम्पटन ग्रिवस लिमिटेड, की नवम्बर 2008 में लेखापरीक्षा से वित्तीय वर्ष 07 में मैसर्स केमा हाई वोल्टेज लेबोरेट्री, नीदरलैंडस से सेवा के आयात पर सेवा कर के गैर-भुगतान का पता चला तथ्य विभाग के ध्यान में लाया। तथापि, बताये जाने पर, निर्धारिती ने उस पर से ₹ 1.34 लाख का ब्याज और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर के रूप में ₹ 4.27 लाख का नकद भुगतान किया (दिसंबर 2008)। सेवा के कराधान(भारत के बाहर से प्रदान किया गया और भारत में प्राप्त) नियमावली,2006 के नियम 5 साथ पढा जाने वाला सेनवेट क्रेडिट नियमावली,2004 का नियम 3(4) अपेक्षा करता है कि निर्धारिती को सेवा के आयात पर सेवा कर के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं करना चाहिए। निर्धारिति को सेवा कर का केवल नकद मे भुगतान करना चाहिए। हमने देखा (अगस्त 2011) कि विभाग ने एक एससीएन जारी किया (अगस्त 2009) और उसका निर्णय करते हुए (मार्च 2010) निर्धारिती द्वारा प्रदत्त ₹ 1.34 लाख के

ब्याज और सेनवेट के माध्यम से ₹ 4.27 लाख के सेवा कर को विनियोजित किया। निर्णय आदेश में सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर के भुगतान की वैद्यता/औचित्य का पहलू नहीं था। जब तक सीईआरए ने इस मामले को नहीं बताया (अगस्त 2011) तब तक किसी विभागीय प्रक्रिया/प्राधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता पर प्रश्न नहीं उठाया था।

3.101 *जब हमने यह बताया, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार किया और सूचित किया (जनवरी 2013) कि निर्धारिती ने सेवा कर के लिए ₹4.27 लाख और ₹1.60 लाख के ब्याज का नकद भुगतान किया। मामले में निर्णयादेश की कार्यवाही के अभिलेखों की समीक्षा के संबंध में, यह कहा गया कि, दिनांक 3 अगस्त 2009 के कारण बताओ नोटिस ने निर्धारिती द्वारा पहले से ही अदा की गई ₹4.27 लाख की राशि विनियोजित करने का प्रस्ताव दिया। न्यायिक आदेश ने उसी को अपनाया, उक्त न्यायिक आदेश की समीक्षा ने भी उसी को स्वीकार किया। न तो न्यायकर्ता प्राधिकारी न ही समीक्षा करने वाले प्राधिकारी एससीएन से आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए, जब एससीएन ने स्वयं सेनवेट क्रेडिट के खाते के माध्यम से पहले ही दे दी गई सेवा कर की राशि को विनियोजित करना प्रस्तावित किया, समीक्षा करने वाले प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जा सके।*

3.102 मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सेवा कर के भुगतान का अनुचित तरीका विभाग की जानकारी में था, यद्यपि कारण बताओ ज्ञापन को किसी भी स्तर पर शोधित नहीं किया गया था। जब तक लेखापरीक्षा ने कमी को नहीं बताया, विभाग ने नकद में सेवा कर राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। यह कमी (परिशिष्ट VI , मद सं 12 भी देखें) कारण बताओ ज्ञापन में विषय वस्तु की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र की पर्याप्तता की संवीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है।

सी. नेडुंचेलियन

नई दिल्ली **(सी. नेडुंचेलियन)**

दिनांकः 5 अगस्त, 2013 **प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)**

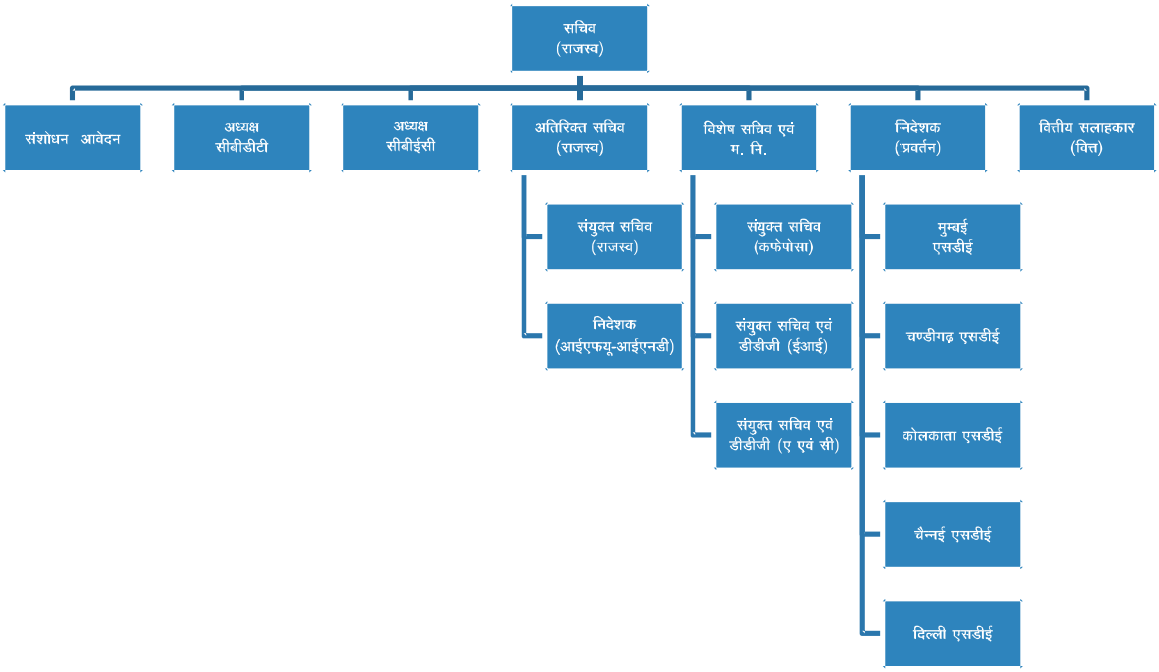
प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः 5 अगस्त, 2013 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

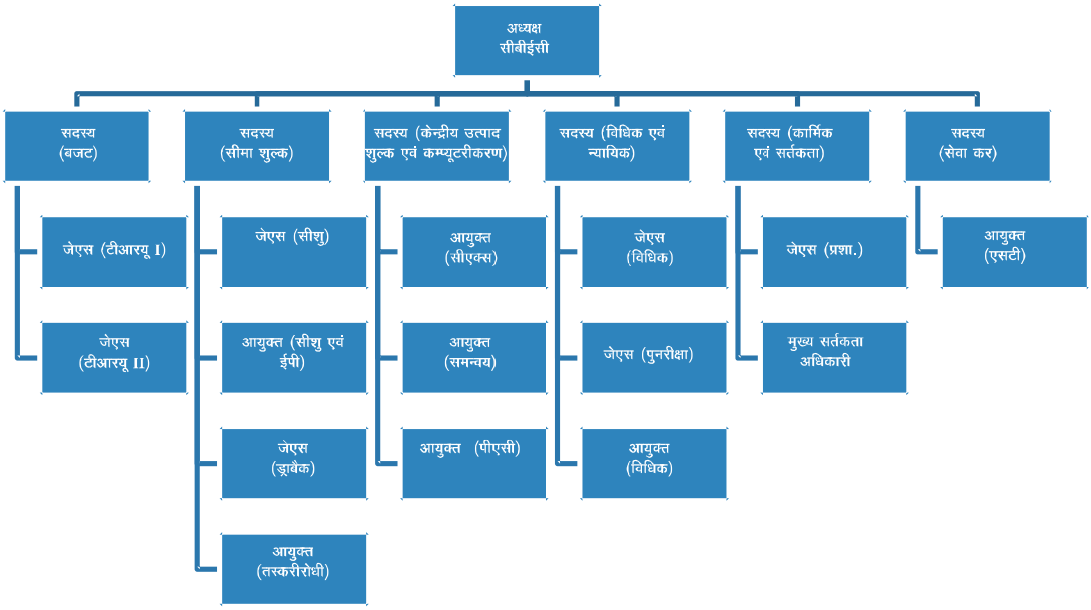
परिशिष्ट I

राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट II

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट III

(संदर्भः पैरा 2.1)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1	1 बी	उत्पादन के छिपाव द्वारा शुल्क की गैर-अदायगी	43.69	43.69	-	चण्डीगढ़ II
2	24 बी	रद्दी और स्क्रेप के रूप में निकाले गए माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लगाना	30.44	30.44	-	दिल्ली III
3	26बी	घरेलू बाजार को निर्यात माल के विपथन के कारण शुल्क की गैर अदायगी	24.44	24.44	-	बेलगाम
4	42बी	कम पाए गए माल पर शुल्क ना लगाना	229.01	229.01	-	कोलकाता VI
5	53बी	शुल्क की गैर अदायगी	41.03	41.03	41.03	मुम्बई V
6	56बी	परेषण आधार पर शुल्क की गैर अदायगी	238.88	238.88	238.88	कालीकट
7	16ए	शुल्क की गैर अदायगी	22.21	22.21	-	रायपुर
8	17ए	कम पाए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क ना लगाना	14.85	14.85	-	रायपुर
9	10बी	उत्पाद शुल्क योग्य माल की लागत का गलत निर्धारण	35.68	35.68	-	कोल्हापुर
10	14बी	माल के कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान	17.01	17.01	11.46	नागपुर
11	17बी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम लगाना	29.59	29.59	29.59	हल्दिया
12	21बी	लेन-देन मूल्य में अन्य प्रतिफल को सम्मिलित न करने के कारण कम भुगतान	16.51	16.51	-	वापी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
13	23बी	कम मूल्यांकन के कारण कम शुल्क लगाना	13.69	13.69	13.69	बैंगलूरू I
14	43बी	कीमत में परिवर्तन पर शुल्क का कम भुगतान और ब्याज की गैर अदायगी	12.74	7.19	-	कालीकट
15	45बी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम उद्ग्रहण	38.21	38.21	-	हल्दिया
16	47बी	निकासी किए गए इनपुटों पर शुल्क का कम भुगतान	15.03	15.03	15.03	जययुर I
17	49बी	उत्पादन के छिपाव के कारण कम शुल्क लगाना	27.48	27.48	-	जमशेदपुर
18	55बी	शुल्क की गलत दर लगाने के कारण अंतरीय शुल्क का कम भुगतान	19.2	19.2	19.2	पुडुचेरी
19	57बी	उत्पाद शुल्क योग्य माल की लागत के गलत निर्धारण के कारण कम मूल्यांकन	17.65	17.65	17.65	पुणे I
20	58बी	अंतरीय शुल्क और उस पर कम ब्याज लगाना	42.12	42.12	33.9	विशाखापट्नम I
21	5बी	अंतरीय शुल्क पर ब्याज की गैर अदायगी	12.34	12.34	12.34	दिल्ली III
22	6बी	ब्याज की गैर अदायगी	25.33	25.33	14.83	रोहतक
23	22बी	ब्याज की गैर अदायगी/गैर वसूली	11.12	11.12	-	राजकोट
24	54बी	दत्त अंतरीय शुल्क पर ब्याज न लगाना	35.88	35.88	35.88	हैदराबाद I
25	20ए	कीमतों में वृद्धि के कारण दत्त अन्तरीय शुल्क पर ब्याज की गैर अदायगी	23.84	23.84	-	कोलकाता IV

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
26	22ए	अंतरीय शुल्क पर ब्याज की गैर अदायगी	27.12	27.12	27.12	कोचिन
27	24ए	अंतरीय शुल्क पर ब्याज की गैर अदायगी	41.84	41.84	41.84	चेन्नई IV
28	25ए	अंतरीय शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर अदायगी	736.36	736.36	-	हल्दिया
29	21ए	कीमत वृद्धि के कारण दत्त अंतरीय शुल्क पर ब्याज की गैर अदायगी	18.2	18.2	-	इंदौर
30	3बी	अपात्र पूंजीगत माल पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट	10.5	9.75	9.75	चण्डीगढ़ I
31	4बी	अपात्र पूंजीगत माल पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट	498.43	498.43	5.64	चण्डीगढ़ II
32	16बी	अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	48.5	48.5	-	नागपुर
33	18बी	क्रेडिट वापसी या शुल्क भुगतान के बिना पूंजीगत माल की निकासी	17.33	17.33	4.1	लुधियाना
34	20बी	अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	42.82	42.82	-	वापी, अहमदाबाद I
35	29बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	11.29	11.29	11.29	चेन्नई III
36	35बी	पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अपात्र प्राप्ति	11.08	11.08	11.08	कालीकट
37	37बी	सेनवेट क्रेडिट की अपात्र प्राप्ति	12.04	12.04	12.04	चेन्नई II एवं सलेम

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
38	44बी	पूंजीगत माल पर अनुज्ञेय सीमा से अधिक सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	16.21	15.24	-	भुवनेश्वर II
39	51बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	21.79	21.79	21.79	कालीकट
40	30ए	अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	16.92	16.92	-	भुवनेश्वर II
41	27ए	पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	293.64	293.64	13.58	पटना
42	7बी	अस्वीकार्य इनपुट सर्विस क्रेडिट	80.81	80.81	80.81	तिरूनेलवेली
43	11बी	बट्टे खाते में डाले गए इन पुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	13.55	13.55	13.55	पुणे I
44	28बी	इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	34.04	34.04	18.26	बैंगलूरू II
45	30बी	इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	18.12	18.12	18.12	चेन्नई III
46	31बी	सेनवेट क्रेडिट की अधिक और अनियमित प्राप्ति	15.69	15.69	-	हल्दिया
47	32बी	सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	126.73	126.73	126.73	हल्दिया
48	33बी	सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	25.44	25.44	-	बैंगलूरू II
49	38बी	इनपुट पर अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट	12.82	12.82	12.82	लुधियाना
50	39बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	19.72	19.72	-	कोचिन

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
51	40बी	बट्टेखाते में डाले गए कच्चे माल और घटकों पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान न करना	27.27	27.27	2.66	कोलकाता VI
52	41बी	आग में नष्ट हुए इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	17.04	17.04	17.04	कोलकाता III
53	3ए	जॉब कामगार से प्राप्त न किए गए माल पर सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	11.75	11.75	11.75	बेलापुर
54	4ए	अपात्र सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति एवं उपयोगिता	22.62	22.62	22.62	नागपुर
55	8ए	बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक पर सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	110.99	110.99	44.23	वडोदरा I
56	12ए	सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	21.15	21.15	-	कोलकाता VII
57	14ए	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	46.46	46.46	46.46	बैंगलूरू
58	15ए	सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	47.07	47.07	47.07	ठाणे I
59	8बी	अलग खाते के रख रखाव न किए जाने के कारण राशि/शुल्क का भुगतान न करना	130	130	-	रायगढ़
60	9बी	गैर विनिर्माण कार्यकलाप में उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	16.12	16.12	16.12	बेलापुर

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
61	34बी	सेनवेट क्रेडिट का कम वापिस लिया जाना	132.75	132.75	115.82	कोचिन
62	36बी	गैर विनिर्माण कार्यकलाप में उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	57.51	57.51	-	पुणे III
63	48बी	शुल्क योग्य/छूट प्राप्त माल में उपयोग किए गए समान इनपुट के लिए अलग खाता ना बनाना	142.18	142.18	-	रोहतक
64	52बी	विनिर्माण में उपयोग न की गई विद्युत के उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	41.18	41.18	41.18	रायपुर
65	5ए	विनिर्माण प्रक्रिया से असंबंधित सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	35.39	35.39	35.39	रायगढ़
66	18ए	विनिर्माण में उपयोग न की गई विद्युत के उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	131.9	131.9	-	रायपुर
67	19ए	छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में उपयोग की गई या उससे संबधित सामान्य इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान न करना	35.76	35.76	35.76	रायपुर

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
68	2बी	सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	13.44	13.44	13.44	लुधियाना
69	15बी	जॉब कामगार बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	30.53	30.53	-	नागपुर
70	19बी	सेनवेट क्रेडिट का गलत समायोजन	45.7	45.7	-	राजकोट
71	27बी	सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	102.07	102.07	102.07	मैसूर
72	46बी	सेनवेट क्रेडिट का कम वापिस लिया जाना	12.83	12.83	12.83	कोलकाता II
73	59बी	डीटीए युनिट से इओयू युनिट के रूपान्तरण पर सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	135	135	-	पुणे II
74	9ए	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	19.94	19.94	-	नासिक
75	13ए	सेनवेट योजना के अन्तर्गत क्रेडिट की और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास की समकालिक प्राप्ति	166.04	166.04	-	पटना
76	6ए	सेनवेट क्रेडिट का वापिस न लिया जाना	100.2	100.2	-	शिलाँग
77	-	लघु राशि मूल्य आपत्तियाँ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था और परिशोधक कार्रवाई की गई लेकिन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में परिवर्तित नहीं किया गया	1,040.83	1,040.83	833.52	
		कुल योग	**5,902.68**	**5,895.41**	**2,309.96**	

परिशिष्ट IV

(संदर्भ: पैराग्राफ 2.13)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1	2बी	सेवा कर का भुगतान न करना	19.96	19.96	19.96	रोहतक
2	3बी	कारबार सहायता सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	530	530	-	अहमदाबाद एसटी
3	4बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये पर सेवा कर का भुगतान न करना	14.33	14.33	14.33	अहमदाबाद III
4	14बी	बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	14.51	14.51	-	कोयम्बटूर
5	18बी	सेवा कर का भुगतान न करना	31.82	31.82	-	लुधियाना
6	21बी	सेवा कर का भुगतान न करना	178	178	178	मुम्बई एसटी II
7	23बी	मूर्त वस्तुओं की आपूर्ति सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	177.26	177.26	177.26	कोलकाता एसटी
8	24बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना	75.94	75.94	-	कोलकाता एसटी
9	25बी	किराए पर कैब सेवा के अंतर्गत सेवाकर का भुगतान न किया जाना	191.86	191.86	-	कोलकाता एसटी
10	26बी	सेवा कर का भुगतान न करना	44.63	44.63	44.63	कोलकाता एसटी
11	38बी	सेवा कर का भुगतान न करना	67.02	67.02	-	चंडीगढ़ II

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
12	43बी	श्रमबल की भर्ती या आपूर्त सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	30.33	30.33	30.33	चेन्नई III
13	44बी	सेवा कर का भुगतान न करना	11.3	11.3	11.3	बैंगलुरू एसटी
14	46बी	सेवा कर का भुगतान न करना	9.99	9.99	9.99	कोचिन
15	49बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये पर सेवा कर का भुगतान न करना	94.14	94.14	94.14	दिल्ली एसटी
16	50बी	सेवा कर का भुगतान न करना	105.28	105.28	105.28	दिल्ली एसटी
17	51बी	बौद्धिक संपत्तियों सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	13.37	13.37	13.37	बैंगलुरू एसटी
18	53बी	अग्रिम प्राप्तियों पर सेवा कर का भुगतान न करना	15.41	15.41	15.41	चेन्नई एसटी
19	54बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना	131.32	131.32	-	चेन्नई III
20	56बी	कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के तहत सेवा कर का भुगतान न करना	216.28	216.28	-	कोलकाता एसटी
21	57बी	माल परिवहन एजेंसी सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	29.38	29.38	-	कोलकाता एसटी
22	60बी	सेवा कर और ब्याज का भुगतान न करना	15.98	15.98	15.98	कोलकाता एसटी
23	61बी	सेवा कर का भुगतान न करना	279.64	279.64	279.64	बैंगलुरू एसटी
24	66बी	सेवा कर का भुगतान न करना	32.35	32.35	32.35	चेन्नई एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
25	70बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये पर सेवा कर का भुगतान न करना	664	664	-	मुम्बई एसटी I
26	72बी	सेवा कर का भुगतान न करना	13.36	13.36	13.36	मुम्बई एसटी I
27	78बी	सेवा कर का भुगतान न करना	14.67	14.67	14.67	सूरत I
28	84बी	सेवा कर का भुगतान न करना	13.06	13.06	13.06	दिल्ली एसटी
29	86बी	वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना	10.27	10.27	-	चेन्नई एसटी
30	87 बी	सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना	13.54	13.54	13.54	कोचिन
31	3ए	प्राप्त अग्रिम पर सेवा कर का भुगतान न करना	150.08	150.08	48	मुम्बई एसटी II
32	4ए	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना	72.04	72.04	72.04	कोलकाता एसटी
33	8ए	मोबीलाइजेशन अग्रिम पर सेवा कर का भुगतान न करना और सेवाकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	112.54	112.54	112.54	दिल्ली एसटी
34	9ए	माल परिवहन एजेंसी सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	15.48	15.48	15.48	दिल्ली एसटी
35	12ए	जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सेवा के तहत सेवाकर का अनुद्ग्रहण	9,984	9,984	-	कोलकाता एसटी
36	14ए	सेवा कर का भुगतान न करना	71.56	71.52	60.8	बैंगलुरू एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
37	17ए	इसरो, डीएमआरसी इत्यादि को दी गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	7,717	7,717	-	दिल्ली एसटी
38	19ए	अचल संपत्ति के किराये पर सेवा कर का भुगतान न करना	23.54	23.54	23.54	दिल्ली एसटी
39	22ए	श्रमबल आपूर्ति एजेंसी द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना	72.46	72.46	-	चंडीगढ़ II
40	24ए	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना	197.09	197.09	-	तिरूनेलवेली
41	26ए	मोबीलाइजेशन अग्रिमों पर सेवा कर का भुगतान न करना	1,996	1,996	1,996	दिल्ली एसटी
42	31ए	सेवा कर का भुगतान न करना	64.72	59.98	-	मुम्बई एसटी II
43	34ए	सेवा कर संग्रहीत किया गया लेकिन जमा नहीं किया गया	41.45	41.45	-	पटना
44	39ए	ठेकेदार द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना	18.01	18.01	-	त्रिवेंद्रम
45	40ए	अचल संपत्ति के किराये पर सेवा कर का अनुदग्रहण	94.85	94.85	-	कोचिन
46	41ए	सेवा कर का भुगतान न करना	662	662	662	दिल्ली एसटी
47	43ए	खनन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	44.67	29.47	-	जमशेदपुर
48	58बी	सेवाओं के आयात पर सेवाकर का भुगतान न करना	19.35	19.35	19.35	कोलकाता एसटी
49	1बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	24.85	24.85	24.85	दिल्ली III

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
50	5बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	19.29	19.29	19.29	दमन
51	7बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	426	426	426	अहमदाबाद एसटी
52	9बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	13.97	13.97	13.97	हैदराबाद।
53	10बी	सेवाओं के आयात पर सेवाव कर का भुगतान न करना	619	619	619	मुम्बई एसटी।
54	11बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	69.58	69.58	69.58	मुम्बई एसटी।
55	12बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	199.5	199.5	199.5	नागपुर
56	13बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	38.61	38.61	38.61	चेन्नई III
57	17बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	49.85	49.85	47.05	दिल्ली एसटी
58	22बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	10.07	10.07	10.07	मुम्बई एसटी।
59	28बी	सेवाओं के आयात पर सेवाकर का भुगतान न करना	119.87	119.87	119.87	कोलकाता एसटी
60	33बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	82.14	82.14	-	कोलकाता एसटी
61	35बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	84.8	84.8	-	कोलकाता III
62	36बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	18.09	18.09	-	कोलकाता एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
63	37बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	25.29	22.59	22.59	कोलकाता एसटी
64	39बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	355.05	355.05	-	अहमदाबाद एसटी
65	42बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	11.03	11.03	11.03	सलेम
66	47बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	33.48	33.48	33.48	कालीकट
67	52बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	16.15	16.15	16.15	चेन्नई एसटी
68	69बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	53.64	53.64	-	मुम्बई एसटी II
69	71बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	21.04	21.04	-	मुम्बई एसटी II
70	79बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	18.84	18.84	18.84	वापी
71	80बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	11.55	11.55	11.55	वडोदरा I
72	45बी	संग्रहित सेवा कर का कम प्रेषण	35.11	35.11	35.11	कोचिन
73	15बी	सेवा कर का भुगतान न होना/कम होना	14.92	14.92	14.92	चेन्नई एसटी
74	16बी	निक्षेपागार सेवाओं पर सेवा कर का कम भुगतान	10.94	10.94	-	दिल्ली एसटी
75	27बी	सेवा कर का कम भुगतान	38.72	38.72	38.72	कोलकाता एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
76	29बी	सेवा प्रदाता द्वारा कम मूल्यांकन करने के कारण सेवा कर का कम भुगतान	994.29	994.29	-	नागपुर
77	31बी	सेवा कर का कम भुगतान	106.12	106.12	-	कोलकाता एसटी
78	34बी	प्रबंधन परामर्शदाता सेवाओं के तहत सेवा कर का कम भुगतान	19.86	19.86	19.86	कोलकाता एसटी
79	48बी	सेवा कर तथा ब्याज का भुगतान न होना	317.5	317.5	317.5	दिल्ली एसटी
80	55बी	अचल संपत्ति सेवाओं के किराये पर सेवा कर का कम भुगतान	19.81	19.81	-	हल्दिया
81	59बी	सेवा कर का कम भुगतान	54.72	54.72	54.72	कोलकाता एसटी
82	62बी	बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवा के तहत सेवा कर का कम भुगतान	22.31	22.31	-	चेन्नई एसटी
83	64बी	कारोबार सहायक सेवा तथा जांच सेवा पर सेवा कर का कम भुगतान	9.37	9.37	9.37	भोपाल
84	65बी	सेवा कर और ब्याज का कम भुगतान	12.38	12.38	12.38	जयपुर I
85	67बी	सेवा कर का कम भुगतान	20.72	20.72	16.52	मंगलोर
86	68बी	सेवा कर का भुगतान न होना	47.63	47.63	47.63	मुंबई एसटी I
87	76बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का कम भुगतान	31.13	31.13	31.13	वडोदरा I
88	81बी	सेवा कर का कम भुगतान	48.32	48.32	-	चंडीगढ़ II

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
89	5ए	सेवा कर का कम भुगतान	666	666	-	दिल्ली एसटी
90	15ए	मूर्त वस्तुओं की आपूर्ति सेवा पर सेवा कर का कम भुगतान	66.75	60.89	60.89	दिल्ली एसटी
91	18ए	संग्रहित परन्तु सरकार को भुगतान न किए गए सेवा कर का कम भुगतान/भुगतान न होना	78.23	78.23	-	दिल्ली एसटी
92	8बी	ब्याज का उद्ग्रहण न होना	32.26	32.26	-	हैदराबाद II
93	20बी	सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण न होना	10.81	10.81	10.81	हैदराबाद III
94	30बी	सेवाव कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं होना	43.29	43.29	43.29	कोलकाता एसटी
95	77बी	ब्याज का भुगतान न होना	21.12	21.12	21.12	राजकोट
96	6ए	ब्याज का भुगतान न होना	119	119	119	दिल्ली एसटी
97	7ए	प्रतिकूल प्रभार के सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना	12.18	12.18	12.18	दिल्ली एसटी
98	10ए	सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण न होना	16.6	16.6	-	बेंगलुरू एसटी
99	23ए	ब्याज का भुगतान न होना	13.03	13.03	13.03	चेन्नई एसटी
100	19बी	अनुपयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	15.04	15.04	-	हैदराबाद II
101	32बी	सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	797.28	797.28	-	कोलकाता एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
102	40बी	पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	13.01	13.01	13.01	रायपुर
103	63बी	सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना	47.51	47.51	47.51	दिल्ली एसटी
104	73बी	अस्वीकार्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	30.56	30.56	27.84	जयपुर II
105	74बी	इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	31.86	31.86	-	रायगढ़
106	82बी	सेनवेट क्रेडिट के समय पूर्व लाभ उठाना	50.49	50.49	-	भुवनेश्वर II
107	83बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	28.28	28.28	19.26	दिल्ली III
108	88बी	पूंजीगत माल पर अनुज्ञेय सीमा से अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	13.54	13.54	-	कोचिन
109	89बी	अस्वीकार्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	24.9	24.9	-	भुवनेश्वर I
110	2ए	सेनवेट क्रेडिट के अधिक उपयोग के कारण पीएलए द्वारा सेवा कर का कम भुगतान	24.27	24.27	-	अहमदाबाद एसटी
111	20ए	कटौती के अनियमित दावों के कारण सेवा कर का कम उद्ग्रहण	43.47	43.47	-	कोचिन
112	21ए	इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया	55.86	55.86	-	दिल्ली एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
113	25ए	सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	2,215.61	2,215.61	-	कोलकाता एसटी
114	27ए	सिविल निर्माण पर भुगतान किए गए सेवा कर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	53.71	43.6	-	रायपुर
115	33ए	सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना और उस पर ब्याजे	102.24	78.24	-	हैदराबाद IV
116	35ए	सेनवेट क्रेडिट का अधिक उपयोग करना	698.26	698.26	-	बेंगलुरू एसटी
117	38ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	11,977.79	11,977.79	-	कोलकाता एसटी
118	6बी	सेनवेट क्रेडिट का कम प्रतिलोम	27.92	27.92	-	अहमदाबाद एसटी
119	41बी	सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	17.3	17.3	17.3	रायपुर
120	75बी	सेनवेट क्रेडिट का अधिक उपयोग	13.9	13.9	-	मुम्बई एसटी I
121	16 ए	"छूट प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने का प्रतिलोम न करना	51.42	51.34	51.34	दिल्ली एसटी
122	28 ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग	153.96	153.96	-	मुम्बई एसटी I
123	32 ए	निर्माण और व्यापार से संबंधित समान इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	734.76	734.76	367.38	कोलकाता III

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
124	-	लघु राशि मूल्य आपत्तियाँ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था और परिशोधक कार्रवाई की गई लेकिन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में परिवर्तित नहीं किया गया	881.1	881.1	813.5	
		कुल योग	**47,724.69**	**47,661.96**	**8,043.1**	

परिशिष्ट V

(संदर्भः पैराग्राफ 3.2)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1	3डी	आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) का भुगतान न करने का पता न लगा पाना	7	7	7	पुणे I
2	7डी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न की संवीक्षा न होने के कारण शुल्क और ब्याज की वसूली न होना	6.82	6.82	6.82	राजकोट
3	8डी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न की संवीक्षा न होने के कारण सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के पता न लगाना	4.44	4.44	4.44	अहमदाबाद II
4	11डी	एसएसआई छूट के लिए विकल्प पर सेनवेट क्रेडिट की प्रतिलोम न होना	19.3	19.3	19.3	कालीकट
5	15डी	अनुपयुक्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	4.23	4.23	-	राजकोट
		कुल योग	**41.79**	**41.79**	**37.56**	

परिशिष्ट VI

(संदर्भः पैराग्राफ 3.21)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1	2डी	लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा सेवा कर के गैर-भुगतान को न खोज पाना	10.13	10.13	10.13	पुणे I
2	3डी	लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा सेवा कर के गैर-भुगतान को न खोज पाना	10.3	10.3	10.3	ठाणे II
3	4डी	लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा सेवा कर के कम भुगतान को न खोज पाना	11.44	11.44	11.44	मुम्बई एसटी II
4	23डी	अनिवार्य इकाइयों की अपर्याप्त लेखापरीक्षा कवरेज के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ उठाने के का पता न लगा पाना	184	184	184	मुम्बई एसटी I
5	29डी	आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा अचल संपत्तियों पर प्रदत्त किराये पर सेवा कर के गैर-भुगतान का न खोज पाना	10.07	10.07	10.07	मुम्बई एसटी I
6	1डी	पूर्व में भुगतान किए गए सेवा कर के अपनी ओर से गलत निपटान का न खोज पाना।	8.73	8.73	-	पुणे I
7	15डी	सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाकर	12.11	12.11	-	रायपुर

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय का नाम
		का भुगतान न होना।				
8	16डी	जीटीए पर सेवा कर के भुगतान के प्रति सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग	2.42	2.42	2.42	रायपुर
9	17डी	सेवा कर और ब्याज का गैर/कम भुगतान	5.18	5.18	4.77	रायपुर
10	22डी	अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर का गैर-भुगतान	3.95	3.21	-	रायपुर
11	28डी	विस्तृत संवीक्षा में पायी गयी अनियमितताएँ	4.84	4.84	2.69	राजकोट
12	27डी	कारण बताओ नोटिस में सेवा कर के कम भुगतान की गलत गणना	3.04	3.04	-	त्रिवेन्द्रम
		कुल योग	**266.21**	**265.47**	**235.82**	

शब्दावली

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
सीएएटी	कम्पयूटर एडड आडिट तकनीक
सीएओ	मुख्य लेखा अधिकारी
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीईसीडीडीएम	सीबीईसी -डाटा प्रबंधन निदेशालय
सीईजीएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य संवर्धन कर
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण
सीईटीए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना
डीजीएसटी	महानिदेशक सेवा कर
डीओआर	राजस्व विभाग
ईए 2000	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000
ईएएसआईईएसटी	उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलैक्ट्रानिक लेखाकरण प्रणाली
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीए	माल परिवहन एजेंसी
आईसीडी	इनलैंड कन्टेनर डिपो
आईडीईए	इन्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस - एक सीएएटी साफ्टवेयर
आईएसपी	इन्टरनेट सेवा प्रदाता
एलटीयू	बड़ी करदाता यूनिट
मोडवेट	संशोधित मूल्य संवर्धन कर
एमआरआर	मासिक राजस्व रिपोर्ट

एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएसीईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मादक द्रव्य अकादमी
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीएलए	व्यक्तिगत बही खाता
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स
प्रि. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
टीडीएस	स्त्रोत पर कर कटौती